

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

बिहार सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 3

卷之三

विषय सूची


विवरण	संदर्भ	
	कांडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय- I राज्य सरकार का वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	1.1	1
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	6
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	13
सरकारी व्यय एवं निवेश	1.4	17
परिसंपत्ति एवं देयताएँ	1.5	21
ऋण प्रबंधन	1.6	23
अनुवर्ती	1.7	25
अध्याय- II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	27
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	27
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	28
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4	35
बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण	2.5	37
असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय	2.6	37
अनुदान संख्या-20 “स्वास्थ्य विभाग” की समीक्षा	2.7	38
अनुदान संख्या-46 “पर्यटन विभाग” की समीक्षा	2.8	40
अध्याय - III वित्तीय प्रतिवेदन		
व्यक्तिगत जमा खाते	3.1	43
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर	3.2	44
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.3	44
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण में विलंब	3.4	45
उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना	3.5	46
लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	3.6	49
निवेशों / ऋणों एवं अग्रिमों / प्रत्याभूतियों का असमाशोधन	3.7	52
जमा राशि पर ब्याज की गैर-अदायगी	3.8	53

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कांडिका	पृष्ठ
राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन		3.9	53
रोकड़ शेष में अंतर		3.10	53
असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय		3.11	53
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव		3.12	54
परिशिष्ट			
संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कांडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	57
1.2	भाग—क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	58
1.2	भाग—ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	58
1.3	वर्ष 2016–17 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	61
1.4	वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्रावक्कलन तथा वास्तविकी	1.1.3	64
1.5	राज्य सरकार के वित्त के कालशृंखला आँकड़े	1.2.2	65
1.6	31 मार्च 2017 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.5.1	67
2.1	विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है	2.3.1	68
2.2	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.2	70
2.3	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.4	72
2.4	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.5	74
2.5	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	2.3.5	76
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अप्रयाप्त निकासी	2.3.5	78
2.7	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.6	81
2.8	निधियों का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.6	88
2.9	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत	2.3.8	94
2.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण	2.3.8	95

विषय सूची

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.11	मार्च 2017 में सघन व्यय	2.3.9	97
2.12	नित्य प्रयोजन व्यय के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी	2.4	98
2.13	बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण	2.5	101
2.14	शत-प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.5	103
2.15	वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि	2.6	104
2.16	आधिक्य/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या–20)	2.7.2	107
2.17	31 मार्च 2017 को हुए निधि का अभ्यर्पण	2.7.4	108
2.18	भाग अ: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 100 प्रतिशत राशि का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या–20)	2.7.5	115
	भाग ब: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक राशि का अभ्यर्पण	2.7.5	116
3.1	विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते	3.1.1	117
3.2	लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियों’ का परिचालन	3.3	118
3.3	लघु शीर्ष 800—‘अन्य व्यय’ का परिचालन	3.3	119
3.4	31.12.2017 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार बकाये लेखे	3.4	120
3.5	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि	3.5	123
3.6	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2017 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति	3.7	124
	संकेताक्षरों की शब्दावली		129



प्रावक्थन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने, एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ०एफ०सी०) तथा बजट अनुमान 2016 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरुद्ध वित्तीय प्रदर्शन पर विश्लेषण करने का प्रयास करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय—I वित्त लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है, और यह 31 मार्च 2017 तक बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी एवं ऋण के पुनर्भुगतान की व्यय की प्रवृत्तियों तथा उधार प्रतिमान पर भी प्रकाश डालता है।

अध्याय—II विनियोग लेखा की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय—III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों पर बिहार सरकार के अनुपालन की अनुसूची है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

- वर्ष 2016–17 में जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूंजी व्यय में वृद्धि हुई है, जबकि 2012–13 की तुलना में मुद्रास्फीति के लेखांकन के बाद 2016–17 में उनकी वृद्धि दर कम हो गई है। पूंजी निर्माण के विकास की दर, विशेष रूप से, काफी कम थी।
- राज्य ने बजट अनुमान 2016–2017, चौदहवें वित्त आयोग एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजस्व अधिशेष एवं जी०एस०डी०पी० के सापेक्ष बकाया ऋणों के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है।
- राज्य का प्राथमिक घाटा 2016–17 के दौरान ₹ 2,117 करोड़ (2012–13) से ₹ 8,288 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए लगातार अपर्याप्त थे।
- 2016–17 में राजस्व प्राप्तियाँ 2015–16 से ₹ 9,462 करोड़ (10 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 19,005 करोड़ कम रही।
- 2016–17 में राजस्व व्यय 2015–16 से ₹ 11,149 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 15,176 करोड़ कम रही।

प्राक्कथन

- 2016–17 में पूँजीगत व्यय 2015–16 से ₹ 3,242 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 7,547 करोड़ कम रही।
- वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे राज्य के स्व–राजस्व में 2016–17 में ₹ 1,490 करोड़ की आई कमी, मुख्य रूप से मद्य निषेध लागू होने से राजस्व के ₹ 3,112 करोड़ घटने के कारण हुई। इसी तरह से, नियंत्रणकारी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद का व्यय 2015–16 में ₹ 49.63 करोड़ से बढ़ कर 2016–17 में ₹ 91.96 करोड़ हो गया।
- राजस्व की बकाया राशि ₹ 6,327.12 करोड़ मार्च 2017 तक लंबित थी, इसमें से ₹ 801.75 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से लंबित है।
- राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 8,190.70 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 15,784.04 करोड़), पेंशन (₹ 12,514.52 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,757.44 करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 45,246.70 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और गैर–योजना राजस्व व्यय (₹ 61,189 करोड़) का 74 प्रतिशत व्यय इस घटक पर है।
- विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, 2016–17 में कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय का अंश पाँच वर्षों की अवधि में कम हो गया, जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य पर व्यय का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।
- लागत वसूली में अंतर (31 प्रतिशत), पड़ोसी राज्यों, यथा झारखण्ड (8.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (-87 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।
- 2012–17 के दौरान, सरकार की उधारी लागत तथा विभिन्न इकाईयों में निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण राज्य सरकार को ₹ 2,190.50 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सकता।
- विभिन्न इकाईयों में ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज में विगत वर्षों में बढ़ोतरी हुई तथा 31 मार्च 2017 को यह ₹ 6,652.60 करोड़ था।
- 2016–17 में लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों से निधि के निवल उपलब्धता का प्रतिशत 19.15 प्रतिशत था जबकि उत्तर प्रदेश में 25.75 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 30.54 प्रतिशत, झारखण्ड में 32.43 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 25.44 प्रतिशत था।
- 2016–17 के दौरान कुल अनुदानों/विनियोगों (₹ 1,69,351.63 करोड़) में से ₹ 41,353.31 करोड़ (24.42 प्रतिशत) की बचत हुई। ₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 26,316.01 करोड़ (38.07 प्रतिशत) के हुए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान 10 अनुदानों से संबंधित 11 मामलों में ₹ 72.52 करोड़ से ₹ 3,350.96 करोड़ के बीच (मूल प्रावधान का 11.39 प्रतिशत से 69.33 प्रतिशत) की सतत बचत हुई। 37 अनुदानों/विनियोगों में शामिल 46 मामलों में ₹ 11,677.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में

प्राक्कथन

₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

- वर्ष के दौरान ₹ 41,353.31 करोड़ के कुल बचत में से सिर्फ ₹ 29,771.11 करोड़ का अभ्यर्पण हुआ तथा ₹ 11,582.20 करोड़ (कुल बचत का 28.01 प्रतिशत) व्यपगत हुआ। आगे, ₹ 18,552.67 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 62.32 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया। 35 अनुदानों/विनियोजनों (कुल ₹ 3,421.66 करोड़) के अन्तर्गत 186 लेखा शीर्षों में शत-प्रतिशत निधि (प्रत्येक मासले में ₹ 5 लाख से अधिक) का अभ्यर्पण हुआ।
- वर्ष 1977–78 से 2015–16 के दौरान हुए ₹ 807.36 करोड़ के अधिकाई व्यय का नियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। 2016–17 में कोई आधिक्य व्यय नहीं था।
- 2016–17 के दौरान 17 विभागों में ₹ 19,036.99 करोड़ (उनके कुल व्यय ₹ 27,738.38 करोड़ का 68.63 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में हुआ। इनमें से ₹ 14,175.07 करोड़ (उनके कुल व्यय का 51.10 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में हुआ।
- राज्य के आकस्मिकता निधि कोष (₹ 350 करोड़) को नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष अस्थायी रूप से बढ़ाया गया। 2016–17 में राज्य विधायिका द्वारा आकस्मिकता निधि कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,787.85 करोड़ कर दिया गया। इसके तुलना में भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ का है। 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,416 .63 करोड़ की राशि के 136 आहरण किये गये, जिनमें से कुल ₹ 2,726.35 करोड़ (61.73 प्रतिशत) के 61 आहरण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया।
- वर्ष 2016–17 के दौरान विभागाध्यक्षों ने 26 प्राप्तियों एवं 87 व्यय मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 25,430.49 करोड़ के प्राप्तियों एवं ₹ 1,00,816.53 करोड़ के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया।
- 21 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों (142 लेखाएँ) और 44 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों (1,029 लेखाएँ) का बकाया 1 से 40 साल तक का है।
- 32 विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 35,677.41 करोड़ के 2,107 उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2017 तक लंबित थे।
- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण सार आकस्मिक विपत्रों (ए०सी०) पर आहरित ₹ 4,750.52 करोड़ के 15,575 विपत्र मार्च 2017 तक लंबित थे। इसमें शामिल ₹ 533.07 करोड़ (29.47 प्रतिशत) के 888 ए०सी० विपत्रों को केवल मार्च 2017 में आहरित किया गया जिसमें से 151 ए०सी० विपत्र (₹ 43.52 करोड़) को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किया गया था।

प्राक्तकथन

- आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित ₹ 161.00 करोड़ के अस्थाई अग्रिम एवं अग्रदाय की राशि, 1985 से आगे तक समायोजन हेतु लंबित था। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ऐसी लंबित असमायोजित राशि दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम से भरा हुआ है।
- व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 157.54 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राजकोषीय स्थिति

वर्ष 2016–17 में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जबकि 2012–13 की तुलना में मुद्रास्फीति के हिसाब से 2016–17 में उनकी वृद्धि दर कम हो गई है। पूँजी निर्माण के विकास की दर, विशेष रूप से, काफी कम थी।

(कांडिका 1.1.1)

राज्य ने 2016–17 के बजट अनुमानों, चौदहवें वित्त आयोग / बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में दिए गए लक्ष्य के अनुसार राजस्व अधिशेष और बकाया ऋण से जी0एस0डी0पी0 का अनुपात हासिल नहीं किया है।

(कांडिका 1.1.2)

राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 2,117 करोड़ (2012–13) से बढ़कर 2016–17 के दौरान ₹ 8,288 करोड़ हो गया। जो सूचित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए लगातार अपर्याप्त थे।

(कांडिका 1.1.2.2)

संसाधन संग्रहण

2016–17 में राजस्व प्राप्तियाँ 2015–16 से ₹ 9,462 करोड़ (10 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 19,005 करोड़ कम रही।

2016–17 में राजस्व व्यय 2015–16 से ₹ 11,149 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 15,176 करोड़ कम रही।

2016–17 में पूँजीगत व्यय 2015–16 से ₹ 3,242 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ी, लेकिन यह बजट अनुमान से ₹ 7,547 करोड़ कम रही।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।

(कांडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का सारांश:

राज्य उत्पाद कर

वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे राज्य के स्व-राजस्व में 2016–17 में ₹ 1,490 करोड़ की आई कमी, मुख्य रूप से मद्य निषेध लागू होने से राजस्व के ₹ 3,112 करोड़ घटने के कारण हुई। इसी तरह से, नियंत्रणकारी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद का व्यय 2015–16 में ₹ 49.63 करोड़ से बढ़ कर 2016–17 में ₹ 91.96 करोड़ हो गया।

(कांडिका 1.2.2.1 एवं 1.2.2.2)

बकाया राजस्व

राजस्व की बकाया राशि ₹ 6,327.12 करोड़ मार्च 2017 तक लंबित थी, इसमें से ₹ 801.75 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से लंबित है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण किया जा सके।

(कांडिका 1.2.2.4)

प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान ($\text{₹ } 8,190.70$ करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय ($\text{₹ } 15,784.04$ करोड़), पेंशन ($\text{₹ } 12,514.52$ करोड़) तथा सब्सिडी ($\text{₹ } 8,757.44$ करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय ($\text{₹ } 45,246.70$ करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह गैर-योजना राजस्व व्यय ($\text{₹ } 61,189$ करोड़) का 74 प्रतिशत है।

(कांडिका 1.3.4)

नई पेंशन योजना

राज्य लेखे में वर्ष 2005 से 2013 के दौरान कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना में किए गए अंशदायी पेंशन का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा इस बात का आकलन करने में असमर्थ रहा कि क्या वास्तव में योजना के शुरू होने के बाद कर्मचारियों से जो कटौती की गयी है उसके समतुल्य अंशदान सरकार द्वारा की गयी जिसे एनोएसोडी०एल को अंतरित किया गया।

2013–14 से 2016–17 के अवधि में कर्मचारियों के $\text{₹ } 1,172.15$ करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान $\text{₹ } 1,115.71$ करोड़ ही थी, फलस्वरूप अंशदान में $\text{₹ } 56.44$ करोड़ की कमी पायी गयी। यह न्यून अंशदान, जो ब्याज के साथ जुड़ता है, जिसका आकलन नहीं किया जा सका उससे इस योजना के लंबित पड़े दायित्वों का पता चलता है। इससे संबंधित वर्ष में राजस्व अधिशेष में अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति का परिणाम सामने आया।

उपरोक्त के अलावा $\text{₹ } 2,287.86$ करोड़ के कुल अंशदान (कर्मचारियों और सरकार का वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक का हिस्सा) में से केवल $\text{₹ } 2,199.32$ करोड़ की राशि ही एनोएसोडी०एल० को स्थानांतरित की गयी और लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342 के अधीन $\text{₹ } 88.54$ करोड़ (इसमें योजना अन्तर्गत लंबित दायित्व भी शामिल है) की राशि शेष के रूप में रह गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अविलंब इस तरह की कार्रवाई करने की पहल करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्णतः नई पेंशन योजना का लाभ मिल सके। ऐसा कर्मचारियों के अंशदान की कटौती एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान की कटौती कर राशि को पूर्णतः एनोएसोडी०एल० को स्थानांतरित कर दिया जाना है।

(कांडिका 1.3.4.1)

लोक व्यय की पर्याप्तता

विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि कुल व्यय में शिक्षा का अंश पाँच वर्षों की अवधि में 2016–17 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(कांडिका 1.3.5.1)

सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

लागत वसूली में अंतर (31 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों, यथा झारखण्ड (8.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (-87 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।

(कांडिका 1.4.1)

अपूर्ण परियोजनाएँ:

7 विभागों के 130 अपूर्ण परियोजनाएँ जिसकी लागत ₹ 2,269.08 करोड़ है। उनमें से सिर्फ चार परियोजनाओं का लागत संशोधन किया गया। 126 कार्यों की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 2,157.60 करोड़ थी, का लागत संशोधन नहीं किया गया, फलस्वरूप, राज्य इन अपूर्ण परियोजनाओं के कारण एक वृद्ध गैर-आकलित दायित्वों का सामना कर रहा है।

अनुशंसा: वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे परियोजनाओं को समय पूरा किया जा सके।

(कांडिका 1.4.2)

निवेश पर प्रतिलाभ

2012–17 के दौरान, सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश पर ₹ 2,190.50 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सकता।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे इकाईयों जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जिन इकाईयों के लेखे बकायें में हैं, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

(कांडिका 1.4.3)

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों में बढ़ कर 31 मार्च 2017 को ₹ 6,652.60 करोड़ हो गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम को बहु खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।

(कांडिका 1.4.4)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छ: आरक्षित निधियाँ हैं। पिछले 16–17 वर्षों से चार आरक्षित निधियों यथा, मूल्य ह्रास/नवीकरण निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि में कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अनुशंसा: वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(कांडिका 1.5.2)

निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्यों को सभी दायित्वों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का स्थापना करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, ने वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करने का दिशा-निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि का स्थापना किया जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था न कि सभी बकाया देयताओं के लिए। निधि का उपयोग 2014–15 से सरकार के बकाया देयताओं के विमोचन के लिए किया जाना था। हालांकि, 2014–17

के दौरान निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। 31 मार्च 2017 को इसका अंतिम शेष ₹ 3,417.63 करोड़ था।

(कांडिका 1.5.2.1)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन 2010–11 में प्रारंभ किया। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार को निधि में 75:25 के अनुपात में योगदान देना है। राज्य सरकार द्वारा 2016–17 में ₹ 492 करोड़ की राशि एस0डी0आर0एफ0 में जमा की गयी (₹ 369 करोड़ केन्द्रांशं एवं ₹ 123 करोड़ राज्यांश)। जिससे 31 मार्च 2017 को निधि का अंतिम शेष ₹ 696.39 करोड़ रह गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 119.72 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष ₹ 119.72 करोड़ ज्यादा तथा राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संचालन से अबतक का अप्रदत्त ब्याज (₹ 931.04 करोड़) राज्य के अलेखांकित देयताओं को प्रदर्शित करता है।

(कांडिका 1.5.2.2)

प्रत्याभूति की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया। राज्य सरकार इसके दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 32.69 करोड़ (वर्ष 2016–17 के प्रारंभ में ₹ 6,537.45 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही, परिणामस्वरूप 2016–17 के दौरान ₹ 32.69 करोड़ राजस्व अधिशेष में अधिक तथा राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया। 2009–10 से 2016–17 तक इस लेखा पर राज्य का कुल देयता ₹ 91.81 करोड़ था।

(कांडिका 1.5.3)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

2016–17 में लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों से निधि के निवल उपलब्धता का प्रतिशत 19.15 प्रतिशत था जबकि यह उत्तर प्रदेश में 25.75 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 30.54 प्रतिशत, झारखंड में 32.43 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 25.44 प्रतिशत था।

(कांडिका 1.6.1)

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत कंपनियों के पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार राज्य सरकार ने सब्सिडी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सहभागी ऋणदाता बैंकों को बॉण्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78¹ करोड़) का अधिग्रहण किया।¹

(कांडिका 1.6.4)

बचत

2016–17 के दौरान कुल अनुदानों/विनियोगों (₹ 1,69,351.63 करोड़) में से ₹ 41,353.31 करोड़ (24.42 प्रतिशत) की बचत हुई। ₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 26,316.01 करोड़ (38.07 प्रतिशत) के हुए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान 10 अनुदानों से संबंधित 11 मामलों में ₹ 72.52 करोड़ से ₹ 3,350.96 करोड़ के बीच (मूल प्रावधान का 11.39 प्रतिशत से 69.33 प्रतिशत) की सतत बचत हुई। 46 मामलों (37 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 11,677.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या

¹ ₹ 1554.52 करोड़ (50 प्रतिशत) 2015–16 में और ₹ 777.26 करोड़ (25 प्रतिशत) 2016–17 में।

उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।

(कांडिका 2.2, 2.3.2, 2.3.3 एवं 2.3.4)

निधियों का अभ्यर्पण

वर्ष के दौरान ₹ 41,353.31 करोड़ के कुल बचत में से सिर्फ ₹ 29,771.11 करोड़ का अभ्यर्पण हुआ तथा ₹ 11,582.20 करोड़ (कुल बचत का 28.01 प्रतिशत) व्यपगत हुआ। आगे, ₹ 18,552.67 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 62.32 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया। 35 अनुदानों/विनियोजनों (कुल ₹ 3,421.66 करोड़) के अन्तर्गत 186 लेखा शीर्षों में शत-प्रतिशत निधि (प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख से अधिक) का अभ्यर्पण हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।

(कांडिका 2.2 एवं 2.3.6)

पिछले वर्षों के अधिकाई व्यय का अपेक्षित नियमितीकरण

वर्ष 1977–78 से 2015–16 के दौरान हुए ₹ 807.36 करोड़ के अधिकाई व्यय का नियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 807.36 करोड़ रूपये के अधिकाई व्यय के नियमितीकरण के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिए। भविष्य में इस प्रकार के अदत्तमत व्यय पूर्णतः रोक देने चाहिए सिवाय आपातकालीन विकट परिस्थिति के, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती है।

(कांडिका 2.3.1)

सघन व्यय

2016–17 के दौरान 17 विभागों में ₹ 19,036.99 करोड़ (कुल व्यय ₹ 27,738.38 करोड़ का 68.63 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में हुआ। इनमें से ₹ 14,175.07 करोड़ (कुल व्यय का 51.10 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में हुआ।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में सघन व्यय के नियंत्रण हेतु नियमों का निर्धारण करना चाहिए।

(कांडिका 2.3.9)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि कोष (₹ 350 करोड़) को नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष अस्थायी रूप से बढ़ाया गया। 2016–17 में राज्य विधायिका द्वारा आकस्मिकता निधि कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,787.85 करोड़ कर दिया गया। इसके तुलना में भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ का है। 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,416 .63 करोड़ की राशि के 136 आहरण किये गये, जिनमें से कुल ₹ 2,726.35 करोड़ (61.73 प्रतिशत) के 61 आहरण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृहद वार्षिक वृद्धि के प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल तात्कालिक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है। वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि से किये गये व्यय के नियमितीकरण के समय इन शर्तों के सभी उल्लंघन को विधायिका के समुख भी प्रस्तुत करना चाहिए।

(कांडिका 2.4)

असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

वर्ष 2016–17 के दौरान विभागाध्यक्षों ने 26 प्राप्तियों एवं 87 व्यय मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 25,430.49 करोड़ के प्राप्तियों एवं ₹ 1,00,816.53 करोड़ के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को एक क्रियाविधि विकसित कर इसे नियंत्री पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान कर लें।

(कांडिका 2.6)

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते

177 व्यक्तिगत जमा खातों में मार्च 2017 तक ₹ 4,373.65 करोड़ की राशि शेष थे। इन 177 पी0डी0 खातों में से 60 पी0डी0 खाते विगत तीन वर्षों से अपरिचालित थे जिसमें से 59 खातों में शेष शून्य और एक पी0डी0 खाते में ₹ 0.66 करोड़ शेष थे।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) सभी पी0डी0 खाते, जिनमें शून्य/न्यूनतम शेष राशि हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए; (ii) सभी राशियाँ जो पी0डी0 खातों में पड़े हैं उन्हें वर्ष की समाप्ति पर शीघ्रता से संचित निधि में प्रेषित किया जाए; (iii) उन विभागीय और कोषागार पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए जो पी0डी0 खातों से संबंधित वित्तीय नियमों के पालन में असफल रहे।

(कांडिका 3.1)

भवन और अन्य निर्माण कार्यों के श्रमिकों (भ0अ0नि0श्र0) के लिए कल्याण उपकर का लेखांकन

बिहार सरकार द्वारा भ0अ0नि0श्र0 कल्याण उपकर के लेखांकन के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा श्रमिक सहयोग से निष्पादित परियोजनाओं पर प्राप्त श्रम उपकर को इन्द्राज करने के लिए सरकार द्वारा उप शीर्ष नहीं खोला गया है। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर को मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा–108 लोक निर्माण कार्य में बिहार के संचित निधि के माध्यम से जैसा कि भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा करना अपेक्षित है, किये बिना सीधे इन्द्राज कर लिया गया है। पुनः, यद्यपि लघु शीर्ष–लोक निर्माण कार्य जमा में श्रम उपकर के अलावा कई प्राप्तियाँ शामिल हैं, इसके नीचे कोई उप–शीर्ष नहीं है, इसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित उपकर की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। श्रमिक कल्याण बोर्ड को भुगतान की गयी राशि को भी अलग कर पाना संभव नहीं है। भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड के लेखाओं को वर्ष 2012–13 तक ही अंतिमीकृत किया गया है।

अनुशंसाएँ: बिहार भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड को लेखाओं के ससमय संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रासांगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। बिहार सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना

चाहिए तथा उपकर को संचित निधि के माध्यम से स्थानांतरित और उपकर के लेखांकन हेतु नियमावली भी तैयार करना चाहिए।

(कांडिका 3.2)

लेखाओं में अपारदर्शिता

सर्वव्यापी लघु शीर्ष “800—अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय” के अंतर्गत वर्गीकृत क्रमशः ₹ 1,212.95 करोड़ के राजस्व एवं ₹ 174.65 करोड़ का व्यय, वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता के अभाव को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग, महालेखाकार (ले० एंव हक०) के परामर्शानुसार सभी मदों की एक व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियाँ और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।

(कांडिका 3.3)

सार्वजनिक क्षेत्र उपकरमों/निगमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण

21 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपकरमों (142 लेखायें और 44 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपकरमों (1,029 लेखायें) का बकाया 1 से 40 साल तक का है। राज्य सरकार ने विस्तारित बजटीय आवंटन, इक्विटी, लोन, सहायता अनुदान/सब्सिडी के माध्यम से दिया, जो 2014–16 के दौरान सात सार्वजनिक क्षेत्र उपकरमों के लिए ₹ 1,052 करोड़ और 2016–17 के दौरान पाँच सार्वजनिक क्षेत्र उपकरमों के लिए ₹ 1,414.79 करोड़ था जिनके लेखाओं का बकाया तीन साल से ज्यादा था।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपकरमों के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाया लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।

(कांडिका 3.4)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

32 विभागों द्वारा सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 35,677.41 करोड़ के 2,107 उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2017 तक लंबित थे।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित कर सके। वित्त विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस अवधि तक प्रशासनिक विभाग, दोषी अनुदानग्राहियों को आगे कोई अनुदान जारी न करे।

(कांडिका 3.5)

लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण सार आकस्मिक विपत्रों (ए०सी०) पर आहरित ₹ 4,750.52 करोड़ के 15,575 विपत्र मार्च 2017 तक लंबित थे। इसमें शामिल ₹ 533.07 करोड़ (29.47 प्रतिशत) के 888 ए०सी० विपत्रों को केवल मार्च 2017 में आहरित किया गया जिसमें से 151 ए०सी० विपत्र (₹ 43.52 करोड़) को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किया गया था।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के आगे तक लंबित ऐसी विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसी विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे

पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की पहल की जाय जो ऐसी विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।

(कांडिका 3.6)

निवेशों/ऋणों एवं अग्रिमों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

वित्त लेखे में उल्लेखित राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा प्रत्याभूतियों से संबंधित आँकड़े, वित्त विभाग, कोषागारों तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित हैं। यद्यपि, यह पाया गया की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों से ये आँकड़े क्रमशः ₹ 6,429.90 करोड़, ₹ 14,058.65 करोड़ एवं ₹ 576.76 करोड़ भिन्न थे।

अनुशंसाएँ: राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों और प्रत्याभूतियों से संबंधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

(कांडिका 3.7)

राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा (नवम्बर 2000 से) उत्तरवर्ती राज्यों विहार और झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की राशि का विभाजन अब तक किया जाना शेष है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।

(कांडिका 3.9)

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजन

आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित ₹ 161.00 करोड़ के अस्थाई अग्रिम एवं अग्रदाय की राशि वर्ष 1985 से आगे तक समायोजन हेतु लंबित था। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ऐसी लंबित असमायोजित राशि दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम से भरा हुआ है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अव्ययित राशियों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।

(कांडिका 3.11)

राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 157.54 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

(कांडिका 3.12)

अध्याय-I

राज्य सरकार का वित्त

राज्य सरकार का वित्त

1. यह अध्याय 2016–17 की अवधि में राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 2015–16 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय योगों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण बिहार सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गयी है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)¹

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) और राज्य के जी0एस0डी0पी0 का वर्तमान मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद और बिहार का जी.एस.डी.पी.

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,82,368	3,17,101	3,42,951	3,81,501	4,38,030
वर्तमान मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	14.25	12.30	8.15	11.24	14.82
स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,56,851	2,69,650	2,79,482	3,00,566	3,31,572
स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	3.93	4.98	3.65	7.54	10.32

(स्रोत:जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2017 को जारी)

सरकारी लेखे की संरचना और वित्त लेखे की रूप रेखा क्रमशः **परिशिष्ट 1.2** के भाग-क एवं भाग-ख में वर्णित है।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.2 वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है जबकि 2016–17 के दौरान संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

¹ जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 निश्चित समय की अवधि में क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप में मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है।

तालिका 1.2: 2016-17 में राजकोषीय लेन-देन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					गैर योजना	योजना	योग
खण्ड-'क' राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	96,123	1,05,585	राजस्व व्यय	83,616	61,189	33,576	94,765
कर राजस्व	25,449	23,742	सामान्य सेवाएँ	27,972	30,087	520	30,607
करेतर राजस्व	2,186	2,403	सामाजिक सेवाएँ	35,943	14,667	26,070	40,737
संघीय कर/शुल्कों का अंश	48,923	58,881	आर्थिक सेवाएँ	19,697	16,431	6,986	23,417
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	19,565	20,559	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	0	4
खण्ड-'ख' पूँजीगत एवं अन्य							
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	19	23	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	621	42	72	114
लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,383	21,577	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,125	-	-	4,215
आकस्मिकता निधि	4,477	5,438	आकस्मिकता निधि	4,477	-	-	5,438
लोक लेखा प्राप्तियाँ	49,106	61,730	लोक लेखा संवितरण	45,923	-	-	57,268
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	पूँजीगत व्यय	23,966	16	27,192	27,208
आरंभिक नकद शेष	6,337	11,717	अंतिम नकद शेष	11,717	-	-	17,062
योग	1,74,445	2,06,070	योग	1,74,445	-	-	2,06,070

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ वर्तमान मूल्य के साथ-साथ स्थिर मूल्य पर नीचे तालिका 1.3 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 1.3: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585	
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.07	15.70	13.78	22.58	9.84	15.59
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	54,184	58,606	63,905	75,731	79,924	
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.58	8.16	9.04	18.50	5.54	9.36
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	21.10	21.73	22.87	25.20	24.10	23.00
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765	
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.13	14.71	16.15	15.22	13.33	15.31
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	51,442	53,815	59,440	66,366	71,820	
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.27	4.61	10.45	11.65	8.22	8.24
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	20.03	19.96	21.27	22.08	21.66	21.00
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	9,585	14,001	18,150	23,966	27,208	
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.28	46.08	29.64	32.04	13.53	25.91
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	8,718	11,906	14,791	18,882	20,596	
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-1.51)	36.56	24.24	27.65	9.08	19.20
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.39	4.42	5.29	6.28	6.21	5.12

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, जी०एस०डी०पी० प्रतिशत के रूप में, 2012-13 से तुलनात्मक रूप में 2016-17 में बढ़ा है जबकि उनके वृद्धि दर को मुद्रास्फीति की गणना करने पर इनकी वृद्धि दर में 2016-17 में कमी हुई है। विशेष रूप से पूँजी निर्माण की वृद्धि दर काफी कम था।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

जैसा कि पैरा 1.6.4 में विस्तार से वर्णित है कि उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना के कार्यान्वयन से विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों को अधिग्रहण के कारण सरकार पर अतिरिक्त बोझ को देखते हुए राज्य की राजकोषीय नीति और उदय के दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह के ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। राज्य की वास्तविक राजकोषीय घाटा और लंबित उत्तरदायित्व उदय को छोड़ कर क्रमशः ₹ 13,985.53 करोड़ और ₹ 1,36,390 करोड़ थी। इस प्रतिवेदन में चर्चा के विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण से यह परिलक्षित हुआ कि राजस्व अधिशेष ₹ 157.54 करोड़ अधिक बतलाया गया था जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 157.54 करोड़ कम बतलाया गया था। दूसरे शब्दों में वास्तविक राजस्व अधिशेष ₹ 13,155.46 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 14,143.07 करोड़ है। यह प्रतिवेदन के अंतिम भाग में कंडिका 3.12 एवं तालिका 3.6 में वर्णित है।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन बजट में दिए गए प्रमुख परिवर्तनों के अंतर्गत, चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा और विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार वास्तविकी (उदय को छोड़कर) और लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: 2016-17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविकी (उदय को छोड़कर)	लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित वास्तविकी
राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	₹ 14,649.46 का अधिशेष	13,313.00	13,155.46
वर्तमान मूल्य पर राजकोषीय घाटा/जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत में)	3.25	3.00 ²	2.87	3.19	3.23
वर्तमान मूल्य पर जी०एस०डी०पी० की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	24.79	24.79	18.89	31.14	31.14

(अट: चौदहवें वित्त आयोग, बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम तथा वर्ष 2016-17 के लिए बजट आँकड़े)

जैसा कि उपरोक्त से दर्शित है कि राज्य ने 2016-17 के बजट अनुमानों, चौदहवें वित्त आयोग / एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में जी०एस०डी०पी० लक्षित के लिए राजस्व अधिशेष और बकाया ऋण का अनुपात हासिल नहीं किया है।

यद्यपि राज्य ने बजट अनुमानों में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं किया है, जबकि चौदहवें वित्त आयोग और बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया गया क्योंकि यह 0.25 प्रतिशत तय लक्ष्य की लंबीलापन के लिए योग्य था, जैसा कि 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 7.38 प्रतिशत था।

² राज्य किसी भी दिए गए वर्ष के लिए 0.25 प्रतिशत या अधिक की लंबीलापन के लिए पात्र होगा जिसके लिए ऋण जी०एस०डी०पी० अनुपात पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जिसके लिए ऋण सीमा तय की जानी है। राज्य किसी दिये गए वर्ष में जी०एस०डी०पी० के 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए आगे भी पात्र होगा जिसके लिए ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर है, जिस वर्ष के लिए ऋण सीमा तय की जानी है।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटे की संरचना एवं वित्त पोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तयों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य के कुल वित्त पोषण (मुख्य रूप से आरोबी0आई0 से अपने नकदी और निवेशित शेष की निकासी एवं उधारी द्वारा) का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप **तालिका 1.5** में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसका वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटा (उदय सहित)* (कोष्ठक में दिए गए आँकड़े जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत को दर्शाते हैं)	6,545.26 (2.32)	8,351.92 (2.63)	11,178.50 (3.26)	12,061.59 (3.16)	16,479.15 (3.76)
1 राजस्व अधिशेष	5,100.51	6,441.42	5,847.56	12,507.16	10,819.81
2 पूँजीगत व्यय	9,584.52	14,001.00	18,150.41	23,966.02	27,208.40
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	2,061.25	792.35	1,124.35	602.73	90.56
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप**					
1 बाजार उधारी	5,763.88	5,346.77	6,666.51	10,233.12	16,804.96
2 भारत सरकार से ऋण	23.30	(-)11.07	84.67	115.86	757.51
3 एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूति	292.87	631.52	3,150.22	2,024.86	(-)1,713.12
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	403.96	820.31	407.18	1,884.33	1,512.84
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-)215.55	(-)297.90	(-)182.77	(-)73.58	99.63
6 जमा एवं अग्रिम	2,199.05	3,668.41	2,222.57	3,731.69	5,393.40
7 उचंत तथा विविध	(-)1,936.34	(-)2,007.59	(-)1,231.88	(-)5,245.97	(-)5,666.65
8 प्रेषण	19.51	(-)19.01	(-) 11.98	6.05	(-)7.05
9 आरक्षित निधि	275.94	262.31	(-)245.12	(-) 401.15	(-) 712.03
10 अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
11 कुल अधिशेष/घाटा	6,826.62	8,393.74	10,859.40	12,275.21	16,469.49
12 रोकड़ शेष में कमी / वृद्धि#	(-)281.36	(-)41.82	319.10	(-) 213.62	9.66
13 सकल राजकोषीय घाटा	6,545.26	8,351.92	11,178.50	12,061.59	16,479.15

* इस तालिका में राजकोषीय घाटे में उदय का प्रभाव शामिल है ताकि वित्त लेखे में वित्त पोषण के दिए गए स्वरूप से आँकड़ों मेल खा सके।

** ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बहिरण के हैं।

रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)।

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखे)

1.1.2.2 घाटा की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटा पूर्व में लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान को छोड़कर चालू वर्ष के वित्तीय परिचालन का प्रमाण है। राज्य का प्राथमिक घाटा **तालिका 1.6** में दिखाया गया है।

तालिका 1.6: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ ³	प्राथमिक व्यय	राजकोषीय घाटा	ब्याज अदायगी	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2012-13	59,592	61,709	6,545	4,428	2,117
2013-14	68,934	71,826	8,352	5,460	2,892
2014-15	79,910	84,960	11,179	6,129	5,050
2015-16	96,142	1,01,105	12,061	7,098	4,963
2016-17	1,05,608	1,13,896	16,479	8,191	8,288

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेख)


राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2012-13 में ₹ 2,117 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 8,288 करोड़ हो गया है जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए लगातार अपर्याप्त थे।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी, बजट तैयार करने में या तो असंभावित और अप्रत्याशित घटनाओं या कम/अधिक राजस्व या व्यय के अनुमान के कारण होता है। इसका विपरीत प्रभाव वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर पड़ता है।

वर्ष 2016-17 के चयनित राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी चार्ट 1.1 एवं परिणाम 1.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2016-17 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी



(स्रोत: बजट दस्तावेज तथा वर्ष 2016-17 का वित्त लेख)

³ गैर ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ और प्राप्तियाँ का योग है।

अध्याय—I राज्य सरकार का वित्त

उपर्युक्त चार्ट 2016–17 के दौरान प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविक अँकड़ों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जिसकी समीक्षा नीचे दी गयी है:

राजस्व प्राप्तियाँ	कर राजस्व में 20.14 प्रतिशत (राज्य उत्पाद कर में 98.57 प्रतिशत और बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में 15.32 प्रतिशत की कमी) और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में 39.78 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 15.25 प्रतिशत कम था।
राजस्व व्यय	सामान्य सेवाओं में 15.41 प्रतिशत (प्रशासनिक सेवाएँ में 13.70 प्रतिशत और पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं में 23.19 प्रतिशत की कमी) और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत हुए 13.60 प्रतिशत (शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में 12.02 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 31.95 प्रतिशत) की कमी के कारण यह बजट आकलन से 13.80 प्रतिशत कम था।
पैंजीगत व्यय	सामान्य सेवाओं में 29.38 प्रतिशत एवं आर्थिक सेवाओं में 7.31 प्रतिशत (कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में 47.53 प्रतिशत और ऊर्जा में 33.14 प्रतिशत) में कमी के कारण यह बजट आकलन से 21.71 प्रतिशत कम था।
राजस्व अधिशेष	राजस्व प्राप्तियों में 15.25 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 26.14 प्रतिशत कम था।
राजकोषीय घटा	कुल व्यय में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि के कारण यह बजट आकलन से 2.90 प्रतिशत ज्यादा था।
प्राथमिक घटा	यह बजट आकलन से 5.78 प्रतिशत ज्यादा था।


अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।

1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन


1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

वर्ष 2012–17 के दौरान कुल प्राप्तियों के विभिन्न घटक, इन घटकों के विचलन की प्रवृत्ति और 2016–17 के दौरान संसाधनों के संघटक को क्रमशः चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 में क्रमशः प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2016–17 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना




चार्ट 1.3: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)




(स्रोत: वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)

1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ


वित्त लेखे का विवरण—14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण देता है। वर्ष 2012-17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को **परिशिष्ट 1.5** तथा क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(योत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6: वर्ष 2012-17 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के घटक



(योत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.1 राज्य के स्व-संसाधन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राजस्व और करेतर राजस्व के अनुसार किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान शामिल नहीं हैं जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं।

राज्य के कर राजस्व और करेतर राजस्व एवं बजट अनुमानों की तुलना नीचे तालिका 1.7 में दी गई है:

तालिका 1.7: वर्ष 2016–17 के लिए प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	29,730.27	23,742.26
करेतर राजस्व	2,358.11	2,403.12

(स्रोत: बजट प्रावक्तव्य एवं वर्ष 2016–17 का वित्त लेख)

कर राजस्व

वर्ष 2012–17 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.8 में दिया गया है:

तालिका 1.8: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 से 2016-17 के दौरान मिन्ता (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,671	8,453	8,607	10,603	11,873	11.98
राज्य उत्पाद कर	2,430	3,168	3,217	3,142	30 ⁴	(-) 99.05
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,173	2,712	2,699	3,409	2,982	(-) 12.53
वाहन कर	673	837	964	1,081	1,257	16.28
भू-राजस्व	205	202	277	695	971	39.71
माल एवं यात्रियों पर कर	1,932	4,349	4,451	6,087	6,245	2.60
अन्य कर	169	240	535	432	384	(-) 11.11
योग	16,253	19,961	20,750	25,449	23,742	(-) 6.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष स्व-कर राजस्व छत्तीसगढ़ (6.53 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (6.74 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (6.90 प्रतिशत) की तुलना में केवल 5.42 प्रतिशत था।

⁴ मध्यनिषेध लागू होने के कारण (05 अप्रैल 2016)

करेतर राजस्व

2012–17 के दौरान करेतर राजस्व प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.9 में दिया गया है:

तालिका 1.9: करेतर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेतर राजस्व	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 से 2016-17 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
ब्याज प्राप्तियाँ	167.12	269.48	344.77	583.66	939.91	61.04
गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	511.08	569.14	879.87	971.34	997.60	2.70
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	457.07	706.21	333.34	630.64	465.61	(-)26.17
योग	1,135.27	1,544.83	1,557.98	2,185.64	2,403.12	9.95

(योतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे राज्य के स्व-राजस्व में 2016–17 में ₹ 1,490 करोड़ की आई कमी, मुख्य रूप से मध्य निषेध लागू होने से राजस्व के ₹ 3,112 करोड़ घटने के कारण हुई। इसी तरह से, नियंत्रणकारी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद का व्यय 2015–16 में ₹ 49.63 करोड़ से बढ़ कर 2016–17 में ₹ 91.96 करोड़ हो गया।

1.2.2.2 संग्रहण पर लागत

वर्ष 2016–17 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण एवं उस पर हुए लागतों का विवरण तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: संग्रहण पर लागत

क्रम सं०	विवरण	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
1	वैट / बिक्री कर	18,502.86	117.81	0.64	0.66
2	राज्य उत्पाद	29.66	91.96	310.05	3.21
3	वाहन कर	1,256.67	46.08	3.67	4.99
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,981.95	47.60	1.60	2.87

(योतः वर्ष 2016-17 का वित्त लेखे)

हालाँकि वैट / बिक्री कर, वाहन और मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के संग्रहण में लागत पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम था, राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण की लागत राज्य में शराब पर प्रतिवंध लगाने के कारण (5 अप्रैल 2016) अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

1.2.2.3 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार सहायता अनुदान और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश प्राप्त करती है। भारत सरकार के अनुदान का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-योजना अनुदान	2,412.58	3,288.13	3271.21	3,434.43	4,505.51
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	5,051.97	6,238.39	14,935.68	13,886.33	13,952.92
केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	35.69	136.65	117.49	2,083.98	1,422.91
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	2,777.68	2,920.86	821.88	160.86	677.68
कुल अनुदान	10,277.92	12,584.03	19,146.26	19,565.60	20,559.02
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	4.00	22.44	52.15	2.19	5.08
राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	17.25	18.26	24.42	20.35	19.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.4 बकाया राजस्व

बकाये राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.12 में है:

तालिका 1.12: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2017 को कुल लंबित राशि	5 वर्षों से अधिक की लंबित राशि
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	वाणिज्य कर विभाग	3,113.62	547.03
2.	सामानों एवं यात्रियों पर कर		2,500.38	11.22
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क		61.91	2.23
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		10.10	8.31
5.	वाहन कर	परिवहन विभाग	184.88	अनुप्लब्ध
6.	भू—राजस्व	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	117.73	34.15
7.	राज्य उत्पाद	निबंधन, उत्पाद एवं मट्टनिषेध विभाग	66.96	23.29
8.	खान और भूतत्व	खान एवं भूतत्व विभाग	271.54	175.52
योग			6,327.12	801.75

(स्रोत: संबंधित विभाग)

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण किया जा सके।

1.2.3. पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2012–17 के दौरान पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.13 में दी गई है।

तालिका 1.13: पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	9,579	9,922	15,411	18,402	21,600
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	25	15	1,493	19	23
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,554	9,907	13,918	18,383	21,577
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	44	04	40	32	18
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	42	04	55	19	17

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका 1.14: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार उधारी	7,100	6,500	8,100	11,500	17,700
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	932	1,471	1,154	1,204	1,588
अन्य ⁵	1,014	1,386	3,946	4,861	777

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेश से प्राप्त ब्याज की तुलना में उच्च दर पर उधार के प्रभाव का वर्णन पैरा 1.4.3 में की गई है।

1.2.3.2. भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2012–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	508	550	718	818	1,512

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन-देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधि आदि, इनकी प्राप्तियाँ एवं संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा राज्य विधान मंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर/ट्रस्टी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरणी 21 में दी गई है और लोक लेखे प्राप्तियाँ (निवल) का विवरण तालिका 1.16 में दिया गया है।

⁵ बॉण्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अर्थोपाय अग्रिम और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष सिक्योरिटी।

तालिका 1.16: लोक लेखा प्राप्ति (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	2,267.39	4,005.21	1,050.64	3,183.04	4,462.44
(अ) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 215.64	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58	99.63
(ब) आरक्षित निधि	530.89	698.58	730.13	90.69	(-) 129.15
(स) जमा एवं अग्रिम	2,199.05	3,668.40	2,222.58	3,731.69	5,393.40
(द) उचंत एवं विविध	(-) 266.52	(-) 44.86	(-) 1,707.32	(-) 571.81	(-) 894.39
(ड) प्रेषण	19.52	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन के प्रभाव की चर्चा पैरा 1.5.2 में की गई है।

1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.3.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

वर्ष 2012-17 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय: प्रवृत्ति एवं संघटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.2 राजस्व व्यय

योजना एवं गैर योजना राजस्व व्यय

योजना एवं गैर योजना राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: योजना एवं गैर योजना राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल राजस्व व्यय	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765
गैर योजना राजस्व व्यय	37,574	43,381	47,059	53,965	61,189
योजना राजस्व व्यय	16,892	19,096	25,511	29,651	33,576
गैर योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.47	15.45	8.48	14.68	13.39
योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	35.28	13.05	33.59	16.23	13.24

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 पूँजीगत व्यय

योजना एवं गैर योजना पूँजीगत व्यय

योजना एवं गैर योजना पूँजीगत व्यय का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: योजना एवं गैर योजना पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	66,137	77,285	91,089	1,08,203	1,22,087
पूँजीगत व्यय	9,585	14,001	18,150	23,966	27,208
गैर योजना पूँजीगत व्यय	93	97	58	36	16
योजना पूँजीगत व्यय	9,492	13,904	18,092	23,930	27,192
गैर योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	132.50	4.30	(-) 40.21	(-) 37.93	(-) 55.56
योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.72	46.48	30.12	32.27	13.63

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राज्य का पूँजीगत व्यय (6.21 प्रतिशत) इसके पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ (3.26 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (4.26 प्रतिशत), झारखण्ड (4.28 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (5.47 प्रतिशत) से ज्यादा था।

1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 8,190.70 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 15,784.04 करोड़), पेंशन (₹ 12,514.52 करोड़) तथा सस्तिहासिक (₹ 8,757.44 करोड़) शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 45,246.70 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह गैर-योजना राजस्व व्यय (₹ 61,189 करोड़) का 74 प्रतिशत है।

तालिका 1.19 2012–17 के दौरान किए गए प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	13,557.88 (22.76)	14,036.67 (20.37)	14,607.44 (18.63)	14,923.73 (15.52)	18,328.59	15,784.04 (14.95)
1(अ)	गैर योजना	12,865.06	13,315.36	13,910.31	14,307.22	17,723.37	15,106.13
1(ब)	योजना	692.82	721.31	697.13	616.51	605.22	677.91
2	ब्याज भुगतान	4,428.31 (7.43)	5,459.04 (7.92)	6,128.75 (7.82)	7,097.69 (7.38)	8,178.82	8,190.70 (7.76)
3	पेंशन पर व्यय	8,363.53 (14.04)	9,481.73 (13.76)	11,344.50 (14.47)	11,830.46 (12.31)	16,285.30	12,514.52 (11.85)
4	सेवाएँ	4,313.45 (7.24)	1,464.38 (2.12)	4,628.36 (5.90)	9,010.45 (9.37)	7,613.41	8,757.44 (8.29)
5	कुल प्रतिबद्ध व्यय	30,663.17 (51.48))	30,441.82 (44.17)	36,709.05 (46.81)	42,862.33 (44.59)	42,792.71	45,246.70 (42.85)

कोषक में दिए गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(योतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

1.3.4.1 नई पेंशन योजना

1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एन०पी०एस०) के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में परिभाषित है। इस योजना में, कर्मचारी मूल वेतन और महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है इसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और पूरी राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०) / ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरण कर दिया जाता है।

राज्य लेखे में वर्ष 2005 से 2013 के दौरान कर्मचारियों द्वारा एन०पी०एस० में किए गए अंशदायी पेंशन का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा इस बात का आकलन करने में असक्षम रहा कि क्या वास्तव में योजना के शुरू होने के बाद कर्मचारियों से जो कटौती की गयी है उसके समतुल्य अंशदान सरकार द्वारा की गयी उसे एन०एस०डी०एल० को अंतरित किया गया। कर्मचारियों के यथोचित अंशदान और उसके समतुल्य सरकार के अंशदान नहीं होने के कारण और इस राशि को एन०एस०डी०एल० के चिह्नित कोष प्रबंधन को स्थानांतरित करने में असफल होने के कारण कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के लाभ से वंचित होना पड़ता है। कोष का कमतर स्थानांतरण एवं एन०पी०एस० अंशदान का अन्यत्र परिवर्तन से एन०पी०एस० कोष के दिवालियापन को संभावी बनाता है और साथ ही योजना भी अपने आप में असफल हो जाती है। इसी तरह किसी निजी कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष के प्रबंधन में इस तरह की अनियमितता के फलस्वरूप दण्ड का विधान किया जाता है।

2013–14 से 2016–17 के अवधि में कर्मचारियों के ₹ 1,172.15 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान ₹ 1,115.71 करोड़ ही थी, फलस्वरूप अंशदान में ₹ 56.44 करोड़ की कमी पायी गयी। यह न्यून अंशदान, जो ब्याज के साथ जुड़ता है, जिसका आकलन नहीं किया जा सका उससे इस योजना के लंबित पड़े दायित्वों का पता चलता है। इससे संबंधित वर्ष में राजस्व अधिशेष में अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति का परिणाम सामने आया।

उपरोक्त के अलावा ₹ 2,287.86 करोड़ के कुल अंशदान (कर्मचारियों और सरकार का वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक का हिस्सा) में से केवल ₹ 2,199.32 करोड़ की राशि ही एन0एस0डी0एल0 को स्थानांतरित की गयी और लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342 के अधीन ₹ 88.54 करोड़ की राशि शेष के रूप में रह गया।

2016–17 के दौरान ₹ 764.19 करोड़ के कुल अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने केवल ₹ 741.67 करोड़ की राशि ही एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित किया और ₹ 22.52 करोड़ की राशि शेष के रूप में रह गयी।

उपरोक्त न्यून अंशदानों और स्थानांतरणों के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को अपने उन अधिकारों से वंचित होना पड़ा जिसके अनुसार उनके जमाओं को न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत एन0एस0डी0एल0 के द्वारा निवेश किया जाना था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अविलंब इस तरह की कार्रवाई करने की पहल करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पूर्णतः नई पेंशन योजना का लाभ मिल सके। ऐसा पूर्णतः कर्मचारियों के अंशदान की कटौती एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान की कटौती कर राशि को पूर्णतः एन0एस0डी0एल0 को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

1.3.4.2 सभिसडी

वर्ष 2016–17 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 8,757 करोड़ (राजस्व प्राप्ति का 8 प्रतिशत) की राशि का भुगतान सभिसडी के रूप में किया। इसका विस्तृत वर्णन वित्त लेखे के परिशिष्ट-II में उपलब्ध है। कुल भुगतान किये गये सभिसडी में से ₹ 6,807.69 करोड़ ऊर्जा विभाग को किया, ₹ 976.89 करोड़ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को और ₹ 381.99 करोड़ उद्योग विभाग को किया गया।

1.3.5 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन आयाम निहित होते हैं, यथा व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ, जन–सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावकारिता (सेवाओं हेतु परिव्यय–परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.3.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2016–17 के दौरान पूँजीगत व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और विकासात्मक व्यय के संदर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.20 में किया गया है:

तालिका 1.20: वर्ष 2012–13 और 2016–17 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (जी0एस0डी0पी0 का प्रतिशतता)	ए.इ./ जी.एस.डी.पी.	डी.इ.#/ ए.इ.	एस.एस.इ./ ए.इ.	सी.इ./ ए.इ.	शिक्षा/ ए.इ.	स्वास्थ्य/ ए.इ.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012–13	14.80	70.00	38.20	13.70	17.70	4.60
बिहार का औसत (अनुपात) 2012–13	23.42	70.69	36.95	14.49	21.84	3.63
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2016–17	16.70	70.90	32.20	19.70	15.20	4.80
बिहार का औसत (अनुपात) 2016–17	27.87	73.20	36.31	22.29	16.57	4.50
ए.इ.— कुल व्यय, डी.इ.—विकासात्मक व्यय, एस.एस.इ.—सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.इ.—पूँजीगत व्यय						
#डी.इ.: विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।						

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जी0एस0डी0पी0 हेतु।)

तालिका से स्पष्ट है कि, विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि कुल व्यय में शिक्षा का अंश पाँच वर्षों की अवधि में 2016–17 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

1.3.6 व्यय की दक्षता

सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के संचालन हेतु पूँजीगत और राजस्व व्ययों का विवरण नीचे तालिका 1.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक संरचना	2015-16		2016-17	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश
सामान्य शिक्षा	2.77	23.77	3.38	22.59
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	23.86	52.57	15.85	48.34
जलाधार्पति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	18.23	6.28	15.05	3.12
कुल (सामाजिक सेवाएँ)	8.70	25.16	8.42	21.75
कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियाँ	14.68	14.64	5.30	22.71
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	59.40	56.96	63.14	56.91
विद्युत एवं ऊर्जा	31.23	0.00	42.71	0.00
परिवहन	72.06	13.94	75.81	12.98
कुल (आर्थिक सेवाएँ)	43.13	11.25	50.85	10.51
कुल (सामाजिक + आर्थिक सेवाएँ)	23.84	20.59	26.87	18.46

(योत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4 सरकारी व्यय एवं निवेश

1.4.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय से) के वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए इन परियोजनाओं से वसूली की दर निर्धारित की थी। वर्ष 2012–17 की अवधि के दौरान राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.22 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.22: सिंचाई परियोजनाओं से लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली का आकलन 13वें वित्त आयोग (2010–15)/14वें वित्त आयोग (2015–20)	राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय	लागत वसूली में अंतर	(प्रतिशत में)
						(₹ करोड़ में)
2012-13	661.18	22.30	45	3	42	
2013-14	724.69	23.52	60	3	57	
2014-15	680.96	21.34	75	3	72	
2015-16	846.14	31.11	35	4	31	
2016-17	680.98	28.23	35	4	31	

(योत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 13वें और 14वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

लागत वसूली में अंतर (31 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों, यथा झारखंड (8.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (-87 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।

⁶ वेतन एवं मजदूरी

1.4.2 अपूर्ण परियोजनाओं

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि अवरुद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। वित्त लेखे में शामिल अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण सारांशीकृत रूप में तालिका 1.23 में दी गई है:

तालिका 1.23: 31 मार्च 2017 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2017 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	21	792.27	416.24
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	58	206.25	110.22
पथ निर्माण	8	193.41	105.62
भवन निर्माण	29	1,022.42	853.55
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	10	15.70	8.83
ग्रामीण कार्य	2	2.81	1.84
राष्ट्रीय राजमार्ग	2	36.22	25.01
कुल	130	2,269.08	1,521.31

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का वित्त लेखा)

वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक पूर्ण होने वाली कुल 130 परियोजनाओं में से मात्र चार परियोजनाओं⁷ का ही लागत संशोधन किया गया। शेष 126 कार्यों⁸ की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 2,157.60 करोड़ थी उनका लागत संशोधन नहीं किया गया। फलस्वरूप, राज्य इन अपूर्ण परियोजनाओं के कारण एक वृहद गैर-आकलित दायित्वों का सामना कर रहा है।

अनुशंसा: वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके।

1.4.3 निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष 2012-17 के दौरान निवेश⁹ पर प्रतिलाभ की स्थिति तालिका 1.24 में दिया गया है।

तालिका 1.24: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	941.17	2,867.18	7,068.79	9,940.24	15,916.47
लाभांश / ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	2.55	2.53	2.58	14.84	3.73
लाभांश / ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.27	0.09	0.04	0.15	0.02
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर ¹⁰ (प्रतिशत)	5.79	6.28	6.19	6.09	5.90
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर (प्रतिशत)	5.52	6.19	6.15	5.94	5.88
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	51.95	177.48	434.73	590.45	935.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁷ जल संसाधन विभाग में तीन एवं सङ्केत निर्माण विभाग में एक।

⁸ वर्ष 2009-10 में एक, 2011-12 में पाँच, 2012-13 में एक, 2013-14 में 09, 2014-15 में 30, 2015-16 में 36 एवं 2016-17 में 48 कार्य पूरा होना शेष था।

⁹ स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों एवं बैंकों में।

¹⁰ औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान $\times 100$ / राजकोषीय उत्तरदायित्व।

सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश पर ₹ 2,190.50 करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सकता।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि निवेश पर खराब प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने नियमित रूप से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इकिवटी, ऋण, सहायता अनुदान, सब्सिडी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्रदान किया है, जिन कंपनियों में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने 10 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 4,476.54 करोड़ का बजटीय सहायता विस्तारित किया। इसमें से 2014–16 के दौरान 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 1,052 करोड़ दिया गया तथा 2016–17 के दौरान 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 1,414.79 करोड़ दिया गया जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक से अपूर्ण थे। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र के 10 अकार्यशील उपक्रमों को ₹ 1,007.23 करोड़ का बजटीय सहायता दिया गया। इसमें से 2014–15 से 2016–17 के दौरान तीन अकार्यशील कम्पनियों को ₹ 71.61 करोड़ दिया गया, जिसमें से ₹ 70.61 करोड़ दो कम्पनियों बी0एस0सी0सी0एल0 (₹ 1.34 करोड़) तथा बी0एस0सी0एल0 (₹ 69.27 करोड़) को ऋण एवं अनुदान के रूप में दिया गया। चूंकि इकिवटी और ऋणों से प्रतिलाभ की संभावना न के बराबर थी इस कारण यह राज्य सरकार के परिसंपत्तियों का गलत प्रस्तुतीकरण करती है। अकार्यशील कंपनियों को इस तरह के बजटीय सहायता पूरी तरह से सहायता अनुदान के रूप में किया जाना चाहिए।

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे इकाईयों का, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जिन इकाईयों के लेखे बकाये में हैं, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

1.4.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। यह विस्तृत रूप से **तालिका 1.25** में दिया हुआ है।

तालिका 1.25: लंबित ऋण एवं अग्रिम तथा बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष	18,525.76	20,587.01	21,379.35	20,255.00	20,857.73
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम की राशि	2,085.95	807.38	368.71	621.23	113.87
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	24.70	15.03	1,493.06 ¹¹	18.50	23.31
ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष	20,587.01	21,379.36	20,255.00	20,857.73	20,948.29¹²
बकाया ब्याज	2,145.04	3,017.55	3,017.55	5,478.14	6,652.60
बकाया ऋण तथा अग्रिम के सापेक्ष बकाया ब्याज की प्रतिशत	10.42	14.11	14.90	26.26	31.76

(नोट: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- (i) इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों में बढ़ कर 31 मार्च 2017 को यह ₹ 6,652.60 करोड़ हो गया।

¹¹ इसमें से ₹ 1,475 करोड़ का पुनर्भुगतान विहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया गया।

¹² स्वायत्त निकायों ₹ 13,376.82 करोड़, सरकारी कंपनियों ₹ 5,187.08 करोड़, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों/बैंकों ₹ 1,106.42 करोड़ एवं अन्य ₹ 1,277.97 करोड़।

सरकार द्वारा दी गई ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के भाग 1 में तथा ईकाईयाँ, का विवरण जिनका ऋणों का पुनर्भुगतान बाकी है, विवरणी 18 के भाग 2 में दिया गया है।

(ii) जैसा कि तालिका 1.26 में दर्शाया गया है, पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न ईकाईयों द्वारा बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्ति नहीं हुई।

तालिका 1.26: लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	वर्ष जब से कोई पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्त नहीं हुआ	लंबित ऋण एवं अग्रिम	बकाया ब्याज भुगतान
नगरपालिका / नगर परिषद / नगर निगम	2010-11	386.85	56.55
आवास बोर्ड	2012-13	127.47	0.00
पंचायती राज संस्थाएँ	2008-09	57.63	20.28
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	2005-06	0.85	0.00

(कोत: वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन ईकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम को बहु खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।

1.4.5 रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष 2016-17 के दौरान रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों के निवेशों का विवरण नीचे तालिका 1.27 में दिया हुआ है:

तालिका 1.27: रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों में रोकड़	00.00	00.00
रिजर्व बैंक के पास जमा	124.56	114.90
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	00.00	00.00
कुल	124.56	114.90
रोकड़ शेष निवेश खातों में किया गया निवेश	8,199.24	13,001.71
कुल (अ)	8,323.80	13,116.61
(ब) अन्य शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा वन तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	215.71	185.60
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	342.37	342.26
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	2,834.84	3,417.73
कुल (ब)	3,392.92	3,945.59
कुल योग (अ+ब)	11,716.72	17,062.20

(कोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अनुशंसा: राज्य सरकार को उच्च ब्याज दरों पर बाजार उधारी लेने से पहले अपने पास से रोकड़ शेषों का उपयोग करना चाहिए।

1.5 परिसंपत्ति एवं देयताएँ

1.5.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं में वृद्धि तथा इसके संघटक

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में अंचल सम्पत्तियों जैसे सरकारी भूमि और भवन का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है तथापि, ये वित्तीय देयताएँ के लेखांकन के व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। **परिशिष्ट 1.6**, 31 मार्च 2016 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2017 तक की इस प्रकार की देयताएँ तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखे एवं संचित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं जबकि परिसंपत्तियाँ में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

1.5.2 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छः आरक्षित निधियाँ¹³ हैं जैसा कि तालिका 1.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखे शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	2016-17 में प्राप्तियाँ	2016-17 में संवितरण	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ					
1	8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ (एस0डी0आर0एफ0)	1,408.43	492.00	1,204.03	696.39
(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ					
1	8222—निक्षेप निधि	0.00	582.89	582.89	0.00 ¹⁴
कुल		1,408.43	1,074.89	1,786.92	696.39

(योंते: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पिछले 16 से 17 वर्षों से चार आरक्षित निधियों यथा, मूल्य हास/नवीकरण आरक्षित निधियाँ, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि में कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अनुशंसा: वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अन्य दो आरक्षित निधियों से संबंधित प्राप्तियाँ तथा संवितरण का वर्णन नीचे किया गया है:-

1.5.2.1 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को सभी ऋणों के साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देयताओं इत्यादि के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना करनी चाहिए तथा इन निधियों का उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावे अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, वर्ष

¹³ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि एवं मूल्यहास/नवीनीकरण आरक्षित निधियाँ।

¹⁴ वित्त लेखे के विवरण 22 के अनुसार इन निधियों की राशि निवेशित है। निवेशित राशि 31 मार्च 2017 को निक्षेप निधि निवेश खाते का अंतिम शेष ₹ 3,417.63 करोड़ था।

के प्रारंभ में बकाया देयताओं के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान निर्धारित करने का दिशा—निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि का स्थापना किया जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था न कि सभी बकाया देयताओं के लिए। निधि का उपयोग वर्ष 2014–15 से प्रारंभ किया जाना था। हालांकि, 2014–17 के दौरान निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है।

1.5.2.2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन वर्ष 2010–11 में प्रारंभ किया। दिशा—निर्देशों के अनुसार, केंद्र तथा राज्य सरकार को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान देना है। योजना में यह भी वर्णन है कि निधि में अभिवृद्धि के साथ—साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय का निवेश केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम कोषागार विपत्रों, ब्याज अर्जक जमाओं एवं प्रमाण पत्रों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ निक्षेपों का प्रमाण पत्र तथा सहकारी बैंकों के साथ ब्याज अर्जक निवेशों में किया जाना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार ने इस निधियों को निवेश नहीं किया इसलिए निधि से कोई भी ब्याज अर्जित नहीं हो पायी। परिणामस्वरूप, निधि में शेष सिर्फ पुस्त प्रविष्टियों को दर्शाती है न कि वास्तविक नकद शेष।

1 अप्रैल 2016 को निधि का आदि शेष ₹ 1,408.43 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 492 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,204.03 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2017 को अंतिम शेष ₹ 696.39 करोड़ रह गया। पुनः सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 119.72 करोड़¹⁵ (रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार अधिविकर्ष पर लागू दर से) के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष ज्यादा तथा राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ जिसका वर्णन पैरा 3.12 में किया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संचालन से अब तक का अप्रदत्त ब्याज (₹ 931.04 करोड़) राज्य के अलेखांकित देयताओं को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वर्णित दिशा—निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेषों को ब्याज अर्जक जमाओं में निवेश करना चाहिए।

1.5.3 प्रत्याभूतियाँ

प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया था। राज्य सरकार इसके दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 32.69 करोड़ (वर्ष 2016–17 के प्रारंभ में ₹ 6,537.45 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही, परिणामस्वरूप 2016–17 के दौरान राजस्व अधिशेष बढ़ गया और राजकोषीय घाटा कम हो गया जैसा कि पैरा 3.12 में वर्णित है। 2009–10 से 2016–17 तक इस लेखा पर राज्य का कुल देयता ₹ 91.81 करोड़ था।

वित्त लेखे के विवरणी 9 के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.29 में दिया हुआ है।

¹⁵ निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार रेपो दर +02 प्रतिशत पर आकलित किया गया। वित्त लेखे में किये गये ब्याज गणना से भिन्न है, वहाँ ब्याज दर आर्थीपाय एवं अग्रिम (7.50 प्रतिशत) के औसत ब्याज दर पर आधारित है।

तालिका 1.29: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अधिकतम प्रत्याभूत राशि	2,046.44	2,586.84	5,314.84	9,396.62	13,053.04
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
वर्ष के अंत में प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1,089.23	1,090.23	2,000.90	4,720.78	4,459.58
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.44	3.75	6.78	9.78	12.36

(योतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अधिकतम प्रत्याभूत राशि में से ऊर्जा (₹ 8,885.85 करोड़), सहकारिता (₹ 1,268.84 करोड़), पथ एवं परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 183.57 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़) तथा अन्य (₹ 586.09 करोड़) संबंधित था। 2016-17 के दौरान कोई प्रत्याभूति मुक्त नहीं की गयी थी।

वर्ष 2012 से 2017 के दौरान, बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम से ₹ 4.01 करोड़¹⁶ की राशि का प्रत्याभूति शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ। बकाया प्रत्याभूतियों पर प्रत्याभूति शुल्क के बारे में कोई सूचना नहीं है।

1.6 ऋण प्रबंधन

1.6.1 उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

2012-17 के दौरान उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता का विवरण तालिका 1.30 में दिया हुआ है।

तालिका 1.30: उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	26,995	30,249	41,188	56,030	72,845
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	18,304	19,813	29,072	38,508	50,701
निवल निधि ¹⁷ उपलब्धता	4,263	4,977	5,988	10,424	13,953
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता का प्रतिशत	18.79	16.45	14.54	18.60	19.15

(योतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखे)

राज्य द्वारा ली गई उधार के निधियों में से 80 से 85 प्रतिशत की राशि का उपयोग उधारी के पुनर्भुगतान तथा इसके ब्याज अदायगी के रूप में किया जाता है, जो दर्शाता है कि राज्य द्वारा विकासात्मक क्रियाओं में कम खर्च किया जाता है। 2016-17 में लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ से निधि के निवल उपलब्धता का प्रतिशत 19.15 प्रतिशत था जबकि उत्तर प्रदेश में 25.75 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 30.54 प्रतिशत, झारखंड में 32.43 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 25.44 प्रतिशत था।

1.6.2 ऋण निर्वाहता

ऋण निर्वाहता भविष्य में ऋण के निर्वहन के लिए राज्य की योग्यता को इंगित करता है। तालिका 1.31 वर्ष 2012-13 के आरंभ से पाँच वर्षों की अवधि में ऋण निर्वाहता के सूचकांक को दर्शाता है।

¹⁶ 2014-15 के दौरान ₹ 1.63 करोड़, 2015-16 के दौरान ₹ 0.63 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 1.75 करोड़।

¹⁷ उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ—(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैर-योजना मुख्य शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।

तालिका 1.31 ऋण निर्वाहता : सूचकांक तथा प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उधार निधि के निवल उपलब्धता	4,263	4,977	5,988	10,424	13,953
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	10	10	10	8	8
राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
उदय को छोड़कर बकाया ऋण	76,503	86,939	99,056	1,16,578	1,36,390
उदय को छोड़कर बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.82	13.64	13.94	17.69	17.00
बकाया ऋण (राजकोषीय दायित्व)/उदय को छोड़कर जी०एस०डी०पी० (प्रतिशत में)	27.09	27.42	28.88	30.56	31.14
ब्याज भुगतान	4,428	5,459	6,129	7,098	8,191
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर	6.14	6.68	6.59	6.58	6.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.3. बाजार उधारी की परिपक्वता की रूपरेखा

राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा तालिका 1.32 में दिया हुआ है।

तालिका 1.32: राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता की रूपरेखा	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल	प्रतिशत (कुल के सापेक्ष)
0-1 वर्ष	3,462.47	759.07	4,221.54	3.82
1-3 वर्ष	16,289.15	2,347.62	18,636.77	16.89
3-5 वर्ष	12,477.74	1,544.92	14,022.66	12.71
5-7 वर्ष	18,722.39	1,527.18	20,249.57	18.35
7 वर्ष और अधिक	49,103.71	4,113.79	53,217.50	48.23
योग	1,00,055.46	10,292.58	1,10,348.04	100.00

(स्रोत: वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे)

1.6.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

उदय विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक पुनरुत्थान पैकेज है तथा यह विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय तथा परिचालन रूप से सक्षम बनाता है ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कर सकें। इस योजना के तहत, विद्युत कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) को राज्य अपने अधिकार में 30 सितम्बर 2015 (वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत) को लेगी। राज्य को ऋण का अधिग्रहण करने के लिए गैर-सांविधिक तरलता अनुपात बॉण्ड¹⁸ जारी करने तथा इसको अनुदान, ऋण तथा इक्विटी के रूप में विद्युत कंपनियों को हस्तांतरण करने की आवश्यकता है। पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार का दायित्व ₹ 2,331.78 करोड़ था।

विद्युत कंपनियों के पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार राज्य सरकार ने सब्सिडी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सहभागी ऋणदाता बैंकों को बॉण्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78 करोड़¹⁹) को अपने अधिकार में लिया।

¹⁸ सांविधिक तरलता अनुपात यह दर्शाता है कि वाणिजिक बैंकों को ग्राहकों को ऋण/साख देने से पहले इसको नकद, आरक्षित स्वर्ण एवं सरकार द्वारा अनुमोदित सिक्योरिटी के रूप में रखना आवश्यक है।

¹⁹ 2015-16 में ₹ 1,554.52 करोड़ (50 प्रतिशत) तथा 2016-17 में ₹ 777.26 करोड़ (25 प्रतिशत)।

डिस्कॉम को प्राप्त वित्तीय पैकेज का खण्डवार विश्लेषण तालिका 1.33 में दिया गया है।


तालिका 1.33: डिस्कॉम को वित्तीय पैकेज

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	सहायता की प्रकृति	राशि
1.	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	1,369.89
2.	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	961.89
	योग	2,331.78

1.7 अनुवर्ती

राज्य वित्त प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2008–09 से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती रही है। वर्ष 2016–17 के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा कोई अनुशंसा नहीं किया गया।



अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु करते हैं कि क्या बजट के अन्तर्गत विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के विनियोग अधिनियम की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है, संविधान के प्रावधान के तहत भारित होने वाला व्यय उसके अनुरूप भारित है एवं किया गया व्यय विधि सम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

बिहार सरकार का बिहार बजट मैनुअल यह निर्धारित करता है कि सभी अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग को चालू वर्ष के 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप मामले में अभ्यर्पण 31 मार्च तक अवश्य किया जाना चाहिए।

वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: प्रावधानों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कालम 5/कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत्त	I- राजस्व	1,17,566.78	87,326.86	(-) 30,239.92	20,422.79	15,842.62
	II- पूँजीगत	37,603.30	27,408.94	(-) 10,194.36	8,762.13	2,224.24
	III- ऋण एवं अग्रिम	655.67	113.87	(-) 541.80	539.27	439.16
	कुल दत्तमत्त	1,55,825.75	1,14,849.67	(-) 40,976.08	29,724.19	18,506.02
	72.54					
भारित	IV- राजस्व	9,258.09	8,934.08	(-) 324.01	46.92	46.65
	V- पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI- लोक ऋण पुनर्भुगतान	4,267.79	4,214.57	(-) 53.22	0.00	0.00
	कुल भारित	13,525.88	13,148.65	(-) 377.23	46.92	46.65
	12.44					
	महायोग	1,69,351.63	1,27,998.32	(-) 41,353.31	29,771.11	18,552.67
						71.99

नोट: कुल व्यय में ₹ 1,495.75 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 200.55 करोड़ के पूँजीगत व्यय की वसूली शामिल है।

(स्रोत: वर्ष 2016–17 का विनियोग लेखा)

₹ 41,353.31 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व भाग के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा 8 विनियोगों में ₹ 30,563.93 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत भाग के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के आठ अनुदानों (लोक ऋण पुनर्भुगतान) सहित 31 अनुदानों में ₹ 10,789.38 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई।

कुल बचत, कुल अनुदानों/विनियोगों का 24.42 प्रतिशत था। ₹ 41,353.31 करोड़ के कुल बचत में से केवल 71.99 प्रतिशत (₹ 29,771.11 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ तथा विभागीय नियंत्री

पदाधिकारियों द्वारा ₹ 11,582.20 करोड़ (कुल बचत का 28.01 प्रतिशत) को व्यपगत होने दिया गया। आगे, ₹ 18,552.67 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल अभ्यर्पण का 62.32 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन राशियों के उपयोग की गुंजाईश नहीं रही। यह एक गम्भीर चिंतनीय विषय है एवं प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

यद्यपि, वित्त विभाग ने राज्य के सभी 44 विभागों को बचत के कारणों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था (जनवरी 2018), केवल पाँच विभागों¹ ने जवाब दिया और बचतों को भारत सरकार द्वारा योजनाओं का अनुमोदन न मिलना, कुछ जिलों में धन की गैर निकासी एवं धारणाओं पर बजट अनुमानों की तैयारी को जिमेदार ठहराया। ब्याज भुगतान के तहत बचत का कारण ऋण की शेष राशि का एकमुश्त भुगतान, विदेशी मुद्रा की विनियम दर में उतार-चढ़ाव, जमीन्दारी बॉन्ड का दावा का अप्रस्तुतीकरण इत्यादि को बताया गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बजट अनुमानों को तैयार करते समय या वित्त विभाग द्वारा व्यय की मासिक समीक्षा के दौरान इनमें से कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए, राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखे जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर देना चाहिए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 पिछले वर्षों के अधिकाई व्यय का अपेक्षित नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिये यह अधिदेशात्मक है कि अनुदान/विनियोग में अधिकाई व्यय का नियमितीकरण राज्य विधायिका द्वारा किया जाए। यद्यपि, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों² से संबंधित ₹ 807.36² करोड़ की अधिकाई व्यय की राशि का नियमितीकरण नहीं किया। लंबित अधिकाई व्यय के नियमितीकरण की स्थिति को विस्तृत रूप से परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 807.36 करोड़ रूपये के अधिकाई व्यय के नियमितीकरण के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिए। भविष्य में इस प्रकार के अदत्तमत व्यय पूर्णतः रोक देने चाहिए सिवाय आपातकालीन विकट परिस्थिति के, जिसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से नहीं की जा सकती है।

2.3.2 बचत

28 अनुदान/विनियोगों से संबंधित बचत के 35 मामलों में, कुल प्रावधान (₹ 90,636.67 करोड़) में से ₹ 33,436.21 करोड़ (36.89 प्रतिशत), प्रत्येक ₹ 100 करोड़ एवं अधिक राशि के थे जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

₹ 1,000 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक के उल्लेखनीय बचत 11 अनुदानों में कुल ₹ 26,316.01 करोड़ (38.07 प्रतिशत) के हुए थे जिनको तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

¹ (i) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, (ii) सामान्य प्रशासन विभाग (iii) ग्रामीण कार्य विभाग, (iv) श्रम संसाधन विभाग और (v) वित्त विभाग।

² इसमें से पश्चापालन विभाग से संबंधित ₹ 657.98 करोड़, न्यायालय में विचाराधीन है।

³ 1977-78 (₹ 0.06 करोड़), 1978-79 (₹ 0.32 करोड़), 1982-83 (₹ 0.98 करोड़), 1984-85 (₹ 2.63 करोड़), 1987-88 (₹ 7.53 करोड़), 1988-89 (₹ 6.59 करोड़), 1989-90 (₹ 9.00 करोड़), 1990-91 (₹ 47.55 करोड़), 1991-92 (₹ 70.72 करोड़), 1992-93 (₹ 87.77 करोड़), 1993-94 (₹ 125.03 करोड़), 1994-95 (₹ 170.61 करोड़), 1995-96 (₹ 146.49 करोड़), 1996-97 (₹ 6.37 करोड़), 1998-99 (₹ 0.33 करोड़), 1999-00 (₹ 0.01 करोड़), 2003-04 (₹ 0.44 करोड़), 2004-05 (₹ 5.57 करोड़), 2010-11 (₹ 0.35 करोड़), एवं 2015-16 (₹ 119.01 करोड़)।

तालिका 2.2: ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक बचत के अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)


क्रम सं०	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	आधिक्य	बचत का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व							
1	1—कृषि विभाग	2,698.13	178.68	2,876.81	1,662.15	1,214.66	42.22
2	15—पेंशन	16,285.30	0.30	16,285.60	12,514.52	3,771.08	23.16
3	18—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,143.22	19.98	2,163.20	1,065.68	1,097.52	50.74
4	20—स्वास्थ्य विभाग	7,321.68	779.07	8,100.75	4,749.79	3,350.96	41.37
5	35—योजना एवं विकास विभाग	2,251.59	75.66	2,327.25	1,036.16	1,291.09	55.48
6	39—आपदा प्रबंधन विभाग	597.94	1,205.61	1,803.55	593.52	1,210.03	67.09
7	42—ग्रामीण विकास विभाग	5,434.94	4,842.57	10,277.51	5,809.16	4,468.35	43.48
8	48—नगर विकास एवं आवास विकास	3,409.36	1,213.38	4,622.74	3,377.92	1,244.82	26.93
9	51—समाज कल्याण विभाग	4,871.17	1,773.02	6,644.19	4,845.24	1,798.95	27.08
कुल राजस्व		45,013.33	10,088.27	55,101.60	35,654.14	19,447.46	35.29
(ब) पैंजी							
10	3—भवन निर्माण विभाग	2,560.46	317.81	2,878.27	1,340.46	1,537.81	53.43
11	10—ऊर्जा विभाग	9,017.69	2,126.65	11,144.34	5,813.60	5,330.74	47.83
कुल दत्तमत		11,578.15	2,444.46	14,022.61	7,154.06	6,868.55	48.98
कुल योग (अ+ब)		56,591.48	12,532.73	69,124.21	42,808.20	26,316.01	38.07

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2016-17)

₹ 1,000 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक के बचत के उल्लेखनीय मामले चार्ट 2.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2.1: 2016-17 के दौरान करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक बचत

(₹ करोड़ में)



2.3.3 सतत् बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 10 अनुदानों से संबंधित 11 मामलों में ₹ 70 करोड़ या उससे अधिक (मूल प्रावधान का 11.39 प्रतिशत से 69.33 प्रतिशत) की सतत् बचत ₹ 72.52 करोड़ से ₹ 3,350.96 करोड़ के बीच हुए, जैसा कि तालिका 2.3 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.3: 2012-13 से 2016-17 के दौरान सतत् बचत को इंगित करने वाले अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत						
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	426.49 (44.31)	607.69 (62.55)	211.60 (32.11)	188.32 (31.37)	133.54 (22.24)
2	12—वित्त विभाग	223.31 (31.97)	106.32 (27.48)	124.99 (45.19)	116.02 (45.17)	100.83 (38.82)
3	20—स्वास्थ्य विभाग	569.78 (22.26)	623.24 (22.30)	914.11 (21.60)	964.06 (21.44)	3,350.96 (41.37)
4	27—विधि विभाग	151.31 (26.11)	141.61 (22.78)	179.09 (26.60)	146.64 (22.14)	289.30 (34.98)
5	40—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	72.52 (14.96)	132.67 (21.20)	224.14 (31.73)	238.37 (32.74)	363.64 (44.40)
6	41—पथ निर्माण विभाग	109.32 (16.45)	413.22 (32.96)	359.65 (28.57)	117.63 (11.39)	222.55 (17.66)
7	50—लघु जल संसाधन विभाग	92.81 (25.99)	668.14 (66.10)	375.42 (57.59)	359.97 (51.86)	102.64 (30.00)
	कुल	1,645.54	2,692.89	2,389.00	2,131.01	4,563.46
पूँजीगत दत्तमत						
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
8	3—भवन निर्माण विभाग	722.07 (69.33)	659.52 (40.88)	1,719.79 (60.50)	1,347.14 (45.12)	1,537.81 (53.43)
9	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	265.47 (50.66)	97.55 (13.62)	601.57 (40.46)	432.15 (35.84)	580.58 (33.28)
10	49—जल संसाधन विभाग	672.73 (27.47)	1,853.56 (53.61)	1,262.62 (50.27)	251.54 (14.48)	511.32 (23.38)
11	50—लघु जल संसाधन विभाग	127.24 (43.26)	108.10 (35.51)	181.00 (50.03)	122.14 (37.85)	161.05 (56.45)
	योग	1,787.51	2,718.73	3,764.98	2,152.97	2,790.76
	कुल योग	3,433.05	5,411.62	6,153.98	4,283.98	7,354.22

(स्रोत : वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए की सभी अनुमानित बचतों का ससमय अभ्यर्पण किया जाए ताकि निधि का उपयोग विकास के अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

2.3.3.1 सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत योजनाओं में सतत् बचत

योजना मद के अंतर्गत आने वाली सामाजिक एवं आर्थिक सेवा की योजनाओं में पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) की बचतों (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) के विश्लेषण से यह पता चला कि सतत् बचत मुख्यतः शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित है जिसे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.4: शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2014-15 से 2016-17 दौरान
सतत बचत के शीर्षों की सूची**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान	बचत
1	2202-01-109-0102— मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	254.00	45.87 (18.06)	308.93	60.37 (19.54)	280.00	117.37 (41.92)
2	2202-01-109-0103— मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिमाण	58.45	41.16 (70.42)	58.45	11.97 (20.48)	25.00	21.20 (84.80)
3	2202-01-789-0102— मुख्यमंत्री पोशाक योजना	72.80	28.76 (39.51)	190.00	76.99 (40.52)	52.00	10.12 (19.46)
4	2202-02-107-0108— अन्य विद्यालय	311.28	122.90 (39.48)	175.42	31.27 (17.83)	287.22	156.53 (54.50)
5	2202-02-110-0209— मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की योजना	180.56	180.56 (100.00)	180.56	164.92 (91.34)	33.33	33.33 (100.00)
6	2202-02-196-0001— जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों के समेकित अनुदान	311.66	83.50 (26.79)	489.84	143.01 (29.19)	753.86	156.64 (20.78)
7	2202-03-102-0323— राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	144.00	140.00 (97.22)	75.00	62.67 (83.56)	40.00	35.60 (89.00)
8	2202-03-107-0104— मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	48.05	10.41 (21.66)	64.62	41.64 (64.44)	35.00	15.00 (42.86)
9	2202-04-200-0203— अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	210.62	170.96 (81.17)	106.20	39.87 (37.54)	65.00	41.59 (63.98)
10	2202-80-001-0102— राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	32.63	28.07 (86.03)	31.25	20.59 (65.89)	18.83	15.51 (82.37)

(कोष्टक में आँकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशता को दर्शाते हैं।)

(स्रोत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के विस्तृत विवियोग लेखा)

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 20.59 से लेकर ₹180.56 करोड़ (66 से 100 प्रतिशत) के उल्लेखनीय बचत देखे गए जो मदरसों, अल्पसंख्यकों और अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय में प्रदर्शित हुए।

अनुशंसा: वित्त विभाग को शिक्षा विभाग की प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधानों के विरुद्ध सतत बचत की पुनरावृत्ति न हो।

2.3.4 अनावश्यक पूरक प्रावधान

2016-17 के दौरान, 46 मामलों (37 अनुदानों/विवियोगों) में ₹ 11,677.83 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि परिणिष्ठ 2.3 में प्रदर्शित है।

2.3.5 निधि का अत्यधिक /अनावश्यक पुनर्विनियोजन

19 अनुदानों/विवियोगों से संबद्ध 57 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 278.12 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 596.80 करोड़ था (परिणिष्ठ 2.4)। यह भी देखा गया कि 15 अनुदानों/विवियोजन में शामिल 36 विस्तृत शीर्षों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 691.68 करोड़ प्रदान किया गया जो कि ₹ 107.13 करोड़ की बचत के संदर्भ में अत्यधिक साबित हुआ

(परिशिष्ट 2.5)। यह इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त 10 मामलों में ₹ 43.88 करोड़ का अधिकाई व्यय था, जिसे आंशिक रूप से ₹ 259.75 करोड़ रूपये के पुनर्विनियोजन के माध्यम से अविवेकपूर्ण निकासी को सहायक माना जा सकता है, जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.5 में है।

तालिका 2.5: निधि का पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	अनुदान सं	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अधिक व्यय
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	2403-00-103-0003-रेज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र, केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	5.20	0.06	1.07	4.13	0.06
2	03	4059-01-051-0101- भवन	216.43	1.20	89.57	126.16	0.50
3	08	2205-00-107-0001-संग्रहालय	20.73	3.34	6.36	11.07	0.04
4	16	2515-00-107-0003-जिला पंचायत की स्थापना	267.31	0.55	95.65	171.63	0.52
5		2515-00-198-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	1,654.25	241.43	58.28	1,385.49	30.95
6	23	2851-00-789-0104-हस्तकरघा विकास योजना	14.80	3.70	10.34	4.46	3.70
7	26	2230-03-101-0001-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का राज्य परिषद प्रशासन	46.24	0.05	7.26	38.94	0.01
8	44	2225-01-277-0011-छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन	10.85	1.27	8.78	0.85	0.05
9	51	2235-02-104-0104-बिहार सामाजिक सुरक्षा परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	95.80	8.00	0.00	95.80	8.00
10		2235-02-106-0001-सुधार गृह	5.77	0.15	3.22	2.45	0.05
योग			2,337.38	259.75	280.53	1,840.98	43.88

(योतः वर्ष 2016-17 का अनुदान अंकेक्षण पंजी एवं विस्तृत विवियोग लेखा)

इसी प्रकार, 27 अनुदानों के अंतर्गत 68 मामलों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से (₹ 484.91 करोड़) की अपर्याप्त निकासी के परिणामस्वरूप ₹ 1,260.86 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में दिखाया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को अनुदान नियंत्री पदाधिकारियों के पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव से केवल तभी सहमत होना चाहिए यदि व्यय की प्रवृत्ति इन्हें संतुष्ट करती हो।

2.3.6 वृहत् अभ्यर्पण

26 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 126 मामलों में कुल प्रावधान ₹ 18,806.05 करोड़ में से ₹ 14,426.57 करोड़ (76.71 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये (प्रत्येक मामले में ₹ 5 करोड़ या कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) जैसा कि परिशिष्ट 2.7 में दर्शाया गया है। आगे, 35 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत

186 लेखा शीर्षों में शत्-प्रतिशत निधि (₹ 3,421.66 करोड़⁴) का अभ्यर्पण हुआ (परिशिष्ट 2.8)। इस तरह के पर्याप्त अभ्यर्पणों से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर छूक हुआ।

विभाग द्वारा राशियों के अभ्यर्पण का कारण, योजना परिव्यय में संशोधन, केन्द्रांश तथा प्रशासनिक अनुमोदन की अप्राप्ति, पर्याप्त राशि की स्वीकृति न होना, नियुक्तियों/स्थानान्तरणों के पूर्वानुमान में असमर्थता तथा नोडल एजेंसियों से राशि की अप्राप्ति एवं अन्य को बताया गया।

2.3.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

10 विभागों में कुल बचत ₹ 2,212.84 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,292.84 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 80 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जैसा कि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण इंगित करता है कि विभागों ने मासिक व्यय विवरण से व्यय के प्रवाह को देखकर समुचित बजटीय नियंत्रण नहीं किया।

तालिका 2.6: वर्ष 2016–17 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व दत्तमत					
1	02—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	600.34	133.54	134.52	0.98
2	16—पंचायती राज विभाग	7,386.33	919.67	944.66	24.99
3	30—अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	162.86	8.79	9.14	0.35
4	33—सामान्य प्रशासन विभाग	673.41	169.23	170.34	1.11
5	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	434.32	87.12	90.31	3.19
6	43—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	101.06	20.98	21.06	0.08
7	50—लघु जल संसाधन विभाग	342.12	102.64	103.22	0.58
कुल राजस्व		9,700.44	1,441.97	1,473.25	31.28
पूँजीगत दत्तमत					
1	20—स्वास्थ्य विभाग	1,120.29	261.23	266.74	5.51
2	23—उद्योग विभाग	127.40	1.87	2.34	0.47
3	41—पथ निर्माण विभाग	5,784.91	442.80	485.09	42.29
4	43—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	378.32	64.97	65.42	0.45
कुल पूँजीगत		7,410.92	770.87	819.59	48.72
महायोग		17,111.36	2,212.84	2,292.84	80.00

(स्रोत: वर्ष 2016–17 का विनियोग लेखा)

2.3.8 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

बिंब०मै० के नियम 104 के अनुसार व्यय विभागों को, जब बचत का पूर्वानुमान हो तब अनुदानों/विनियोजनों को या उसके हिस्से को वित्त विभाग को अभ्यर्पण करना आवश्यक है। यद्यपि, वर्ष 2016–17 के अंत में 12 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 17 मुख्य शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ ५ लाख करोड़ या अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा) ₹ 8,998.92 करोड़ की बचत हुई जिसके किसी भी हिस्से का अभ्यर्पण व्यय करने वाले विभाग द्वारा नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.9 में है।

⁴ प्रत्येक मामले में ₹ ५ लाख से अधिक।

इसके अतिरिक्त, 34 अनुदानों / विनियोजनों के अन्तर्गत 70 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत) कुल प्रावधान (₹ 63,016.77 करोड़) में से ₹ 17,354.26 करोड़ (27.54 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.10 में है।


अनुशंसा: वित्त विभाग को निधियों का ससमय अभ्यर्पण सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा अभ्यर्पण को कमतर करने के लिए ससमय बजट जारी करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

2.3.9 सघन व्यय

विंब०मै० यह निर्धारित करता है कि विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्याधीन राशि अक्सर फिजूलखर्चों और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है। व्यय का एक समान प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

17 विभागों में, अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय (₹ 19,036.99 करोड़) वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ 27,738.38 करोड़) का 68.63 प्रतिशत था एवं मार्च 2017 का व्यय (₹ 14,175.07 करोड़) कुल व्यय का 51.10 प्रतिशत था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में है। इनमें से 17 विभागों द्वारा मार्च 2017 में ₹ 76.66 करोड़ का आहरण आकस्मिक सार विपत्रों द्वारा किया गया जो यह दर्शाता है कि यह बजटीय प्रावधान को निःशेष करने के लिए किया गया था एवं वास्तविक बचत दर्शाए गए से अधिक है। आगे, छ: विभागों के कुल व्यय (₹ 20,047.98 करोड़) में से ₹ 11,353.79 करोड़ (56.49 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2017 में किया गया जैसा कि चार्ट 2.2 में प्रदर्शित है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2016-17 के दौरान सघन व्यय



(स्रोत: 2016-17, वित्त लेखे, विहार सरकार)

वित्त विभाग ने कहा कि (मार्च 2018) भारत सरकार से अनुदान की अधिकतम राशि वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही में प्राप्त हुआ एवं तत्पश्चात ही उससे संबंधित व्यय को, केन्द्रीय योजनाओं के उपर्युक्त राज्यांश के साथ किया गया। आगे यह कहा गया कि नई योजनाओं के विलंब से अनुमोदन एवं दिसंबर में द्वितीय अनुपूरक बजट तथा मार्च में तृतीय अनुपूरक बजट अनुमोदित होने के फलस्वरूप व्यय, वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही एवं मार्च में किया गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय योजनाओं के राज्यांश को कार्यहित में केन्द्रांश का इंतजार किए बिना जारी किया जा सकता था। आगे नई योजनाओं की स्वीकृति वर्ष के अंतिम तिमाही तक इंतजार किए बिना ही किया जा सकता था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में सघन व्यय के नियंत्रण हेतु नियमों का निर्धारण करना चाहिए।

2.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि को स्थापित किया गया।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2016 से 30 मार्च 2017 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थाई रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5,787.85 करोड़ कर दिया जो कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए, जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। तुलना करने पर, भारत सरकार की आकस्मिकता निधि कोष पूर्ववर्ती 12 वर्षों से ₹ 500 करोड़ पर बना रहा है। पड़ोसी राज्यों के आकस्मिकता निधि भी काफी कम⁵ रहे थे।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,416.63 करोड़ की राशि के 136 आहरण किये जिसमें से कुल ₹ 2,726.35 करोड़ (61.73 प्रतिशत) के 61 आहरण संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध गैर-आकस्मिक व्यय (परिशिष्ट 2.12) के लिए किया जैसा कि चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: आकस्मिक निधि से गैर आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)



⁵ उत्तर प्रदेश : ₹ 600 करोड़, मध्य प्रदेश एवं झारखंड : ₹ 500 करोड़।

जवाब में वित्त विभाग ने कहा (सितम्बर 2017) कि ऐसे व्यय को अदा किया गया जिसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था तथा विधायिका सत्र में नहीं थी; व्यय को बाद में विधायिका द्वारा नियमित किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह निम्नलिखित बजटीय सिद्धान्त एंवं विधायी नियंत्रण का उल्लंघन करता है :

(i) संघ और राज्यों के लिए आकस्मिक निधि का स्थापना का आधारभूत संवैधानिक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि ऐसी निधि को तत्कालिक अप्रत्याशित व्यय के निपटान हेतु कार्यकारी पदाधिकारियों को सौंपा गया है। चार्ट 2.3 में दर्शाया गया ₹ 2,726.35 करोड़ का व्यय संवैधानिक प्रावधानों या बिहार विधान मंडल के शर्तों का अनुपालन नहीं करता।

(ii) आकस्मिकता निधि से की गई निकासी के पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं पर राहत एंवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश को पूरा करने के लिए साल दर साल अस्थाई रूप से निधि में लगातार वृद्धि⁶ की गई। यद्यपि, आकस्मिकता निधि से पिछले पाँच वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय, 0.02 से 37.67 प्रतिशत के बीच रहा जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2012-13	2,536.92	0.48	0.02
2	2013-14	1,141.58	430.00	37.67
3	2014-15	1,875.84	204.52	10.90
4	2015-16	6,117.60	2,205.00	36.04
5	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52

(iii) आगे, निधियों के मुख्य भाग⁷ का उपयोग गैर-आकस्मिक व्ययों यथा मोटर गाड़ियों की खरीद, वेतन/पेंशन के भुगतान इत्यादि पर किया गया। इस प्राकर के नियमित व्ययों के लिए बजटीय प्रावधान करना और वार्षिक बजट प्रक्रिया में ही परिकल्पित व्ययों को पूर्व में ही पारित कराना वित्त विभाग पर निर्भर करता है जैसा कि संविधान में परिकल्पित है। वित्त विभाग इन संवैधानिक प्रावधानों के पालन में असफल रहा और आकस्मिकता निधि का प्रयोग अग्रदाय खाते के रूप में होता रहा।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृहद वार्षिक वृद्धि के प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल “तत्कालिक आकस्मिक व्यय” को पूरा करने के लिए किया जाए जैसा कि संविधान एंवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है। वित्त विभाग को आकस्मिकता निधि से किये गये व्यय के नियमितीकरण के समय इन शर्तों के सभी उल्लंघन को विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना चाहिए।

⁶ वर्ष 2012-13 में ₹ 2,600 करोड़, वर्ष 2013-14 में ₹ 1800 करोड़, वर्ष 2014-15 में ₹ 2,000 करोड़, वर्ष 2015-16 में ₹ 4,827.41 करोड़ एंवं वर्ष 2016-17 में 5,787.85 करोड़ तक बढ़ाया गया।

⁷ 2012-13 में ₹ 2,470.56 करोड़ (97 प्रतिशत), 2013-14 में ₹ 689.79 करोड़ (60 प्रतिशत) 2014-15 में 1,667.15 करोड़ (89 प्रतिशत) एंवं 2015-16 में ₹ 2,927.07 करोड़ (61 प्रतिशत)।

2.5 बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

बिहार कोषागार संहिता, 2011 यह निर्धारित करता है कि माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत से बचाने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं किया जाएगा तथा अव्ययित शेष को उसी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में लौटा देना चाहिए।

नमूना जाँच (2016-17) से पता चला कि 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान 25 मामलों में सार आकस्मिक बिलों पर ₹ 15.98 करोड़ का आहरण हुआ था। इनमें से ₹ 5.77 करोड़ की राशि एक वर्ष और पाँच माह से आठ वर्ष और सात माह की अवधि तक प्रतिधारण के बाद प्रेषित किया गया (परिशिष्ट 2.13)।

आगे, वर्ष 2004-05 से 2014-15 की अवधि के दौरान 7 मामलों में सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 7.19 करोड़ की संपूर्ण राशि को नौ माह से 10 वर्ष एवं 10 माह की अवधि तक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (परिशिष्ट 2.14)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में अव्ययित शेषों का हस्तांतरण नहीं करने से लोक निधियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन का जोखिम रहता है।


अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण नहीं हो। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए सार आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण करते हैं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अव्ययित शेषों को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करते हैं।

2.6 असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

प्रत्येक वर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बजट नियंत्री पदाधिकारियों को, बिंबोमै० की शर्तों को बारम्बार दुहराते हैं कि वे अपने प्राप्तियों एवं व्यय के मासिक एवं त्रैमासिक आंकड़ों को महालेखाकार (ले० एवं हक०) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान कर लें।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि, विभागाध्यक्षों ने 2016-17 के दौरान 26 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,05,584.99 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 25,430.49 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) की प्राप्तियों तथा 87 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय (₹ 1,21,213.47 करोड़) में से ₹ 1,00,816.53 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिकाओं से नहीं किया (परिशिष्ट 2.15)। 7 प्राप्तियों एवं 7 व्यय शीर्षों⁸ से संबंधित असमाशोधन के महत्वपूर्ण मामलों को क्रमशः चार्ट 2.4 एवं 2.5 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.4: असमाशोधित प्राप्तियाँ



(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

⁸ मांग शीर्षों के अंतर्गत 6 विभाग एवं व्यय शीर्षों के अंतर्गत 16 विभाग।

चार्ट 2.5: असमाशोधित व्यय



(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

अनुशंसाएँ: वित विभाग को एक क्रियाविधि विकसित कर इसे नियंत्रणी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान कर लें।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या. 20—“स्वास्थ्य विभाग” एवं अनुदान संख्या 46—“पर्यटन विभाग” से संबंधित बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (अगस्त एवं सितम्बर 2017) की गई। समीक्षा के परिणाम निम्नवत् है :

2.7 अनुदान संख्या-20 “स्वास्थ्य विभाग” की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान अनुदान संख्या 20—स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पाँच मुख्य शीर्ष (2210, 2211, 2235, 2251 एवं 4210) संचालित थे जिसे तालिका 2.8 सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.8: 2016–17 के लिए सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन (1)	मूल प्रावधान (2)	पूरक प्रावधान (3)	कुल प्रावधान (4)	कुल व्यय (5)	बचत (6)	प्रतिशतता में बचत (7)
राजस्व	7,321.68	779.07	8,100.75	4,749.79	3,350.96	41.37
पैंजीगत	913.01	207.28	1,120.29	859.06	261.23	23.32
योग	8,234.69	986.35	9,221.04	5,608.85	3,612.19	39.17

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

2.7.1 वृहत् बचत्

राजस्व भाग में वृहत् बचत मुख्यतः सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों, टी0बी0 एवं कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उप-केन्द्रों इत्यादि के अंतर्गत था। पूँजीगत भाग में बचत मुख्यतः इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय एवं ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के भू-अर्जन इत्यादि के अंतर्गत था।

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

अनुशंसा : चूँकि, स्वास्थ्य विभाग अनुदान में वृहत् बचत, नियमित लक्षणों में से है, वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग को मिलकर अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वृहत् बचत की पुनरावृत्ति ना हो।

2.7.2 अनावश्यक एवं अत्यधिक पूरक प्रावधान

2.7.2 वर्ष 2016–17 के दौरान, मुख्य शीर्ष 2210 एवं 2211 के अंतर्गत ₹ 103.08 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय (₹ 1,163.26 करोड़), मूल प्रावधान (₹ 1,293.65 करोड़) के स्तर तक नहीं आया था। आगे, मुख्य शीर्ष 2210 के अंतर्गत ₹ 2.44 करोड़ का पूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 18.45 करोड़ का व्यय मूल प्रावधान (₹ 18.40 करोड़) से सिर्फ ₹ 5 लाख अधिक था जैसा कि परिशिष्ट 2.16 में विस्तृत है।

जवाब में, स्वास्थ्य विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि अपरिहार्य कारणों से पूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर अस्पष्ट एवं अस्वीकार्य है क्योंकि अनुपयोगित पूरक प्रावधान, जिसका एक बड़ा भाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए था, का सुस्पष्ट कारण विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए।

2.7.2 अनावश्यक पुनर्विनियोजन

यद्यपि, आठ मामलों में ₹ 2.47 करोड़ का पुनर्विनियोग हुआ जबकि ₹ 65.72 करोड़ का वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान के अंतर्गत था, जैसा कि तालिका 2.9 में विस्तृत है।

तालिका 2.9: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—001—निदेशन एवं प्रशासन—0001—स्वास्थ्य निदेशालय	20.84	0.56	18.45
2.	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल एवं औषधालय—0010—इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान	32.92	0.34	24.96
3	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल एवं औषधालय—0011—संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.02	2.10
4	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल एवं औषधालय—0012—राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	4.76	0.06	4.47

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—05—स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान—105—एलोपैथी—0009—दन्त महाविद्यालय, पटना	5.64	0.94	3.93
6	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—003—प्रशिक्षण—0002—लोक स्वास्थ्य संस्थान	15.56	0.38	8.29
7	2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ—00—090—सचिवालय—007—स्वास्थ्य विभाग	4.44	0.02	3.52
8	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय—02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—050—भूमि—0101—ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के लिए भू—अर्जन	0.00	0.15	0.00
कुल		86.78	2.47	65.72

(ओत: विस्तृत विवियोग लेखा एवं अनुदान लेखापरीक्षा पंजी वर्ष 2016-17)

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

2.7.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

स्वास्थ्य विभाग ₹ 1,416.65 करोड़ की राशि का उपयोग करने में असमर्थ रहा तथा उसे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया (वर्ष के दौरान विभाग द्वारा अभ्यर्पित कुल राशि का 41.86 प्रतिशत) जैसा कि परिशिष्ट 2.17 में विस्तृत है, जिसे टाला जा सकता था यदि स्वास्थ्य विभाग, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत मासिक व्यय प्रतिवेदनों को व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण हेतु इस्तेमाल करती।

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

2.7.5 निधियों का पचास से सौ प्रतिशत तक अभ्यर्पण

तीन मुख्य शीर्षों (2210, 2235 तथा 4210) के अंतर्गत 11 विस्तृत शीर्षों से संबंधित राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा चिकित्सीय औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, असंगठित श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य एवं लोक शिक्षा में मानव संसाधन इत्यादि का ₹ 574.17 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे अभ्यर्पित किया गया। आगे, तीन मुख्य शीर्षों (2210, 2211 एवं 4210) के अंतर्गत 12 मामलों में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मानसिक अस्पताल, नवीन चिकित्सीय महाविद्यालय, पराचिकित्सीय संस्थान आदि से संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,179.25 करोड़ (₹ 3,034.55 करोड़ के कुल आवंटन का 71.81 प्रतिशत तथा आवंटन का 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच) वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.18 में विस्तृत है।

स्वास्थ्य विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

अनुशंसाएँ: स्वास्थ्य विभाग को अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ससमय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु उपायों की पहल करनी चाहिए जिससे कि आवंटित निधि का उपयोग हो सके।

2.8 अनुदान संख्या-46 “पर्यटन विभाग” की समीक्षा

पर्यटन विभाग से संबंधित अनुदान के अंतर्गत संचालित तीन मुख्य शीर्षों (3451, 3452 एवं 5452) की स्थिति तालिका 2.10 में दर्शाया गया है जो निम्नवत है।

तालिका 2.10: वर्ष 2016-17 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्रावधान	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	बचत (प्रतिशतता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व	31.78	69.16	100.94	88.67	12.27	12.16
पूँजीगत	640.71	43.00	683.71	63.07	620.62	90.77
कुल	672.49	112.16	784.65	151.76	632.89	80.66

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2016-17)

2.8.1 वृहत् बचत

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 100.94 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध सिर्फ ₹ 88.67 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.27 करोड़ (कुल प्रावधान का 12.16 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत मुख्यतः 'पर्यटन केन्द्र एवं पर्यटन विकास' से संबंधित योजनाओं के शीर्षों के अंतर्गत था। पूँजीगत भाग के अंतर्गत ₹ 683.71 करोड़ के प्रावधान में राज्य योजना (₹ 70.51 करोड़) तथा केन्द्रीय योजना (₹ 613.20 करोड़) शामिल था। राज्य योजना के विरुद्ध सिर्फ ₹ 63.09 करोड़ व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप 'पर्यटन संरचना का विकास' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7.42 करोड़ की बचत हुई। केन्द्रीय योजना में प्रदत्त ₹ 613.20 करोड़ में से ₹ 576.54 करोड़ एवं ₹ 36.66 करोड़ क्रमशः स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजना के लिए था। यद्यपि, इन योजनाओं के लिए आवंटित निधि (₹ 613.20 करोड़) को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2017 तक जारी नहीं किया गया था।

पर्यटन विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)

2.8.1 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण

पाँच विस्तृत शीर्षों से संबंधित ₹ 168.11 करोड़ के कुल प्रावधानों में से ₹ 12.67 करोड़ (कुल प्रावधान का 7.54 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया जो तालिका 2.11 में विस्तृत है।

तालिका 2.11: वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ—00—090— सचिवालय—0015—पर्यटन विभाग	2.61	0.36
2.	3452—पर्यटन—01—पर्यटन अवसंरचना—101—पर्यटन केन्द्र—0001—पर्यटन केन्द्र	50.98	2.95
3	3452—पर्यटन—80—सामान्य—001—निदेशन तथा प्रशासन—0001 — निदेशालय	16.51	1.31
4	3452—पर्यटन—80—सामान्य— 104—पदोन्नति एवं प्रचार — 0103— पर्यटन विभाग	27.50	6.47
5	5452—पर्यटन पर पूँजी परिव्यय—01—पर्यटन अवसंरचना—101—पर्यटन केन्द्र — 0104— पर्यटन संरचनाओं का विकास	70.51	1.58
	कुल	168.11	12.67

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, वर्ष 2016-17)

2.8.3 अनावश्यक पूरक प्रावधान

मुख्य शीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण-0101-बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ₹ 1.00 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि संपूर्ण प्रावधान को व्यय किये बिना ही अभ्यर्पित कर दिया गया।

पर्यटन विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि अपरिहार्य कारणों से राशि का उपयोग नहीं किया गया।

जवाब अस्पष्ट एवं अस्वीकार्य हैं क्योंकि अनुपयोगित पूरक प्रावधान का सुस्पष्ट कारण विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए।

2.8.3 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

53 सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित ₹ 57.01 करोड़ में से सिर्फ ₹ 17.53 करोड़ के 24 विस्तृत आकस्मिक विपत्र मार्च 2017 तक प्रस्तुत एवं अंशतः समायोजित किया गया। 2006-07 से 2015-16 की अवधि के दौरान निधियों का आहरण मुख्यतः गया में पर्यटक परिसर का निर्माण, बोध गया में माया सरोवर का विकास, राजगीर में इंद्राशन हॉल एवं सम्मेलन हॉल के नवीकरण, राजगीर में ब्रह्म कुंड का विकास एवं भू-अर्जन इत्यादि के लिए किया गया था। ₹ 39.48 करोड़ के 52 विस्तृत आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2017 तक समायोजन हेतु लंबित थे जैसा कि तालिका 2.12 में विस्तृत है।

विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का निर्धारित अवधि तक अप्रस्तुतिकरण से वित्तीय नियमों का उल्लंघन तथा लोक धन के दुर्विनियोजन एवं अहितकर परंपराओं के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

तालिका 2.12 : लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		प्रस्तुत विस्तृत आकस्मिक विपत्र		लंबित सार आकस्मिक विपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(1)
1	2006-07	5	3.81	4	2.28	5	1.53
2	2007-08	2	0.62	2	0.43	2	0.19
3	2009-10	3	2.26	3	0.77	3	1.49
4	2010-11	2	1.05	1	0.19	2	0.86
5	2011-12	2	2.33	0	00	2	2.33
6	2012-13	17	26.28	12	13.61	16	12.67
7	2013-14	2	0.51	0	00	2	0.51
8	2014-15	18	17.67	2	0.25	18	17.42
9	2015-16	2	2.48	0	00	2	2.48
कुल योग		53	57.01	24	17.53	52	39.48

(स्रोत: पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

अनुशंसा : स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग को व्यय के लक्षानों का निगरानी करना चाहिए ताकि बचत कमतर किया जा सके, निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण न किया जाए एवं अतिशीघ्र अभ्यर्पित किया जाय।

अध्याय-III
वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं राज्य सरकार द्वारा इसके अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते का उपयोग समेकित निधि से इन खातों में निधि स्थानांतरित कर उन विशेष मामले में उपयोग किया जाता है जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो तथा जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो या लघु लाभार्थियों की बड़ी संख्या दूर-दूर तक बिखरी हुई हो जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष व्ययन व्यवहार्य न हो। पी0डी0 के प्रशासकों को वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खाते की समीक्षा करना है तथा तीन लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी)¹ तक की अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष के व्यय में कटौती कर समेकित निधि में वापस कर देना अपेक्षित है।

पी0डी0 खातों को उसके प्रशासक के नाम से कोषागार में रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग की सहमति और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को सूचित कर खोले जाते हैं। 74 कोषागारों द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 18 कोषागारों² में पी0डी0 खाते संधारित नहीं हैं। 31 मार्च, 2017 तक 177 पी0डी0 खातों में ₹ 4,373.65 करोड़ अवशेष था। वर्ष के दौरान एक पी0डी0 खाता खोला गया और एक को बंद किया गया।

3.1.1 अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते

38 कोषागारों में 177 व्यक्तिगत जमा खातों में से 60 खाते विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है। इन 60 अपरिचालित पी0डी0 खातों में से 59 में शेष शून्य और एक पी0डी0 खाता जो जिलाधिकारी पटना से संबंधित था उसमें ₹ 0.66 करोड़ की राशि मार्च 2017 के अन्त तक अव्यवहृत थी।

कोषागार पदाधिकारियों ने पी0डी0 खातों में लगातार पाँच वित्तीय वर्षों तक अव्ययित राशि की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिसको संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय की कमी के द्वारा समेकित निधि को वापस कर देना अपेक्षित है। विभागीय पदाधिकारियों ने भी महालेखाकार द्वारा संधारित लेखों से शेषों का सत्यापन अथवा मिलान नहीं किया।

पी0डी0 खातों के शेष राशि का समय-समय पर असमाशोधन और पी0डी0 खातों में पड़े अव्ययित राशि को वर्ष के अन्त तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) सभी पी0डी0 खाते, जिनमें शून्य/न्यूनतम शेष राशि हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए; (ii) सभी राशियाँ जो पी0डी0 खातों में पड़े हैं उन्हें वर्ष की समाप्ति पर शीघ्रता से संचित निधि में प्रेषित किया जाए; (iii) उन विभागीय और कोषागार पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए जो पी0डी0 खातों से संबंधित वित्तीय नियमों के पालन में असफल रहे।

¹ बिहार सरकार के अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा पाँच वर्ष किया गया।

² बिहार भवन, नई दिल्ली, दलसिंह सराय, डुमरौव, हिलसा, लालगांज, मसौढ़ी, मोकामा, नौगढ़िया, पूपरी, राजगीर, रजौली, रोसड़ा, सचिवालय कोषागार (विकास भवन, पटना), शाहपुर पटोरी, सिकहरना, टेकारी, त्रिवेणीगंज और उदाकिशनगंज।

3.2 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर

बिहार सरकार द्वारा श्रम उपकर के लेखांकन के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा श्रमिक सहयोग से निष्पादित परियोजनाओं पर प्राप्त श्रम उपकर को इन्द्राज करने के लिए सरकार द्वारा उप शीर्ष नहीं खोला गया है। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर को मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा—108 लोक निर्माण कार्य में बिहार के संचित निधि के माध्यम से जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) द्वारा ऐसा करना अपेक्षित है, किये बिना सीधे इन्द्राज कर लिया गया है। पुनः, यद्यपि लघु शीर्ष—लोक निर्माण कार्य जमा में श्रम उपकर के अलावा कई प्राप्तियाँ शामिल हैं, इसके नीचे कोई उप—शीर्ष नहीं है, इसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित उपकर की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। श्रमिक कल्याण बोर्ड को भुगतान की गयी राशि को भी अलग कर पाना संभव नहीं है।

3.2.1 उपकर का लेखांकन

बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक (भ0आनिश0) कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार लेखाओं को वर्ष 2012–13 तक ही अंतिमीकृत किया गया है।

जैसा कि बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है, उनके द्वारा कुल ₹ 973.87 करोड़ की राशि श्रम उपकर के मद में 2008–09 से 2016–17 के दौरान प्राप्त हुआ है। इनमें से ₹ 78.72 करोड़ की राशि कल्याण योजनाओं (₹ 77.11 करोड़) और प्रशासन (₹ 1.61 करोड़) पर खर्च की गयी, ₹ 895.15 करोड़ की राशि वर्ष के अन्त तक शेष था।

अनुशंसाएँ: बिहार भ0आनिश0 कल्याण बोर्ड को लेखाओं के समय संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रासांगिक अभिलेखों का उचित रखखाव करना चाहिए ताकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। बिहार सरकार को संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए तथा उपकर को संचित निधि के माध्यम से स्थानांतरित और उपकर के लेखांकन हेतु नियमावली भी तैयार करना चाहिए।

3.3 लेखाओं में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को तभी व्यवहार में लाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरुत्साहित किया जाना है चूंकि यह अस्पष्ट लेखे को प्रस्तुत करता है क्योंकि इन जैसे शीर्ष, राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को प्रकट नहीं करते हैं।

संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्व एवं पूँजी के 19 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 174.65 करोड़ को व्यय पक्ष के मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष ‘800—अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जो कुल राजस्व व्यय (₹ 94,765.18 करोड़) का 0.18 प्रतिशत है।

इसी प्रकार, लेखे के 47 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 1,212.95 करोड़ (सहायता अनुदान को छोड़ कर) को संबंधित मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ/व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,05,584.99 करोड़) का 1.15 प्रतिशत है।

व्यय एवं प्राप्तियों के प्रर्याप्त अनुपात (संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन व्यय राजस्व का 10 प्रतिशत या अधिक) के लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियाँ/व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों एवं व्ययों के उदाहरणों को क्रमशः **परिशिष्ट 3.2** एवं **3.3** में दर्शाया गया है।

बड़ी राशियों का वर्गीकरण सर्वव्यापी लघु शीर्ष 800—‘अन्य व्यय/प्राप्तियों’ के अंतर्गत करने से वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता का अभाव प्रदर्शित हुआ।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग, महालेखाकार (ले० एंव हक०) के परामर्शानुसार सभी मदों की एक व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियों और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलंब

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96(1) एवं धारा 129(2) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है जिसमें कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसी चूक करता है, उस पर ₹ एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही इस तरक की चूक की पुनरावृत्ति होने पर अन्तिमीकरण में विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए ₹ पाँच हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी कम्पनियाँ, जिनके लेखे बकाया में हैं इस तरह के प्रबंधन के रूप में, किसी भी डिफॉल्ट के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

दिसम्बर 2017 तक बिहार में कुल 74 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा०क्षे०उ०) थे जिसमें 27 कार्यशील कंपनियाँ, तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) और 44 अकार्यशील कंपनियाँ थीं। सांविधिक निगमों सहित कार्यशील कंपनियों में लेखाओं का बकाया 1 से लेकर 23 साल तक का जबकि अकार्यशील कंपनियों के लेखाओं का बकाया 1 से 40 साल तक का है। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के कारण बिहार में 88 प्रतिशत से ज्यादा सा०क्षे०उ० का लेखा बकाया है जिसका विस्तृत विवरण तालिका 3.1 और **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 31 दिसंबर 2017 तक सा०क्षे०उ० के आयुवार बकाया वार्षिक लेखाएँ

क्रम सं०	ब्यौरा	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सा०क्षे०उ० की सं०	30	44	74
2(अ)	बकाया लेखाओं वाले सा०क्षे०उ०	21	44 ³	65
2(ब)	बकाया लेखाओं की सं० (वर्ष)	142	1,029	1,171
3(अ)	5 साल से कम बकाया लेखा वाले सा०क्षे०उ० की सं०	14	02	16
3(ब)	उपरोक्त सा०क्षे०उ० में बकाया लेखाओं की सं०	39	03	42
4(अ)	5 से 10 साल तक बकाया लेखा वाले सा०क्षे०उ० / निगमों की सं०	03	01	04
4(ब)	उपरोक्त सा०क्षे०उ० / निगमों में बकाया लेखाओं की सं०	28	08	36
5(अ)	10 साल या उनसे अधिक बकाया लेखा वाले सा०क्षे०उ० / निगम	04	36	40
5(ब)	उपरोक्त सा०क्षे०उ० / निगमों में बकाया लेखाओं की सं०	75	1,018	1,093
6	लेखाओं के बकाया की सीमा (वर्ष में)	1 से 23	1 से 40	1 से 40

(योतः सा०क्षे०उ० के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाएँ)

³ परिसमाप्त के अधीन 5 अकार्यशील कंपनियों सहित।

लेखाओं के अंतिमीकरण नहीं होने के कारण नियंत्रक—महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के पूरक लेखापरीक्षा और निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम के अनुसार, उनके सांविधिक लेखापरीक्षा 40 वर्षों की अवधि तक नहीं करवा सके।

आगे, राज्य सरकार ने विस्तारित बजटीय आवंटन, इक्विटी, लोन, सहायता अनुदान/सब्सिडी के माध्यम से दिया, जो 2014–16 के दौरान सात सालों के लिए ₹ 1,052 करोड़ और 2016–17 के दौरान पाँच सालों के लिए ₹ 1,414.79 करोड़ था, जिनके लेखाओं का बकाया तीन साल से ज्यादा था जिसकी चर्चा कंडिका 1.4.3 में की गई है।


अनुशासनाएँ: वित्त विभाग को उन सभी सालों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाये लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।

3.5 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली (विविनियो) यह निर्दिष्ट करता है कि जहाँ सहायता अनुदान विशेष उद्देश्य हेतु प्रदान किया जाता है वहाँ संबंधित विभागीय पदाधिकारी को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसे सत्यापन के पश्चात् 18 महीने के भीतर महालेखाकार (लेहक) को अग्रसारित कर देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस निधि का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों हेतु किया गया है।

यद्यपि, यह पाया गया कि मार्च 2017 तक 32 विभागों में ₹ 35,677.41 करोड़ के 2,107 यूसी लंबित थे जिसे **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का वर्षवार स्थिति चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण




(उपर्युक्त वर्ष “देय वर्ष” से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्।)
(स्रोत: 2016-17 के वित्त लेख)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में, 93 प्रतिशत सात विभागों से संबंधित है जिसे चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (विभाग वार)

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: 2016-17 के वित्त लेखे)

यद्यपि, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण के दृष्टांत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये, फिर भी कोई सुधार नहीं है। कई मामलों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं ने लगातार उन्हीं विभागों से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किये, जबकि उनके यू०सी० पूर्व से ही लंबित हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है।


अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित कर सके। वित्त विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस अवधि तक प्रशासनिक विभाग, दोषी अनुदानग्राहियों को आगे कोई अनुदान जारी न करे।

3.5.1 शिक्षा विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान संख्या 21 “शिक्षा विभाग” चयनित इकाइयों/जिलों जैसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बी0ई0पी0सी0), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बी0एस0ई0बी0), बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद (बी0एस0ई0सी0) और जिरो का० पदा०, सारण (स्थापना, योजना और लेखांकन एवं स० शि० 30) में उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच जून 2017 से अगस्त 2017 के बीच किए गए। प्राप्त निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

31 मार्च 2017 तक ₹ 8,447.53 करोड़ की राशि के 415 यू0सी0 लंबित थे जिसमें से ₹ 3,886.42 करोड़ के यू0सी0 2014–15 के पूर्व की अवधि का था जैसा कि चार्ट 3.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्षवार विवरण



(स्रोत: म० ले० (ले० एवं हक०) द्वारा संकलित आँकड़े)

3.5.1.1 ₹ 158.21 करोड़ के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

भारत सरकार की योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मॉडल स्कूल स्थापित करने के कार्यक्रम हेतु बिहार सरकार ने 2009-10 और 2010-11 के दौरान विभिन्न जिलों में 368 मॉडल स्कूलों के स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की जिसमें प्रति विद्यालय ₹ 3.02 करोड़ की राशि प्राक्कलित की गयी। इस राशि का वहन भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में करना था और इस योजना का क्रियान्वयन बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (बी०एस०ई०सी०) द्वारा किया जाना था। विस्तृत वर्णन तालिका 3.2 में है।

तालिका 3.2: मॉडल स्कूल खोलने हेतु केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)						
स्वीकृत मॉडल स्कूल की कुल संख्या	निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि	केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	राज्यांश (25 प्रतिशत)	निर्गत केन्द्रांश (निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि का प्रतिशत)	निर्गत राज्यांश (निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि का प्रतिशत)	कुल निर्गत राशि
368	1,111.36	833.52	277.84	424.21 (38 प्रतिशत)	273.83 (24.64 प्रतिशत)	698.04

अभी तक कुल 368 इकाइयों में से 220 इकाइयों (59.78 प्रतिशत) का ही निर्माण पूर्ण हो सका है (मार्च 2018 तक)। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विस्तृत विवरण तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: मॉडल स्कूलों से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

निर्गम का महीना	स्वीकृत राशि	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	लंबित यूरोपी
मार्च 2010	39.64	39.64 (अक्टूबर 2015)	शून्य
मार्च 2012	100.00	42.24 (मार्च 2015) एवं 33.74 (मई 2015)	24.02
अक्टूबर 2012 (जैसा कि जनवरी 2013 में संशोधित किया गया)	134.19	शून्य	134.19
कुल	273.83	115.62	158.21

अनुशंसा: चूँकि असमायोजित निधि के निर्गम से दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी का संदेह होता है, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, ₹ 158.21 करोड़ के असमायोजित निर्गम के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अविलंब समर्पित करे।

3.5.1.2 11 साल से ज्यादा से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र-पंचायत शिक्षा मित्रों का मानदेय

3.5.1.2 बी0ई0पी0सी0 पटना के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि ₹ 113.74⁴ करोड़ के सहायक अनुदान की राशि पंचायत शिक्षा मित्रों (प0शिमि0) के मानदेय हेतु स्वीकृत की गयी थी। यह राशि 37 जिला के कार्यक्रम पदाधिकारियों (डी0पी0ओ0) को, 34,469 पंचायत शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु निर्गत की गयी थी। तथापि, 11 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बावजूद उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। बी0ई0पी0सी0 ने बताया कि सभी जिलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

3.5.2 वास्तविक व्यय से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समर्पित करना

निम्नलिखित मामलों में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अनुदानग्राहियों ने व्यय के पूर्व ही उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) समर्पित कर दिया था।

- (i) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार, ने प्रदर्शन पर आधारित अनुदान⁵ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्गत किया जिसका वितरण जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा किया जाना था। अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बी0एस0ई0बी0) ने चन्द्रशेखर जनता इंटर कॉलेज, गया को ₹ 0.50 करोड़ और वीमेंस कॉलेज, बड़हिया, लखीसराय को ₹ 0.32 करोड़ निर्गत किया। यद्यपि, गलत बैंक खाता संख्या के कारण एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 स्थानांतरण असफल हो गया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि इसके बावजूद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस राशि के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर दिया जिससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सच्चाई को संदेह में डालता है।
- (ii) एन0टी0पी0सी0⁶ और पी0जी0सी0आई0एल0⁷ द्वारा शौचालय निर्माण हेतु प्राप्त ₹ 2.45 करोड़ की राशि में से जि�0 का0 पदा0 (स0 शि0 30)⁸, सारण ने 89 विद्यालयों में 128 शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 0.95 करोड़ का अग्रिम विमुक्त किया जिसमें से ₹ 0.71 करोड़ को मार्च 2017 तक समायोजित कर लिया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि जि�0 का0 पदा0 ने ₹ 1.11 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किए हैं जिससे जि�0 का0 पदा0 द्वारा प्रस्तुत सभी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सच्चाई को संदेह में डाल दिया।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जमा किए जा रहे उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए और फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करने पर विभागीय और आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए।

3.6 लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

वित्तीय नियमावली में यह अपेक्षा की गयी है कि आकस्मिक विपत्रों पर निकासी की गई अग्रिमों को अविलंब विस्तृत आकस्मिक विपत्र के द्वारा समायोजित कर दिया जाए। यद्यपि, यह देखा गया कि ₹ 4,750.52 करोड़ के 15,575 सार आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2017 तक असमायोजित था जिसे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: सार आकस्मिक विपत्रों के आहरण एवं समायोजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान आहरित सार आकस्मिक विपत्र		वर्ष के दौरान समायोजित सार आकस्मिक विपत्र		समायोजन हेतु लंबित सार आकस्मिक विपत्र	
	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि
2014-15 तक	97,408	34,714.78	84,736	32,415.60	12,672	2,299.18
2015-16	3,926	8,273.14	2,061	7,191.77	1,865	1,081.37
2016-17	1,383	1,808.68	145	438.72	1,238 ⁹	1,369.96
कुल	1,02,717	44,796.60	86,942	40,046.09	15,775	4,750.51

(स्रोत: वित्त लेखा 2016-17)

⁴ ₹ 56.87 करोड़, 2005-06 एवं 2006-07 प्रत्येक के दौरान ₹ 1,500 के दर से 34,469 प0शिमि0 को 22 महीने के लिए।

⁵ बी0एस0ई0बी0 द्वारा स्वीकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय अंगीभूत इंटर कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के बैतन भुगतान हेतु।

⁶ नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन।


⁷ पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

⁸ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान)।

⁹ 1,238 ए0सी0 विपत्रों में से ₹ 690.13 करोड़ की राशि के 997 ए0सी0 विपत्र 31 मार्च 2017 के बाद देय होंगे।

मार्च में आहरित सार आकस्मिक विपत्रों को चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: मार्च में आहरित सार आकस्मिक विपत्र




(स्रोत: म0 ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित आँकड़े)

2016-17 में ₹ 1,808.68 करोड़ के 1,383 सार आकस्मिक विपत्र में से मार्च 2017 में ₹ 533.07 करोड़ (29.47 प्रतिशत) के 888 सार आकस्मिक विपत्र आहरित की गई थी। इसमें से ₹ 43.52 करोड़ के 151 सार आकस्मिक विपत्र वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित की गई थी। वित्तीय वर्ष के अंत में सार आकस्मिक विपत्रों के द्वारा निधि की निकासी दर्शाता है कि यह मुख्यतः बजटीय प्रावधानों को निःशेष करने के लिए किया गया था।

सार आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से निधि की निकासी के विश्लेषण से निम्न तथ्यों का पता चला :

- सार आकस्मिक विपत्रों के द्वारा निधि की निकासी की प्रवृत्ति को चार्ट 3.5 में दर्शाया गया है।


चार्ट 3.5: प्रतिक्षित असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र



(स्रोत: म0 ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित आँकड़े)

- 2011-12 से 2016-17 के दौरान सार आकस्मिक विपत्रों के मुख्य शीर्ष-वार आहरण की प्रवृत्ति चार्ट 3.6 में चित्रित है।

चार्ट 3.6: सार आकस्मिक विपत्र की प्रवृत्ति (मुख्य शीर्ष-वार)



(स्रोत: मो ले० (ले० एवं हक०) द्वारा संकलित आँकड़े)

- विगत पाँच वर्षों के दौरान पूँजी शीर्ष के अन्तर्गत सार आकस्मिक विपत्रों के द्वारा निधि की निकासी के प्रमुख दृष्टांत को चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: पूँजीगत मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत सार विपत्रों द्वारा आहरण



(स्रोत: मो ले० (ले० एवं हक०) द्वारा संकलित आँकड़े)


निर्धारित अवधि के अंदर डी०सी० विपत्रों को जमा नहीं करने से वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है तथा लोक धन का दुर्विनियोजन एवं अस्वस्थ प्रचलन का जोखिम बना रहता है।

3.6.1 शिक्षा विभाग का लंबित सार आकस्मिक विपत्र

शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित सार आकस्मिक विपत्रों के आँकड़ों के विश्लेषण से निम्न बातें प्रकट हुई :—

- सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 516.82 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 को समायोजन हेतु लंबित थी जिसे चार्ट 3.8 में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.8: शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र



- बी०ई०पी०सी०^{१०}, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि डीसी विपत्र जमा नहीं होने के कारण पिछले 11 वर्षों से सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 13.28^{११} करोड़ समायोजन हेतु लंबित थी।
- कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना), सारण के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि डीसी विपत्र जमा नहीं होने के कारण सार आकस्मिक विपत्र (मार्च 2004) पर आहरित ₹ 0.51 करोड़ असमायोजित थी।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के आगे तक लंबित एसी विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि एसी विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की पहल की जाय जो एसी विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।

3.7 निवेशों/ऋणों एवं अग्रिमों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

मार्च 2017 तक, वित्त लेखे^{१२} में प्रतिवेदित राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के आँकड़ों (₹ 15,254.21 करोड़) तथा कंपनियों द्वारा बताए गए आँकड़ों (₹ 21,684.11 करोड़) के बीच ₹ 6,429.90 करोड़ का अंतर है।

इसी प्रकार, वित्त लेखे में दर्शाए गए ऋण एवं अग्रिम के आँकड़ों (₹ 19,040.21 करोड़) तथा राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा सूचित किये गये आँकड़ों (₹ 4,981.56 करोड़) के बीच ₹ 14,058.65 करोड़ का अंतर पाया गया।

आगे, वित्त लेखे में दर्शाए गए प्रत्याभूति के आँकड़े (₹ 4,134.95 करोड़) तथा राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा सूचित किये गए आँकड़ों (₹ 3,558.19 करोड़) के बीच ₹ 576.76 करोड़ का अंतर भी पाया गया।

निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों तथा प्रत्याभूतियों के आँकड़ों में पाए गए सभी अंतरों का समाशोधन किया जा रहा है जिसकी विवरणी परिणाम 3.6 में दर्ज है।

^{१०} विहार शिक्षा परियोजना परिषद।

^{११} सितम्बर 2005 में ₹ 5.11 करोड़ तथा मार्च 2006 में ₹ 8.17 करोड़।

^{१२} वित्त विभाग, कोषागारों तथा संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना पर आधारित।

अनुशंसा: राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों और प्रत्याभूतियों से संबंधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

3.8 जमा राशि पर ब्याज की गैर-अदायगी

राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा में प्रदर्शित जमा पर ब्याज देना अपेक्षित है। 31 मार्च 2017 तक इस मुख्य शीर्ष से संबंधित लोक खाते में ₹ 64.12 करोड़¹³ की राशि शेष थी। तथापि, इस निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है जो कि इस तथ्य से पता चलता है कि शीर्ष 2049-60-101 जमा पर ब्याज के अंतर्गत 2016-17 के दौरान किये गये व्यय को इन्द्राज नहीं किया गया। इस अवधि में, ₹ 5.13 करोड़ की जमा राशि पर देय ब्याज (8 प्रतिशत¹⁴) था। परिणामस्वरूप, 2016-17 के लिए राजस्व अधिशेष में ₹ 5.13 करोड़ का अतिशयता है जैसा कि कांडिका 3.12 में प्रदर्शित है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को मुख्य शीर्ष 8115, 8121, एवं 8342 के अंतर्गत शेषों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सभी सब्याज निक्षेपों के संबंध में ब्याज दर्ज करनी चाहिए।

3.9 राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

15 नवम्बर 2000 से प्रभावी बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक के बाद भी, उत्तरवर्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच पूँजी (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋणों एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) तथा भाग-III के अधीन लोक खातों (रिजर्व बैंक में जमा को छोड़कर) के अंतर्गत ₹ 11,148.69 करोड़ की राशि का विभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।

3.10 रोकड़ शेष में अंतर

31 मार्च 2017 को महालेखाकार द्वारा अगणित रोकड़ शेष ₹ 114.90 करोड़ (नामे) जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष ₹ 174.17 करोड़ (जमा) थी। ₹ 59.27 करोड़ (जमा) का अंतर मुख्यतः लेन-देन की गलत जानकारी देने तथा एजेंसी बैंकों द्वारा असमाशोधन था एवं इसका समाशोधन किया जा रहा है।

3.11 असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से व्यय की प्रत्याशा में, कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है, आहरण स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र में न्यून आहरण अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए जिसमें यह आहरित हुई है।

¹³ सरकारी कर्मचारियों के निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना।

¹⁴ सामान्य भविष्य निधि के शेषों पर देय ब्याज दर।

यह पाया गया कि आठ विभागों/संगठनों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का ₹ 161.00 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 तक समायोजन हेतु लंबित था। 31 मार्च 2017 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग/संगठन का नाम	अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1.	भवन निर्माण	5.67	2.47	8.14
2.	सिंचाई	27.76	2.18	29.94
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.78	0.09	0.87
4.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.27	2.03	10.3
5.	पथ निर्माण	67.5	0.27	67.77
6.	ग्रामीण कार्य	7.58	6.56	14.14
7.	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एल०ए०ई०ओ०)	22.85	3.63	26.48
8.	लघु जल संसाधन	2.38	0.98	3.36
	कुल	142.79	18.21	161.00

(योत : वर्ष 2016-17 का वित्त लेखा)

विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त वर्णित आठ विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम दिया गया था। अस्थायी अग्रिमों का आहरण भवन निर्माण विभाग में वर्ष 1998-2015 के दौरान, सिंचाई विभाग में 1983-2015 के दौरान, पथ निर्माण विभाग में 1999-2005 के दौरान, ग्रामीण कार्य विभाग में 2002-2016 के दौरान, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में 2011-2016 के दौरान तथा लघु जल संसाधन विभाग में 1985-2014 के दौरान किया गया था। संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया कि आहरित अग्रिमों का समायोजन/वसूली प्रक्रियाधीन है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अस्थायी अग्रिमों का समायोजन एक से 34 वर्ष की अवधि से लंबित है। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ऐसी लंबित असमायोजित राशि दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम से भरा हुआ है।

अनुशंसाएँ: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अव्ययित राशियों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।

3.12 राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वित्त लेखे के अनुसार, व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 157.54 करोड़ प्रत्येक का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। इसे तालिका 3.6 में दिया गया है:

तालिका 3.6: राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मद	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अतिशयता	न्यूनोक्ति	अतिरंजना	न्यूनोक्ति
1.	राज्य आपदा रिस्पॉन्स निधि के घेष पर ब्याज	119.72	--	--	119.72
2.	जमा पर ब्याज की गैर-आदायगी	5.13	--	--	5.13
3.	गारंटी मोचन निधि में गैर-अंशदान	32.69	--	--	32.69
कुल योग		अतिशयता 157.54		न्यूनोक्ति 157.54	

उपरोक्त को देखते हुए राज्य का राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा जो कि क्रमशः ₹ 13,313 करोड़ एवं ₹ 13,986 करोड़ (उदय को छोड़कर) था वास्तव में ₹ 13,155 करोड़ एवं ₹ 14,143 करोड़ होगा। राज्य के प्रदर्शन पर समग्र प्रभाव का वर्णन कंडिका 1.1.2 में किया गया है।

पटना

दिनांक: 06 अगस्त 2018

(नीलोत्पल गोस्वामी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार


प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 10 अगस्त 2018

(राजीव महाजन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कांडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े		
क्रम सं.	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	94,163 वर्ग कि.मी.
2	2011 के जनगणना के अनुसार	10.38 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)	33.70 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	61.80 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 37 प्रति 1000 जन्म पर)	42
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 68.30 वर्ष)	68.40 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2016-17 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)	4,38,030
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ¹ सी.ए.जी.आर. ² (2007-08 से 2016-17)	14.70 सामान्य श्रेणी के राज्य
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17)	16.20 सामान्य श्रेणी के राज्य
11	जनसंख्या वृद्धि (2007-08 से 2016-17)	12.40 सामान्य श्रेणी के राज्य
		11.90

ब. वित्तीय आँकड़े

क्रम सं.	विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)			
		2007-08 से 2015-16	2015-16 से 2016-17	सामान्य श्रेणी के राज्य	बिहार
1	सी0ए0जी0आर0	14.58	16.56	11.52	9.84
	सामान्य श्रेणी के राज्य	14.80	22.30	13.50	(-) 6.71
क	राजस्व प्राप्तियों का	9.45	19.50	12.10	9.95
ख	स्वंकर राजस्व का	15.84	17.42	15.31	12.83
ग	गैर कर राजस्व का	14.53	10.56	17.91	20.88
घ	कुल व्यय का	16.86	16.49	9.86	2.87
ঢ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	18.43	15.30	14.92	34.46
চ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.89	11.01	13.06	5.76
ছ	वेतन एवं मजदूरी का	17.17	19.80	10.63	5.78
জ	पेंशन का				

(स्रोत: सांचियकी और कार्यक्रम कार्यव्यवन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.08.2017)।

¹ जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

² सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कांडिका 1.1; पृष्ठ 1)

भाग-क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाहय एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैया करता है। तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

भाग III लोक लेखा : कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखे दो भागों में वितरित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।	
भाग I में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।	
विवरण संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण : यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूची शामिल होता है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियाँ का विवरण (समेकित निधि) : इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि) : वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटीयों का विवरण : यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटीयों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
विवरण संख्या 11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।
विवरण संख्या 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण : यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार : यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं— भाग— I में नी विस्तृत विवरणीयाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।	
विवरण संख्या 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग—अलग दर्शाए जाते हैं।
विवरण संख्या 16	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर-योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है।

विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिमूलिक आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है। यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगताय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 18	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशागियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण इकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटीयों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटीयों का इकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संब्यवहारों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संब्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 22	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

(स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कांडिका 1.1.1 पृष्ठ 1)
वर्ष 2016-17 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

2015-16		प्राप्तियाँ		संवितरण						
		2016-17	2015-16			गैर योजना	योजना	योग		
खण्ड: अ राजस्व										
96,123.10	I	राजस्व प्राप्तियाँ		1,05,584.99	83,615.94	I	राजस्व व्यय	61,189.34	33,575.84	94,765.18
25,449.18		कर राजस्व	23,742.26		27,972.30		सामान्य सेवाएँ	30,086.62	520.38	30,607.00
2,185.64		करेतर राजस्व	2,403.12		35,943.04		सामाजिक सेवाएँ	14,667.06	26,069.57	40,736.63
48,922.68		संधीय करों का राज्यांश	58,880.59		18,605.32		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	8,839.55	10,312.36	19,151.91
3,434.43		गैर योजना अनुदान	4,505.51		3,480.57		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,660.03	1,962.43	4,622.46
13,886.33		राज्य योजना हेतु अनुदान	13,952.92		3,694.34		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,801.09	5,662.18	7,463.27
2,244.84		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2,100.59		140.90		सूचना एवं प्रसारण	82.58	49.88	132.46
				4,055.64			अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	142.16	2,084.79	2,226.95
				174.05			श्रम एवं श्रम कल्याण	95.67	292.13	387.80
				5,739.12			समाज कल्याण एवं पोषाहार	989.87	5,707.74	6,697.61
				53.10			अन्य	56.11	(-) 1.94	54.17
				19,696.39			आर्थिक सेवाएँ	16,431.36	6,985.89	23,417.25
				3,515.00			वृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	792.51	1,494.05	2,286.56
				4,921.49			ग्रामीण विकास	5,747.32	2,604.98	8,352.30
				0.00			विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
				1,151.38			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	917.64	130.62	1,048.26
				6,151.41			ऊर्जा	6,960.91	737.38	7,698.29
				1,200.80			उद्योग एवं खनिज	150.27	737.29	887.56
				1,712.33			परिवहन	1,612.09	175.10	1,787.19
				0.00			विज्ञान, प्रावैदिकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00
				1,043.99			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	250.62	1,106.47	1,357.09
				4.21			सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.30	0.00	4.30
				1,05,584.99	83,615.94		कुल			94,765.18
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			12,507.16	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष			10,819.81
96,123.10		कुल		1,05,584.99	96,123.10		कुल			1,05,584.99

परिशिष्ट

प्राप्तियाँ				संवितरण						
2015-16		2016-17		2015-16		2016-17	गैर योजना	योजना	बोग	
खण्ड ब अन्य										
6,337.11	III	स्थायी अधिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आर्टिकल रोकड़ शेष		11,716.72		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		23,966.02	IV	पूँजीगत परिव्यय	16.49	27,191.91	27,208.40	
				3,617.03		सामान्य सेवाएँ	3.60	2,086.75	2,090.35	
				2,740.48		सामाजिक सेवाएँ	12.89	3,579.60	3,592.49	
				549.82		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,074.46	1,074.46	
				1,090.75		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	870.43	870.43	
				823.52		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	12.89	1,309.77	1,322.66	
				(-)0.05		सूखना एवं प्रसारण	0.00	0.00	0.00	
				18.60		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	21.43	21.43	
				101.00		समाज कल्याण एवं पोशाहार	0.00	63.70	63.70	
				156.84		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	239.81	239.81	
				17,608.51		आर्थिक सेवाएँ	0.00	21,525.56	21,525.56	
				604.93		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.00	127.89	127.89	
				8,012.63		ग्रामीण विकास	0.00	7,891.74	7,891.74	
				0.00		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				1,684.65		सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,795.68	1,795.68	
				2,793.96		ऊर्जा	0.00	5,738.56	5,738.56	
				29.34		उद्योग एवं खनिज	0.00	228.11	228.11	
				4,417.33		परिवहन	0.00	5,601.20	5,601.20	
				65.65		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	142.38	142.38	
18.50	V	ऋण एवं अधिमों की वसूली		23.31	621.23	V	ऋण एवं अधिमों का संवितरण	41.57	72.30	113.87
3.65		विद्युत परियोजनाओं/अन्य से	7.99		140.78		विद्युत परियोजनाओं हेतु	17.75	57.30	75.05
14.85		सरकारी सेवकों से	15.32		23.00		सरकारी सेवकों को	21.38	0.00	21.38
		अन्य से			457.45		अन्य से	2.44	15.00	17.44
12,507.16	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		10,819.81		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
18,383.01	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		21,576.76	4,124.85	VII	लोक ऋण का पुनर्मुग्तान			4,214.57
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17		2015-16		2016-17		
						गैर योजना	योजना	योग
17,565.04		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	20,065.17		3,422.74	अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण		3,460.49
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन				अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन		
		ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन						
817.97		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,511.59		702.11	केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान		754.08
		अंतर्राज्यीय समाशोधन				अंतर्राज्यीय समाशोधन		
4,477.41	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		5,437.85	4,477.41	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	5,437.85
	IX	आकस्मिकता निधि को राशि का हस्तांतरण				IX	आकस्मिकता निधि से व्यय	
49,105.88	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		61,730.38	45,922.84	X	लोक लेखा संवितरण	57,267.94
1203.48		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1263.08			लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1163.45	
1,760.84		आरक्षित निधि	1,074.88			आरक्षित निधि	1,204.03	
628.29		उचंत एवं विविध	660.28			उचंत एवं विविध	1,554.67	
10,619.24		प्रेषण	9,536.13			प्रेषण	9,543.18	
34,894.03		जमा एवं अग्रिम	49,196.01			जमा एवं अग्रिम	43,802.61	
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट			11,716.72	XI	अंतिम रोकड़ शेष	17,062.20
					124.56		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
					558.08		रिजर्व बैंक के पास जमा	114.90
					11,034.08		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	527.86
1,86,952.17		योग	2,16,889.82		1,86,952.17		रोकड़ शेष निवेश	16,419.44
								2,16,889.82

(वोत: वित्त लेखे वर्ष, 2016-17)

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कांडिका 1.1.3; पृष्ठ 5)

वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (-)	प्रतिशतता आधिक्य(+) / घाटा (-)
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,590.24	1,05,584.99	(-)19,005.25	(-)15.25
स्वकर राजस्व	29,730.27	23,742.26	(-)5,988.01	(-)20.14
करेतर राजस्व	2,358.11	2,403.12	45.01	1.91
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	58,359.72	58,880.59	520.87	0.89
भारत सरकार से सहायता अनुदान	34,142.14	20,559.02	(-)13,583.12	(-)39.78
राजस्व व्यय	1,09,940.78	94,765.18	(-)15,175.60	(-)13.80
सामान्य सेवाएँ	36,184.67	30,607.00	(-)5,577.67	(-)15.41
राज्य का अंग	1,335.96	1,052.87	(-)283.09	(-)21.19
राजकोषीय सेवाएँ	1,088.76	735.51	(-)353.25	(-)32.45
ब्याज भुगतान एवं कर्ज परिशोधन	8,740.94	8,773.56	32.62	0.37
प्रशासनिक सेवाएँ	8,733.71	7,537.07	(-)1,196.64	(-)13.70
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	16,285.30	12,507.99	(-)3,777.31	(-)23.19
सामाजिक सेवाएँ	47,146.59	40,736.63	(-)6,409.96	(-)13.60
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	21,769.61	19,151.91	(-)2,617.71	(-)12.02
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,792.80	4,622.46	(-)2,170.34	(-)31.95
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	5,893.58	7,463.27	1,569.69	26.63
सूचना एवं प्रसारण	202.72	132.46	(-)70.26	(-)34.66
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,582.81	2,226.95	(-)1,355.85	(-)37.84
श्रम एवं श्रम कल्याण	726.70	387.80	(-)338.90	(-)46.64
समाज कल्याण एवं पोषाहार	8,098.04	6,697.61	(-)1,400.43	(-)17.29
अन्य	80.33	54.17	(-)26.16	(-)32.57
आर्थिक सेवाएँ	26,604.53	23,417.25	(-)3,187.28	(-)11.98
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	4,031.93	2,286.56	(-)1,745.37	(-)43.29
ग्रामीण विकास	10,629.73	8,352.30	(-)2,277.43	(-)21.43
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,152.23	1,048.26	(-)103.97	(-)9.02
ऊर्जा	5,347.18	7,698.29	2,351.11	43.97
उद्योग एवं खनिज	964.61	887.56	(-)77.05	(-)7.99
परिवहन	2,055.76	1,787.19	(-)268.57	(-)13.06
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2,423.09	1,357.09	(-)1,066.00	(-)43.99
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.99	4.30	(-)0.69	(-)13.83
पूँजीगत व्यय	34,755.49	27,208.40	(-)7,547.09	(-)21.71
सामान्य सेवाएँ	2,959.84	2,090.35	(-)869.49	(-)29.38
सामाजिक सेवाएँ	3,924.07	3,592.49	(-)331.58	(-)8.45
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,052.92	1,074.46	21.54	2.05
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	924.75	870.43	(-)54.32	(-)5.87
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,435.29	1,322.66	(-)112.63	(-)7.85
सूचना एवं प्रसारण	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	37.00	21.43	(-)15.57	(-)42.08
समाज कल्याण एवं पोषाहार	474.11	63.70	(-)410.41	(-)86.56
अन्य	0.00	239.81	239.81	239.81
आर्थिक सेवाएँ	23,223.13	21,525.56	(-)1,697.57	(-)7.31
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	243.75	127.89	(-)115.86	(-)47.53
ग्रामीण विकास	6,244.44	7,891.74	1,647.30	26.38
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,695.22	1,795.68	100.46	5.93
ऊर्जा	8,582.51	5,738.56	(-)2,843.95	(-)33.14
उद्योग एवं खनिज	109.98	228.11	118.13	107.41
परिवहन	5,668.07	5,601.20	(-)66.87	(-)1.18
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	679.16	142.38	(-)536.78	(-)79.04
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	14,649.46	10,819.81	(-)3,829.65	(-)26.14
राजकोषीय घाटा (-)	16,014.26	16,479.15	464.89	2.90
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 7835.44	(-) 8,288.45	453.01	5.78

(योत: विहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेख, वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 7)

राज्य सरकार के वित्त के कालशृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
(i) कर राजस्व	16,253 (27)	19,961 (29)	20,750 (26)	25,449 (26)	23,742 (23)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,671 (53)	8,453 (42)	8,607 (41)	10,603 (42)	11,873 (50)
राज्य उत्पाद	2,430 (15)	3,168 (16)	3,217 (16)	3,142 (12)	30 (0)
वाहन पर कर	673 (4)	837 (4)	964 (5)	1081 (4)	1257 (5)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,173 (14)	2,712 (14)	2,699 (13)	3,409 (13)	2,982 (13)
भू-राजस्व	205 (1)	202 (1)	277 (1)	695 (3)	971 (4)
माल एवं यात्री कर	1,932 (12)	4,349 (22)	4,451 (21)	6,087 (24)	6,245 (26)
अन्य कर	169 (1)	240 (1)	535 (3)	432 (2)	384 (2)
(ii) करेतर राजस्व	1,135 (2)	1,545 (2)	1,558 (2)	2,186 (2)	2,403 (2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	31,901 (54)	34,829 (51)	36,963 (47)	48,923 (51)	58,881 (56)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	10,278 (17)	12,584 (18)	19,146 (24)	19,565 (21)	20,559 (19)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वस्तूलियाँ	25	15	1493	19	23
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	59,592	68,934	79,910	96,142	1,05,608
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,554	9,907	13,917	18,383	21,577
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,046	9,357	13,199	17,565	20,065
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	508	550	718	818	1512
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	69,146	78,841	93,827	1,14,525	1,27,185
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,066	33,458	40,251	49,106	61,730
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	96,212	1,12,299	1,34,078	1,63,631	1,88,915
खंड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765
योजना	16,892 (31)	19,096 (31)	25,511 (35)	29,651 (35)	33,576 (35)
गैर-योजना	37,574 (69)	43,381 (69)	47,059 (65)	53,965 (65)	61,189 (65)
सामान्य सेवाएँ (बाज भुगतान सहित)	18,645 (34)	22,018 (35)	26,408 (36)	27,972 (33)	30,607 (32)
सामाजिक सेवाएँ	23,107 (43)	26,395 (42)	31,713 (44)	35,943 (43)	40,737 (43)
आर्थिक सेवाएँ	12,710 (23)	14,060 (23)	14,445 (20)	19,697 (24)	23,417 (25)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	9585	14001	18150	23966	27208
योजना	9,492 (99)	13,904 (99)	18,092 (99)	23,930 (99)	27,192 (100)
गैर-योजना	93 (1)	97 (1)	58 (1)	36 (1)	16 (0)
सामान्य सेवाएँ	717 (7)	1,333 (10)	1,748 (10)	3,617 (15)	2,090 (8)
सामाजिक सेवाएँ	1,331 (14)	1,858 (13)	1,674 (9)	2,740 (11)	3,592 (13)
आर्थिक सेवाएँ	7,537 (79)	10,810 (77)	14,728 (81)	17,609 (74)	21,526 (79)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	2,086	807	369	621	114
14. कुल (11+12+13)	66,137	77,285	91,089	1,08,203	1,22,087
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,070	3,120	3,609	4,125	4,215
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,585	2,559	2,975	3,423	3,461
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	485	561	634	702	754
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन					
17. अंतर्राजीय समाशोधन	-	-	-	-	-
18. संचित निधि से कुल संचितरण (14+15+16+17)	69,207	80,405	94,698	1,12,328	1,26,302
19. आकस्मिकता निधि संचितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संचितरण	24,799	29,453	39,200	45,923	57,268
21. राज्य द्वारा कुल संचितरण (18+19+20)	94,006	1,09,858	1,33,898	1,58,251	1,83,570
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	5,101	6,442	5,847	12,507	10,820
23. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+)(4-14)	(-) 6,545	(-) 8,351	(-) 11,179	(-) 12,061	(-) 16,479
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	(-) 2,117	(-) 2,892	(-) 5,050	(-) 4,963	(-) 8,288
खंड द अन्य आँकड़े					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	4,428	5,459	6,129	7,098	8,191
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	17,454	18,935	22,359	26,426	36,209
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) [@]	2,82,368	3,17,101	3,42,951	3,81,501	4,38,030
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	76,503	86,939	99,056	1,16,578	1,38,722
29. लंबित प्रत्याहृति (वर्ष के अंत में)	1,089	1,090	2,001	4,721	4,460
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	2,046	2,587	5,315	9,397	13,053
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पैंजी	298	227	211	144	130
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पैंजी	1,488	1,274	1,301	1,728	1,521
खंड ई राजकोषीय स्थिति का सकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
स्वंकर राजस्व / जी.एस.डी.पी.	5.76	6.29	6.05	6.67	5.42
करेतर राजस्व / जी.एस.डी.पी.	0.40	0.49	0.45	0.57	0.55
केंद्रीय स्थानांतरण / जी.एस.डी.पी.	11.30	10.98	10.78	12.82	13.44
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय / जी.एस.डी.पी.	23.42	24.37	26.56	28.36	27.87
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ	111.03	112.14	116.16	112.57	115.63
राजस्व व्यय / कुल व्यय	82.35	80.84	79.67	77.28	77.62
सामाजिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	34.94	34.15	34.82	33.22	33.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	19.22	18.19	15.86	18.20	19.18
पैंजीगत व्यय / कुल व्यय	14.49	18.12	19.93	22.15	22.29
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पैंजीगत व्यय / कुल व्यय	13.41	16.39	18.01	18.81	20.57
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व आधिक्य / जी.एस.डी.पी.	1.81	2.03	1.70	3.28	2.47
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	(-) 2.32	(-) 2.63	(-) 3.26	(-) 3.16	(-) 3.76
प्राथमिक आधिक्य / जी.एस.डी.पी.	(-) 0.75	(-) 0.91	(-) 1.47	(-) 1.30	(-) 1.89
राजस्व आधिक्य / राजकोषीय घाटा	(-) 77.94	(-) 77.14	(-) 52.30	(-) 103.70	(-) 65.66
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व / जी.एस.डी.पी.	27.09	27.42	28.88	30.56	31.67
राजकोषीय दायित्व / राजस्व प्राप्तियाँ	128.43	126.15	126.32	121.28	131.38
राजकोषीय दायित्व / राज्य का स्वंसंसाधन	439.98	404.25	444.04	421.85	530.59

कोषक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@सरकार द्वारा अपनाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: कांडिका 1.5.1; पृष्ठ 21)
31 मार्च 2017 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31/3/2016 तक	देयताएँ	31/3/2017 तक
79,990.32	आंतरिक ऋण	96,595.00
	ब्याज सहित बाजार ऋण	64,988.93
	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.21
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
	अन्य संस्थाओं से ऋण	31,584.31
8,838.31	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	9,595.81
	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91
	गैर-योजना ऋण	54.02
	राज्य योजना के लिए ऋण	9,493.38
	केंद्रीय योजना के लिए ऋण	1.01
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	0.53
	अर्थोपाय अग्रिम के लिए योजनाओं	42.96
350.00	आकस्मिकता निधि	350.00
8,791.50	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	8,891.14
17,522.74	जमा	22,916.84
4,269.58	आरक्षित निधि	4,140.43
74.01	अंतर्राजीय समाशोधन	74.01
46,142.07	सरकारी लेखा में आधिक्य	56,961.88
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	10,819.81
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	46,142.07
1,65,978.53	परिसम्पत्तियाँ	1,99,525.11
1,28,001.82	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	1,55,210.22
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	15,916.47
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,39,293.75
20,857.73	ऋण एवं अग्रिम	20,948.29
	ऊर्जा परियोजना हेतु ऋण	15,520.91
	अन्य विकास ऋण	5,342.02
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	85.36
1,186.60	प्रेषण	1,193.65
150.69	अग्रिम	151.39
4,064.97	उचंत एवं विविध शेष	4,959.36
11,716.72	रोकड़	17,062.20
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
	रिजर्व बैंक में जमा	114.90
	विभागीय रोकड़ शेष	185.60
	स्थायी अग्रिम	342.26
	उद्दिदष्ट निधियों के सहित रोकड़ शेष निवेश	16,419.44
1,65,978.53		1,99,525.11

(स्रोत: वित्त लेखा वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कांडिका 2.3.1; पृष्ठ 28)

विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विभाग संख्या एवं नाम	नियमन के लिए लंबित आधिक्य राशि	आधिक्य राशि के नियमन की स्थिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1977-78	24	वन	0.06	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
2	1978-79	27	खानों एवं खनिजों	0.32	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
3	1982-83	22	गव्य विकास	0.98	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
4	1984-85	3	मंत्री परिषद्, निर्वाचन	2.62	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
5		14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.01	-	विभाग का जवाब अप्राप्त है।
6	1987-88	9	बिक्री कर	0.61	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
7		38	पशुपालन	6.92	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
8	1988-89	9	बिक्री कर	0.46	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
9		38	पशुपालन	6.13	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
10	1989-90	27	परिवार कल्याण	0.35	-	विभाग का जवाब अप्राप्त है।
11		38	पशुपालन	8.65	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
12	1990-91	37	लघु सिंचाई, भू एवं जल भूमि संरक्षण	18.26	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
13		38	पशुपालन	29.29	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
14	1991-92	38	पशुपालन	70.72	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
15	1992-93	38	पशुपालन	87.77	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
16	1993-94	37	पशुपालन	125.03	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
17	1994-95	37	पशुपालन	170.61	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	

क्रम सं०	वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विभाग संख्या एवं नाम	नियमन के लिए लंबित आधिक्य राशि	आधिक्य राशि के नियमन की स्थिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	1995-96	37	पशुपालन	146.49	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
19	1996-97	37	पशुपालन	6.37	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
20	1998-99	30	अल्पसंख्यक कल्याण	0.33	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंत्रव से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
21	1999-00	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.01	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंत्रव से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
22	2003-04	11	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	0.44	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंत्रव से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
23	2004-05	20	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.03	-	विभाग का जवाब अप्राप्त है।
24	2004-05	21	उच्च शिक्षा	5.54	अधिक व्यय के नियमन हेतु वित्त विभाग को पत्र भेजा जा चुका है।	
25	2010-11	5	राज्यपाल सचिवालय	0.35	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंत्रव से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
26	2015-16	35	योजना एवं विकास विभाग	119.01	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंत्रव से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
कुल				807.36		

(स्रोत: वित्त विभाग, विहार सरकार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कांडिका 2.3.2; पृष्ठ 28)

**₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से
ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व							
1	1-कृषि विभाग	2,698.13	178.68	2,876.81	1,662.15	1,214.66	42.22
2	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	544.19	56.15	600.34	466.80	133.54	22.24
3	3-भवन निर्माण विभाग	619.70	7.90	627.60	439.86	187.74	29.91
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	356.79	3.45	360.24	224.56	135.68	37.66
5	9-सहकारिता विभाग	534.84	9.26	544.10	426.49	117.61	61.62
6	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,959.54	412.32	2,371.86	1,450.04	921.82	38.86
7	15-पेंशन	16,285.30	0.30	16,285.60	12,514.52	3,771.08	23.16
8	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,143.22	19.98	2,163.20	1,065.68	1,097.52	50.74
9	20-स्वास्थ्य विभाग	7,321.68	779.07	8,100.75	4,749.79	3,350.96	41.37
10	23-उद्योग विभाग	711.38	19.72	731.10	540.07	191.03	26.13
11	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	239.98	75.90	315.88	214.80	101.08	32.00
12	26-श्रम संसाधन विभाग	685.75	5.37	691.12	418.11	273.01	39.50
13	27-विधि विभाग	819.55	7.52	827.07	537.77	289.30	34.98
14	33-सामान्य प्रशासन विभाग	532.40	146.13	678.53	508.64	169.89	25.04
15	35-योजना एवं विकास विभाग	2,251.59	75.66	2,327.25	1,036.16	1,291.09	55.48
16	37-ग्रामीण कार्य विभाग	1,381.19	200.00	1,581.19	1,149.02	432.17	27.33
17	39-आपदा प्रबंधन विभाग	597.94	1,205.61	1,803.55	593.52	1,210.03	67.09
18	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	810.25	8.81	819.06	455.42	363.64	44.40
19	42-ग्रामीण विकास विभाग	5,434.94	4,842.57	10,277.51	5,809.16	4,468.35	43.48
20	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,627.64	13.08	1,640.72	1,142.73	497.99	30.35
21	48-नगर विकास एवं आवास विकास	3,409.36	1,213.38	4,622.74	3,377.92	1,244.82	26.93
22	49-जल संसाधन विभाग	869.12	351.43	1,220.55	878.32	342.23	28.04
23	50-लघु जल संसाधन विभाग	307.62	34.50	342.12	239.48	102.64	30.00
24	51-समाज कल्याण विभाग	4,871.17	1,773.02	6,644.19	4,845.24	1,798.95	27.08
कुल राजस्व		57,013.27	11,439.81	68,453.08	44,746.25	23,706.83	34.63

क्रम सं०	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(ब) पूँजीगत							
25	3-भवन निर्माण विभाग	2,560.46	317.81	2,878.27	1,340.46	1,537.81	53.43
26	9-सहकारिता विभाग	135.16	33.08	168.24	47.57	120.67	71.72
27	10-ऊर्जा विभाग	9,017.69	2,126.65	11,144.34	5,813.60	5,330.74	47.83
28	20-स्वास्थ्य विभाग	913.01	207.28	1,120.29	859.06	261.23	23.32
29	22-गृह विभाग	410.51	75.94	486.45	374.68	111.77	22.98
30	35-योजना एवं विकास विभाग	1,252.30	0.00	1,252.30	973.74	278.56	22.24
31	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,334.67	410.00	1,744.67	1,164.09	580.58	33.28
32	46-पर्यटन विभाग	640.71	43.00	683.71	63.09	620.62	90.77
33	49-जल संसाधन विभाग	1,409.94	776.79	2,186.73	1,675.41	511.32	23.38
34	50-लघु जल संसाधन विभाग	285.28	0.00	285.28	124.23	161.05	56.45
35	51-समाज कल्याण विभाग	145.93	87.38	233.31	18.28	215.03	92.16
कुल पूँजीगत		18,105.66	4,077.93	22,183.59	12,454.21	9,729.38	43.86
महायोग (अ+ब)		75,118.93	15,517.74	90,636.67	57,200.46	33,436.21	36.89

(आठ: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कांडिका 2.3.4, पृष्ठ 31)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक)
जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
राजस्व (भारित)					
1	15-पेंशन	10.70	10.44	0.26	0.15
2	28-उच्च न्यायालय, बिहार	111.56	108.30	3.26	16.25
(अ) राजस्व (भारित) का योग		122.26	118.74	3.52	16.40
राजस्व (दत्तमत)					
3	1-कृषि विभाग	2,698.13	1,662.15	1,035.98	178.68
4	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	544.19	466.80	77.39	56.15
5	3-भवन निर्माण विभाग	619.70	439.86	179.84	7.89
6	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	356.78	224.56	132.22	3.45
7	7-निगरानी विभाग	34.10	29.08	5.02	2.37
8	9-सहकारिता विभाग	534.85	426.49	108.36	9.26
9	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,959.54	1,450.04	509.50	412.32
10	12-वित्त विभाग	259.06	158.88	100.18	0.65
11	15-पेंशन	16,274.60	12,504.07	3,770.53	0.15
12	16-पंचायती राज विभाग	7,183.92	6,466.66	717.26	202.41
13	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,143.22	1,065.68	1,077.54	19.98
14	20-स्वास्थ्य विभाग	7,321.69	4,749.79	2571.9	779.07
15	21-शिक्षा विभाग	21,477.10	19,043.06	2,434.04	1,403.40
16	22-गृह विभाग	6,886.86	6,190.61	696.25	274.22
17	23-उद्योग विभाग	711.38	540.07	171.31	19.72
18	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	239.98	214.80	25.18	75.90
19	26-श्रम संसाधन विभाग	685.75	418.11	267.64	5.37
20	27-विधि विभाग	819.55	537.77	281.78	7.52
21	29-खान एवं भूतत्व विभाग	18.95	12.71	6.24	0.60
22	32-विधानमंडल	152.31	135.65	16.66	6.74
23	33-सामान्य प्रशासन विभाग	528.00	504.19	23.81	145.41
24	35-योजना एवं विकास विभाग	2,251.59	1,036.16	1,215.43	75.65

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	ब्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
25	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	420.32	347.20	73.12	14.00
26	37-ग्रामीण कार्य विभाग	1,381.19	1,149.02	232.17	200.00
27	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	151.84	140.73	11.11	47.01
28	39-आपदा प्रबंधन विभाग	597.94	593.52	4.42	1,205.62
29	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	810.25	455.42	354.83	8.81
30	43-विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग	94.32	80.08	14.24	6.74
31	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,627.64	1,142.74	484.90	13.09
32	47-परिवहन विभाग	55.14	54.66	0.48	9.42
33	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	3,409.36	3,377.93	31.43	1,213.38
34	50-लघु जल संसाधन विभाग	307.62	239.48	68.14	34.50
35	51-समाज कल्याण विभाग	4,871.17	4,845.24	25.93	1,773.02
(ब) राजस्व (दत्तमत) का योग		87,428.04	70,703.21	16,724.83	8,212.50
योग राजस्व (अ+ब)		87,550.30	70,821.95	16,728.35	8,228.90
पूँजीगत (दत्तमत)					
36	3-भवन निर्माण विभाग	2,560.46	1,340.46	1,220.00	317.81
37	9-सहकारिता विभाग	135.16	47.57	87.59	33.08
38	10-ऊर्जा विभाग	9,017.69	5,813.60	3,204.09	2,126.65
39	12-वित्त विभाग	23.00	21.38	1.62	10.00
40	20-स्वास्थ्य विभाग	913.01	859.06	53.95	207.28
41	22-गृह विभाग	410.51	374.68	35.83	75.94
42	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,334.67	1,164.09	170.58	410.00
43	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	25.15	5.04	20.11	3.79
44	41-पथ निर्माण विभाग	5,650.91	5,342.11	308.80	134.00
45	46-पर्यटन विभाग	640.71	63.09	577.62	43.00
46	51-समाज कल्याण विभाग	145.93	18.28	127.65	87.38
(स) पूँजीगत (दत्तमत) का योग		20,857.20	15,049.36	5,807.84	3,448.93
महायोग (अ+ब+स)		1,08,407.50	85,871.31	22,536.19	11,677.83

(झोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कांडिका 2.3.5; पृष्ठ 31)
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	2403-00-001-0001- मुख्यालय स्थापना	5.40	0.08	5.01	0.39	0.08
2		2403-00-001-0003- अधीक्षण क्षेत्रीय स्थापना	26.78	0.02	22.66	4.12	0.02
3	3	2052-00-090-0020-भवन निर्माण विभाग	1.99	0.14	1.72	0.38	0.03
4		2059-80-001-0004-कार्यान्वयन	155.72	1.60	122.56	0.00	34.76
5		4059-60-051-0106-स्टेडियम एवं खेल संरचना	68.00	24.43	32.92	58.25	1.26
6		4216-01-700-0105-न्यायधीश आवास (विधि विभाग)	110.00	1.50	8.32	0.32	102.86
7	8	2205-00-102-0101-कला एवं संस्कृति का संवर्धन	11.10	1.00	8.92	2.75	0.43
8	16	2515-00-003-0001-पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1.58	0.30	1.45	0.35	0.08
9		2515-00-198-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	81.12	14.50	70.77	23.52	1.33
10	18	3456-00-001-0002-जिला प्रभार	47.79	1.01	42.50	0.00	6.30
11	20	2210-01-001-0001-स्वास्थ्य निदेशालय	20.84	0.56	18.45	2.75	0.20
12		2210-01-110-0010-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	32.92	0.34	24.96	7.04	1.26
13		2210-01-110-0011-संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.02	2.10	0.45	0.09
14		2210-05-105-0009-दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	5.64	0.94	3.93	1.75	0.90
15		2210-06-003-0002-जन स्वास्थ्य संस्थान	15.56	0.38	8.29	2.62	5.03
16		2251-00-090-0007-स्वास्थ्य विभाग	4.44	0.02	3.52	0.00	0.94
17		4210-02-050-0101-ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के लिए भू-अर्जन	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
18	21	2202-02-107-0108-अन्य विद्यालय	212.22	75.00	130.69	0.00	156.53
19		2202-03-103-0001-इंटरमीडिएट (+2) शिक्षा	35.11	10.73	34.03	0.00	11.81
20		2202-04-001-0002-जन शिक्षा निदेशालय	2.60	0.16	2.07	0.00	0.69
21		2202-05-103-0002-राजकीय संस्कृत विद्यालय	3.28	5.92	3.81	0.00	5.39
22		2202-05-200-0002-गैर सरकारी मदरसा	300.00	39.14	230.83	0.00	108.31
23		2202-80-001-0002-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	0.98	0.11	0.96	0.00	0.13
24		2202-80-003-0005-शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	4.77	0.02	4.40	0.00	0.39
25		2202-80-003-0007-प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.03	1.00	2.55	0.00	1.48
26		2202-80-004-0001-राष्ट्रभाषा परिषद्	2.63	0.05	1.99	0.00	0.69
27		2202-80-004-0007-केंद्रीय शोध संस्थान पटना	1.82	0.03	1.70	0.00	0.15
28		2202-80-004-0018-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	9.27	0.19	6.80	0.00	2.66
29		2202-80-800-0006-क्षेत्रीय अभिलेख पर समीक्षा समिति	0.17	0.02	0.16	0.00	0.03
30		2251-00-090-0002-शिक्षा विभाग	11.06	5.75	5.35	0.00	11.46

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	22	2055-00-001-0003-केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	76.90	7.37	72.72	0.00	11.55
32		2055-00-003-0002-प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर	13.93	1.30	13.10	0.00	2.13
33		2055-00-003-0007-प्रशिक्षण विद्यालय सिमुलतल्ला	10.43	0.72	9.91	0.00	1.24
34		2055-00-003-0008-प्रशिक्षण विद्यालय डुमराव	4.91	0.50	4.82	0.00	0.59
35		2055-00-101-0001-आपराधिक जाँच विभाग	177.03	0.60	153.27	0.00	24.36
36		2055-00-104-0002-पैदल सेन्य पुलिस	763.10	41.70	753.04	0.00	51.76
37		2055-00-109-0004-उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय	6.00	1.00	5.71	0.00	1.29
38		2055-00-113-0001-चिकित्सालय व्यय	11.02	0.10	7.61	0.00	3.51
39		2055-00-114-0001-संकेत	55.14	0.08	42.38	0.00	12.84
40		2055-00-114-0002- कम्प्यूटर	2.24	0.06	1.87	0.00	0.43
41	23	2851-00-107-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	0.00	16.48	0.00	0.00	16.48
42		2851-00-789-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	0.00	7.70	0.00	4.00	3.70
43	25	2852-07-202-0110-ई-डिस्ट्रीक्ट योजना	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00
44	26	2230-01-101-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन	29.36	0.02	20.97	8.30	0.11
45		2230-01-102-0002-कारखानों के निरीक्षक	5.17	0.05	3.74	1.46	0.02
46		2230-01-114-0102- अंतर्राज्जीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	2.30	0.15	2.04	0.35	0.06
47		2230-03-003-0005-मुख्यालय स्थापना	4.01	0.05	3.46	0.55	0.05
48	27	2014-00-117-0001- परिवार न्यायालय	12.35	0.31	7.42	5.12	0.12
49	39	2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	10.00	2.50	9.06	3.30	0.14
50	40	2029-00-001-0001-जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना	25.99	0.30	16.29	9.93	0.07
51	41	3451-00-090-0014-पथ निर्माण विभाग	3.45	0.03	2.36	1.11	0.01
52	43	2203-00-105-0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	2.61	0.67	2.58	0.67	0.03
53	44	2225-01-277-0003- आवासीय विद्यालय	94.69	0.75	74.59	20.23	0.62
54		2251-00-090-0023- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4.49	0.38	3.54	1.31	0.02
55	45	2852-08-201-0002-चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एकट 1937 से संबंधित व्यय-जिला	2.04	0.04	1.41	0.66	0.01
56	51	2235-02-001-0001- निदेशन और प्रशासन	0.92	0.15	0.85	0.00	0.22
57		2235-02-101-0106- निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	1.50	8.00	1.50	0.00	8.00
योग			2,499.02	278.12	2,018.66	161.68	596.80

(स्रोत: विस्तृत विवियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी 2016-17)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: कांडिका 2.3.5; पृष्ठ 31)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा ईर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2059-80-052-0001- नई आपूर्ति एवं मरम्मती	1.56	2.48	1.62	2.38	0.04
2	6	2015-00-103-0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	57.05	2.25	58.02	0.88	0.40
3	8	2205-00-103-0001- पुरातत्व निदेशालय	1.56	0.19	1.56	0.17	0.02
4	12	7610-00-202-0001- सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	7.00	0.75	7.19	0.02	0.54
5	13	2049-01-305-0001- पुराने ऋणों से संबंधित व्यय	10.00	1.00	10.97	0.00	0.03
6		2049-01-305-0002- नये ऋणों से संबंधित व्यय	2.00	1.50	3.42	0.00	0.08
7		2049-04-101-0002- 1989-90- से प्राप्त ब्लॉक कर्जे से व्याज	134.67	22.00	145.78	0.00	10.89
8	16	2515-00-196-0007- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	173.07	325.16	473.31	23.67	1.25
9		2515-00-197-0103- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	16.23	3.70	17.73	2.15	0.05
10		2515-00-789-0105- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.00	1.10	3.51	0.47	0.12
11		2515-00-789-0106- जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.50	0.30	0.62	0.16	0.02
12		2406-02-110-0324- बाघ परियोजना	4.36	0.32	4.57	0.09	0.02
13	21	2202-01-001-0105- शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	6.00	10.00	15.84	0.00	0.16
14		2202-03-103-0003- सरकारी महिला महाविद्यालय	9.36	2.06	11.06	0.00	0.36
15		2202-05-200-0001- मदरसा इस्लामिया समसुल होदा	1.97	0.09	2.05	0.00	0.01
16		2202-80-003-0006- जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	22.58	11.01	30.22	0.00	3.37
17		2202-80-003-0008- प्राथमिक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	15.66	9.53	20.53	0.00	4.66
18		2202-80-004-0005- अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.51	0.35	0.51	0.00	0.35

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (५)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
19	22	2055-00-001-0001- अधीक्षण	40.22	8.75	44.35	0.00	4.62
20		2055-00-104-0003- विशेष टास्क फोर्स	93.03	22.45	101.15	0.00	14.33
21		2055-00-104-0004- आतंकवाद निरोधक दस्ता	9.72	3.56	11.71	0.00	1.57
22		2055-00-109-0003- वामपंथी उग्रवादियों का समर्पण	0.75	2.00	2.19	0.00	0.56
23		2055-00-109-0017- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय	17.00	3.50	17.65	0.00	2.85
24		2070-00-107-0003- गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम	3.52	0.60	3.82	0.25	0.05
25		2070-00-108-0001- अग्नि रक्षा सेवा	52.71	10.49	59.72	1.17	2.31
26	36	4215-01-102-0103- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, नलकूप)	82.10	45.00	124.55	2.24	0.31
27	39	2245-02-101-0003- आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राहत	18.00	8.00	23.24	1.98	0.78
28		2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद भुगतान	5.00	5.75	7.64	2.90	0.21
29		2245-02-101-0016- राज्य की स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	37.00	28.20	56.43	2.77	6.00
30		2245-80-102-0104- राज्य आपदा रिसोर्स फोर्स	22.40	4.18	24.28	2.29	0.01
31	40	2029-00-001-0102- जोतों की चकवंदी	9.00	2.73	11.29	0.00	0.44
32	41	5054-03-337-0102- प्रमुख सङ्केत	1,200.00	100.00	1,249.95	10.21	39.84
33	48	2217-01-191-0109- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ सहायक अनुदान	20.00	15.00	27.19	0.00	7.81
34		2217-01-191-0116- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ	22.00	10.00	27.48	1.55	2.97
35	49	2711-01-001-0003- क्षेत्रीय स्थापना	117.42	27.27	136.28	8.32	0.09
36		2701-80-001-0003- निदेशक, भूमि अर्जन, पुनर्वास	0.76	0.41	1.06	0.10	0.01
कुल			2,217.71	691.68	2,738.49	63.77	107.13

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी 2016-17)

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कड़िका 2.3.5; पृष्ठ 31)

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-109-0001-प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	221.62	0.25	140.43	80.90	0.04
2	2	2403-00-101-0003-अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापना	116.27	1.41	90.31	23.27	1.28
3	3	2059-80-051-0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	9.00	1.50	4.95	2.51	0.04
4		2059-80-053-0001-रखरखाव तथा मरम्मत	270.00	12.46	199.06	56.70	1.78
5		4059-60-051-0107-सांस्कृतिक संरचना	221.16	24.43	89.21	106.52	1.00
6		4059-60-051-0121-पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	35.00	2.20	9.89	22.80	0.11
7	6	2015-00-105-0001-लोक—सभा निर्वाचन	5.00	1.00	2.95	1.04	0.01
8		2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान—पत्र निर्गत करने पर व्यय	5.05	1.25	2.22	1.25	0.33
9	8	2204-00-102-0001-राष्ट्रीय कैडेट कोर—प्रशासन	9.31	0.22	7.58	1.33	0.18
10		2204-00-104-0001-खेलकूद	9.08	0.25	6.78	1.88	0.17
11	12	7610-00-202-0002-सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	0.50	0.12	0.10	0.27	0.01
12		7610-00-202-0003-मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	1.00	0.25	0.20	0.45	0.10
13		7610-00-204-0001-पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	1.00	0.25	0.39	0.32	0.04
14	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋण—देय व्याज	4,206.77	54.02	4,124.68	0.00	28.07
15	15	2071-01-101-0001-15.11.2010 के पूर्व के पेंशन पानेवाले को भुगतान	1,244.82	1.00	1,165.25	0.00	78.57
16	16	2515-00-198-0105-ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का निर्धारित भत्ता (नियत)	101.40	12.00	76.52	12.82	0.06
17		2515-00-789-0103-ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्धारित भत्ता (नियत)	26.85	5.10	15.00	6.71	0.04
18		2515-00-789-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता हेतु	26.85	2.50	15.71	8.62	0.02
19	17	2040-00-101-0001-जिला प्रभार	106.08	3.25	85.15	15.20	2.48
20	19	2406-01-101-0001- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा	82.62	0.08	70.71	11.38	0.45
21		2406-01-800-0105- पचतट कार्य	87.99	8.97	61.72	15.37	1.93

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	20	2210-01-110-0009-भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	71.78	0.40	66.48	4.69	0.21
23		2210-01-200-0002-कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	53.71	0.06	41.71	3.71	8.23
24		2210-01-200-0005-अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	23.61	0.09	19.23	3.74	0.55
25		2210-03-101-0003-स्वास्थ्य उपकेंद्र	61.77	0.27	32.53	5.34	23.63
26		2210-03-103-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	956.52	3.38	824.53	52.82	75.79
27		2210-05-105-0001-पटना मेडिकल कॉलेज	101.23	0.05	78.84	22.33	0.01
28		2210-06-101-0002-राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	24.80	0.03	19.67	2.81	2.29
29		2210-06-101-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.27	0.07	18.80	9.63	8.77
30	21	2202-01-111-0301-सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	2,217.00	73.00	1,817.88	322.73	3.39
31		2202-01-796-0109- सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	109.50	27.34	0.00	0.00	82.16
32		2202-02-001-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	184.75	0.39	151.85	0.00	32.51
33		2202-02-109-0001-अन्य विद्यालय	1,062.42	11.39	774.25	0.00	276.78
34		2202-02-110-0007-गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	330.00	5.75	0.00	0.00	324.25
35		2202-02-196-0001-जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों के समेकित अनुदान हेतु	800.00	46.15	597.22	0.00	156.63
36		2202-03-001-0001-निदेशन तथा प्रशासन	9.44	1.14	3.65	0.00	4.65
37		2202-03-102-0115-राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	59.00	10.10	43.85	0.00	5.05
38		2202-03-113-0101-बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	55.00	10.00	2.50	0.00	42.50
39	22	2055-00-001-0008-सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद	18.86	4.64	5.67	0.00	8.55
40		2055-00-001-0009-प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय	245.25	4.47	211.20	29.28	0.30
41		2055-00-109-0005-स्पेशल ॲक्जिलरी पुलिस	176.37	38.00	122.22	0.00	16.15
42		2055-00-109-0006-सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के अन्तर्गत उग्रवाद प्रभावित यानि / बाह्य चौकी का सुदृढ़ीकरण	14.00	3.50	5.04	0.00	5.46
43		2056-00-101-0001-केन्द्रीय जेल	99.44	1.50	86.78	0.00	11.16
44		2070-00-107-0001-ग्रामीण	449.44	0.60	395.49	52.19	1.16
45	23	2851-00-104-0001-हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान	4.30	0.14	3.38	0.77	0.01
46		2851-00-107-0001-रेशम का विकास	12.16	0.03	5.61	6.38	0.14

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना	वास्तविक व्यय	अन्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
47	23	2852-80-001-0002-निदेशन	24.67	0.04	21.55	2.97	0.11
48	24	2220-01-001-0001-निदेशन और प्रशासन	8.49	0.15	3.58	4.75	0.01
49	27	2014-00-105-0001-सिविल और सत्र न्यायालय	595.60	0.31	453.86	140.35	1.08
50	32	2011-02-101-0005-सदस्यगण	67.84	1.15	47.89	15.04	3.76
51		2011-02-102-0006-सदस्यगण	16.46	0.40	14.56	0.09	1.41
52		2011-02-102-0008-राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	0.48	0.08	0.01	0.36	0.03
53	36	2215-01-101-0004-शहरी जलापूर्ति योजना	80.40	3.11	59.15	17.90	0.24
54		4215-01-102-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	426.59	59.00	362.87	4.60	0.12
55	39	2245-01-102-0001-ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई	10.00	2.50	2.27	4.60	0.63
56		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मती	10.00	2.50	2.29	5.11	0.10
57		2245-02-101-0004-प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	11.00	1.83	1.95	6.39	0.83
58		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	3.75	6.96	3.81	0.48
59		2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति	2.50	0.62	1.44	0.43	0.01
60		2245-80-102-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	20.00	4.00	0.00	14.45	1.55
61	40	2029-00-102-0101-सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	36.74	2.73	29.06	0.00	4.95
62		2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	642.56	0.30	359.76	282.05	0.45
63	41	3054-03-052-0001-मशीनें और उपकरण	3.00	0.12	1.70	0.62	0.56
64	42	2501-06-101-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	140.31	25.00	81.95	0.00	33.36
65	44	2225-01-277-0002-छात्रावासों का संधारण	11.95	0.60	5.67	5.61	0.07
66	47	2041-00-101-0002-मोटर वाहन पर नियंत्रण	40.28	0.27	36.43	3.34	0.24
67	48	2217-80-193-0007-नगर प्रबंधकों	1.97	0.47	1.34	0.14	0.02
68	51	2235-02-106-0106-बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	10.00	0.04	6.18	0.00	3.78
		कुल	16,144.59	484.91	12,998.36	1,400.46	1,260.86

(स्रोत: विस्तृत विविध लेखा, अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर, 2016-17)

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 32)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-104-0205-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11.43	0.90	10.53	0.00	92.13
2		2401-00-105-0207-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	32.20	4.19	27.98	0.03	86.89
3		2401-00-105-0307-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	21.46	2.81	18.65	0.00	86.91
4		2401-00-109-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	132.60	60.71	71.89	0.00	54.22
5		2401-00-109-0114-एग्रीविजनेस इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना) (ए०सी०ए०)	19.68	0.46	19.22	0.00	97.66
6		2401-00-109-0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई) (ए०सी०ए०)	174.52	63.08	111.38	0.06	63.82
7		2401-00-109-0218-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	63.64	36.39	27.16	0.09	42.68
8		2401-00-109-0318-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	39.41	22.35	17.06	0.00	43.29
9		2401-00-789-0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम	30.00	7.32	22.66	0.02	75.53
10		2401-00-789-0120-प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन	35.27	7.46	27.78	0.03	78.76
11		2401-00-789-0125-बाढ़ / सुखाड़ की आपातकालीन योजना	34.00	4.65	29.30	0.05	86.18
12		2401-00-789-0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई) (ए०सी०ए०)	44.75	10.71	34.00	0.04	75.98
13		2401-00-789-0303-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई) (ए०सी०ए०)	29.83	8.63	21.19	0.01	71.04
14		2401-00-789-0323-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.29	5.88	8.41	0.00	58.85
15		2401-00-789-0339-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	10.11	4.11	5.99	0.01	59.25
16		2402-00-102-0213-समेकित जल अच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	78.00	20.13	57.87	0.00	74.19
17		2402-00-102-0313-समेकित जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	52.00	13.42	38.58	0.00	74.19
18		2402-00-789-0202-समेकित जल अच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	20.00	6.22	13.78	0.00	68.90

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	1-कृषि विभाग	2402-00-789-0302-समेकित जल अच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	13.33	4.15	9.18	0.00	68.87
20		2435-60-101-0101-कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	15.60	7.80	7.80	0.00	50.00
21	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-106-0210-राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	17.05	7.42	9.63	0.00	56.48
22	3-भवन निर्माण विभाग	2245-80-102-0009- भवन से संबंधित आकस्मिक योजना	15.00	0.75	14.25	0.00	95.00
23		4047-00-051-0105-कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधन अधिष्ठापन	6.50	1.08	5.42	0.00	83.38
24		4059-01-051-0116-संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	30.00	0.84	29.16	0.00	97.20
25		4059-01-051-0117-प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग)	216.00	81.44	133.30	1.26	61.71
26		4059-01-051-0119-कृषि कार्यालय भवन	81.90	28.25	53.62	0.03	65.47
27		4059-01-789-0101-अनुसूचित जाति के भवन	242.44	98.03	144.41	0.00	59.57
28		4059-01-789-0102-कृषि कार्यालय भवन	21.00	5.49	15.51	0.00	73.86
29		4059-60-051-0107-सांस्कृतिक संरचना	221.16	89.21	130.95	1.00	59.21
30		4059-60-051-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संरथानों के भवनों का निर्माण / पुनर्निर्माण / उन्नयन	57.00	21.61	35.37	0.02	62.05
31		4059-60-051-0116-जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण	8.01	1.13	6.88	0.00	85.89
32	3-भवन निर्माण विभाग	4059-60-051-0121-पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	35.00	9.89	25.00	0.11	71.43
33		4059-60-051-0222-कौशल विकास योजना	13.96	2.41	11.55	0.00	82.74
34		4059-80-051-0118-पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	8.00	0.39	7.61	0.00	95.13
35		4202-02-105-0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय)	350.00	4.83	345.17	0.00	98.62
36		4216-01-700-0101-अन्य आवास	30.00	13.76	16.22	0.02	54.07
37	4-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	2070-00-001-0107-बिहार विकास मिशन	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00
38	8-कला संस्कृति	2204-00-104-0102-खेलकूद	13.70	6.47	7.23	0.00	52.77
39	एवं युवा विभाग	2205-00-107-0101-संग्रहालय	14.95	4.21	10.74	0.00	71.84
40	10-ऊर्जा विभाग	4801-05-190-0209-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	1950.00	100.07	1849.93	0.00	94.87
41		4801-05-190-0210-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक) (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए)	1900.00	100.08	1799.92	0.00	94.73

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-190-0015- दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिं० (ब्याज का भुगतान)	22.52	4.12	18.40	0.00	81.71
43		6801-00-190-0016- उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिं० (ब्याज का भुगतान)	40.10	6.10	34.00	0.00	84.79
44		6801-00-190-0017- दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिं० (मूलधन का पुनर्भुगतान)	13.85	1.20	12.65	0.00	91.34
45		6801-00-190-0018- उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिं० (मूलधन का पुनर्भुगतान)	9	6.33	13.67	0.00	68.35
46		6801-00-190-0108-बिहार स्टेट पावर (होलिंडग) कंपनी लिं० की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाहय सम्पोषित योजना)	260.91	57.30	203.61	0.00	78.04
47	12-वित्त विभाग	2052-00-090-0038-वित्त विभाग	74.82	33.84	40.95	0.03	54.73
48	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-001-0102-जिला पंचायत की स्थापना	13.00	0.35	12.65	0.00	97.31
49		2515-00-101-0114-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (वाहय सम्पोषित योजना)	147.00	50.00	97.00	0.00	65.99
50	18-खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग	3456-00-102-0407-लंबित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	17.44	0.00	17.44	0.00	100.00
51		3456-00-102-0105-लंबित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	259.60	6.64	252.96	0.00	97.44
52		3456-00-198-0101-निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	7.50	0.37	7.13	0.00	95.07
53	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016-मानसिक आरोग्यशाला	15.00	4.00	11.00	0.00	73.33
54		2210-01-110-0021-वर्द्धमान इन्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल, पावापुरी	19.03	5.47	13.56	0.00	71.26
55		2210-01-200-0209-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000.00	251.00	749.00	0.00	74.90
56		2210-01-789-0201-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00
57		2210-01-789-0301-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	15.00	0.17	14.83	0.00	98.87
58		2210-03-110-0203-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1012.99	263.46	749.53	0.00	73.99
59		2210-03-789-0201-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	441.87	117.87	324.00	0.00	73.32
60		4210-03-050-0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	120.00	20.00	100.00	0.00	83.33

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-03-105-0112- ऑक्जेलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ए.एन.एम.) एवं जेनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) स्कूल	140.00	60.00	80.00	0.00	57.14
62		4210-03-051-0119- बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	60.00	30.00	30.00	0.00	50.00
63	21-शिक्षा विभाग	2202-01-112-0303-प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम डी एम)	58.17	0.36	57.81	0.00	99.38
64	22-गृह विभाग	2070-00-003-0008-गृह रक्षकों का प्रशिक्षण	10.00	2.97	7.03	0.00	70.30
65		2070-00-108-0102-अग्निशामक उपकरणों का क्रय	43.00	2.03	33.04	7.93	76.84
66		2235-60-200-0118-बिहार मंदिर चहरदिवारी निर्माण निधि योजना	10.00	1.21	8.76	0.03	87.60
67		4070-00-052-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु	20.00	9.95	10.05	0.00	50.25
68	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-0001-रेशम का विकास	12.16	5.61	6.41	0.14	52.71
69		2852-08-796-0101-आर्थिक सहायता	10.52	2.34	8.18	0.00	77.76
70		2852-80-102-0135-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	29.64	10.06	19.58	0.00	66.06
71		2852-80-789-0102-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	119.05	29.39	89.66	0.00	75.31
72	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-101-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	21.60	0.76	20.84	0.00	96.48
73		2230-03-003-0129-बिहार कौशल विकास मिशन	255.50	114.12	141.38	0.00	55.33
74		2230-01-101-0109-कम्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	15.00	6.82	8.18	0.00	54.53
75		2230-03-003-0233-कौशल विकास मिशन	16.50	0.41	16.09	0.00	97.52
76		2230-03-003-0333-कौशल विकास मिशन	11.00	0.73	10.26	0.01	93.27
77		4250-00-050-0101-ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए	96.20	0.92	95.28	0.00	99.04
78		2235-60-200-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	1014.65	75.89	938.75	0.01	92.52
79	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-205-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना	11.51	1.87	9.64	0.00	83.75
80		4070-00-051-0109-योजनातंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में	10.00	1.61	8.38	0.01	83.80
81		4401-00-789-0104-कृषि विभाग के भवन	22.51	2.66	19.58	0.27	86.98

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0329-निर्मल भारत अभियान	124.80	41.18	83.62	0.00	67.00
83		4215-01-789-0313-निर्मल भारत अभियान	32.00	10.56	21.44	0.00	67.00
84		4215-02-106-0105-लोहिया स्वच्छता योजना	72.45	23.90	48.55	0.00	67.01
85	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-102-0001-ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई	10.00	2.27	7.10	0.63	71.00
86		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मती	10.00	2.29	7.61	0.10	76.10
87		2245-02-101-0004-प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	11.00	1.95	8.22	0.83	74.73
88		2245-02-113-0003-अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्निर्माण	10.00	0.06	9.94	0.00	99.40
89		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	6.96	7.56	0.48	50.40
90		2245-02-113-0001-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्स्थापन	58.00	19.37	38.23	0.40	65.91
91		2245-02-114-0001-कृषि इपपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	222.93	92.35	130.34	0.24	58.47
92		2245-80-102-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	20.00	0.00	18.45	1.55	92.25
93		2245-80-800-0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	13.40	3.75	9.65	0.00	72.01
94	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0206-राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन एल आर एम पी)	54.95	0.05	54.90	0.00	99.91
95	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-0208- सड़कें तथा पुलों	170.00	63.29	106.71	0.00	62.77
96		5054-03-337-0206- केन्द्रीय सड़क निधि	146.00	15.23	130.77	0.00	89.57
97	42-ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0202-इंदिरा आवास योजना	2833.47	983.31	1850.02	0.14	65.29
98		2501-06-101-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)	322.34	104.90	217.44	0.00	67.46
99		2505-02-101-0201-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	1152.84	399.25	753.59	0.00	65.37
100		2515-00-102-0116-बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण (बाह्य संपोषित योजना)	11.24	4.72	6.52	0.00	58.01
101		4515-00-103-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य	71.00	18.78	52.22	0.00	73.55
102	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0105-कौशल विकास मिशन	10.00	2.43	7.57	0.00	75.70

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
103	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-0106-इंजीनियरिंग महाविद्यालय भवन (निश्चय)	40.00	17.84	22.16	0.00	55.40
104	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	2225-01-277-00C2-छात्रावासों का संधारण	11.95	5.67	6.21	0.07	51.97
105		2225-01-277-0218-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्क्रीम	121.55	48.66	72.14	0.75	59.35
106		2225-02-102-0102-अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00	4.96	13.04	0.00	72.44
107	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2015-00-109-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	21.00	10.09	10.91	0.00	51.95
108		2215-01-191-0101-पेयजल की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	80.00	0.89	79.11	0.00	98.89
109		2215-01-789-0101-पेयजल की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	20.00	5.00	15.00	0.00	75.00
110		2217-03-192-0212-सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	396.30	45.75	350.55	0.00	88.46
111		2217-80-191-0016-व्यावसायिक कर के संदर्भ में अनुदान	27.33	13.66	13.67	0.00	50.02
112		2217-04-789-0202-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन यू आर एम) (ए सी ए)	22.71	1.40	21.31	0.00	93.84
113		2217-04-189-0203-जे एन यू आर एम के अंतर्गत आवास और गंदी बस्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	21.31	0.00	18.49	2.82	86.77
114		3475-00-789-0202-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	10.00	4.58	5.42	0.00	54.20
115	49- जल संसाधन विभाग	2245-02-122-0002-क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती	300.00	41.33	256.93	1.74	85.64
116		2701-80-190-0001-जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान	15.70	5.00	10.70	0.00	68.15
117		4700-01-051-0101-कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	25.00	10.89	14.04	0.07	56.16
118		4700-01-051-0304-त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए आई बी पी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	5.69	0.00	5.23	0.46	91.92
119		4700-03-051-0205-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	30.42	0.41	28.64	1.37	94.15

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
120	49- जल संसाधन विभाग	4700-04-051-0204-त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए आई बी पी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	13.69	2.20	11.28	0.21	82.40
121	49- जल संसाधन विभाग	4701-04-051-0101-क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	27.53	5.78	21.75	0.00	79.00
122		4711-01-051-0408-गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग एवं सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन कार्य)	105.00	45.14	59.86	0.00	57.01
123	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-03-789-0101-निजी नलकूप	16.29	3.26	13.01	0.02	79.86
124		4702-00-102-0102-नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	69.52	23.07	46.41	0.04	66.76
125	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0223-एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई सी पी एस)	35.00	5.52	29.48	0.00	84.23
126		2235-02-103-0421-निर्भया योजना डब्लू सी डी (वन स्टॉप केंद्र)	9.21	0.00	7.22	1.99	78.39
योग			18,806.05	4,354.36	14,426.57	25.12	76.71

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विलियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कांडिका 2.3.6; पृष्ठ 32)

निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-001-0214- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि	2.84
2		2401-00-001-0314- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि	1.90
3		2401-00-789-0240- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि	0.73
4		2401-00-789-0340- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि	0.49
5		2401-00-796-0262- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि	0.07
6		2401-00-796-0267- कृषि मैकेनाइजेशन पर उप मिशन	0.14
7		2401-00-796-0367- कृषि मैकेनाइजेशन पर उप मिशन	0.09
8		2415-02-004-0201- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	3.78
9		2415-02-004-0301- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	2.52
10		2415-02-789-0201- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.97
11		2415-02-789-0301- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.65
12		2415-02-796-0201- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.10
13		2415-02-796-0301- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.06
14		4401-00-051-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	15.60
15		4401-00-789-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	4.00
16		4401-00-796-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.40
17	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-105-0102- सुअरों का विकास	5.00
18		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	13.03
19		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	5.88
20		2403-00-789-0207- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.24
21		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.16
22		2404-00-102-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.13
23		2404-00-102-0301- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	0.08
24		2405-00-101-0103- मन मत्स्य का विकास	1.00
25		2405-00-101-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	3.07
26		2405-00-101-0301- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	2.05
27		2415-03-277-0101- बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	5.00
28		3454-01-001-0405- पशुधन गणना	4.00
29	3- भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0017- विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	7.71
30		2059-01-053-0021- गन्ना अद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.50
31		2059-01-053-0025- वर्तमान न्यायालय का पुनरुपर्करण (वित्त आयोग को अनुशंसा)	5.00
32		2059-01-053-0103- गृह विभाग के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	1.30
33		2059-80-053-0016- एकका स्मारक भवन	0.62
34		2059-80-103-0004- निरीक्षण भवनों का साज सज्जा	0.31
35		3053-02-102-0001- हवाई अड्डे	0.50
36		4059-01-051-0107- वित्त विभाग के भवन	10.00
37		4059-01-051-0111- उत्पाद विभाग के भवन	2.00
38		4059-01-051-0124- बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु	0.50

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
39	विभाग	4059-60-789-0305- कौशल विकास योजना	1.00
40		4059-60-796-0103- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	3.00
41		4059-60-796-0302- कौशल विकास योजना	0.50
42		4059-80-051-0002- लघु निर्माण	2.00
43		4059-80-051-0122- आई0टी0 भवन	15.00
44		4059-80-201-0103- इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सिटी	2.00
45		4202-02-104-0211- पॉलीटेक्नीक में महिला छात्रावास के लिए भवन (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)	1.40
46		4216-01-101-0001- निर्माण के पूर्ण के प्रारंभिक कार्य	0.10
47		4225-80-051-0104- अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	10.00
48		4408-02-101-0102- खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबाड़ सम्पोषित)	74.66
49	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2052-00-090-0147- सचिवालय ग्रन्थागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय	0.60
50	8- कला संस्कृति एवं युवा विभाग	6202-04-190-0001- बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.25
51		6202-04-190-0101- बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.10
52	9- सहकारिता विभाग	2408-02-190-0101- बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	13.01
53		2425-00-003-0103- सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मती एवं बनाने हेतु	3.00
54		4425-00-051-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	11.01
55		4425-00-051-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	7.34
56		6425-00-107-0101- बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख रिस्थरीकरण निधि के लिए ऋण	100.00
57		6425-00-108-0418-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	1.95
58		6801-00-201-0101- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	10.00
59		6801-00-201-0105- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबाड़)	67.80
60	11- पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0212- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	1.60
61		2225-03-277-0213- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	2.00
62		2225-03-277-0215- पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति	72.72
63		2225-03-277-0312- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमंतू तथा जनजातियों के विकास के लिए योजना	0.60
64		2225-03-277-0313-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विकास हेतु योजना	2.00
65	12- वित्त विभाग	2204-00-104-0005-अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता हेतु सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को सहायक अनुदान	0.07
66		4058-00-103-0101- मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना	2.00
67	13- सूद भुगतान	2049-60-701-0004- बिक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज	0.14
68	16- पंचायती राज्य विभाग	2515-00-003-0304- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	1.82
69		2515-00-196-0109- मुख्यमंत्री निश्चय योजना	5.00
70		2515-00-196-0308- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	3.04
71		2515-00-197-0106- मुख्यमंत्री निश्चय योजना	5.00
72		2515-00-197-0305- राजिव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	4.27
73		2515-00-789-0113- पंचायती राज व्यवस्था एवं मानव संसाधन विकास (बाह्य सम्पोषित योजना)	63.00

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
74	17- वाणिज्य-कर विभाग	2040-00-003-0001- बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय	0.10
75		2040-00-101-0002- भासाशाह सम्मान योजना	0.25
76	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2408-01-101-0103- धान, चावल अधिप्रारित हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता	10.00
77		3456-00-001-0405- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन (सहायता केन्द्र)	0.08
78		3456-00-102-0209- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-अन्नपूर्णा	9.99
79		3456-00-102-0411- उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.30
80		3456-00-102-0413- जन वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.34
81		3456-00-103-0101- बी0पी0 एल0 परिवारों का सुदृढ़ीकरण	9.05
82		5475-00-051-0102- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण	2.83
83	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-105-0104- प्रदूषण नियंत्रण पार्षद	1.15
84	20- स्वास्थ्य विभाग	2210-01-200-0310- राष्ट्रीय एड्स तथा यौनसंचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम	4.50
85		2210-02-200-0202- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47
86		2210-02-200-0302- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.00
87		2210-03-110-0304- राष्ट्रीय एड्स तथा यौनसंचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम	4.50
88		2210-04-200-0203- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98
89		2210-04-200-0303- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.30
90		2235-60-110-0204- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	285.85
91		2235-60-110-0304- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	190.57
92		4210-02-110-0101- आयुष कॉलेज अस्पताल एवं डिस्पेंसरी	1.00
93		4210-03-051-0201- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	42.00
94	22-गृह विभाग	2070-00-003-0004- अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.25
95	23-उद्योग विभाग	2852-80-001-0110- विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	1.00
96	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-103-0002- बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.08
97		2235-60-200-0115- पत्रकार पेंशन योजना	0.30
98	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2230-03-001-0101- कौशल विकास योजना	75.00
99		2852-07-202-0101- राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेन्टर	1.00
100		2852-07-202-0102- मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	1.00
101		2852-07-202-0105- राज्य की पोर्टल योजना	1.00
102	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0214- नेशनल कैरियर सर्विस	0.09
103	27-विधि विभाग	2014-00-003-0002- न्यायिक क्षमता विस्तार (वित्त आयोग की अनुशंसा)	8.46
104		2014-00-105-0007- अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.50
105		2014-00-105-0008- त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	67.69

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कूल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
106	27-विधि विभाग	2014-00-105-0009- सिविल एवं सत्र न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.99
107		2014-00-114-0005- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंल/एसोसिएशन को अनुदान	2.50
108	27-विधि विभाग	2014-00-114-0007- न्यायिक सुविधाएँ (वित्त आयोग की अनुशंसा)	8.07
109		2014-00-114-0105- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंल/एसोसिएशन को अनुदान	3.00
110		2014-00-117-0002- परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	2.30
111		2250-00-101-0002- बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को अनुदान हेतु	1.00
112	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0210- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	1.20
113		2202-03-107-0106- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था	1.00
114		2250-00-800-0107- वक्फ सम्पति के रख- रखाव सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु	hu
115		5465-01-190-0103- राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा पूँजी में इम्प्रॉटिपार्टिसिपेशन राज्य के हिस्सा पूँजी के रूप में अंशदान	0.50
116	35-योजना एवं विकास विभाग	2059-01-053-0024- मेला, हाट, बाजार, कचहरी भवन का संधारण	2.00
117		3454-02-205-0406- राजीव आवास योजना (क्षमता सृजन)	0.58
118		3475-00-004-0101- मुख्यमंत्री नव प्रवर्तन प्रोत्साहन योजना	2.00
119	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-02-003-0102- बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	1.00
120		4215-01-101-0125- जल गुणवत्ता की मौनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	0.10
121		4215-01-102-0229- निर्मल भारत अभियान	259.72
122		4215-01-789-0213- निर्मल भारत अभियान	77.52
123		4215-01-796-0218- निर्मल भारत अभियान	7.76
124	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10
125		2245-02-101-0013- स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास को नगद भुगतान	0.10
126		2245-02-101-0014- शीत लहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद अनुदान	0.10
127		2245-02-101-0015- राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.10
128		2245-02-107-0001- सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
129		2245-02-108-0001- सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
130		2245-02-114-0004- बागवानी की फसलों के लिए सहायता	0.10
131		2245-02-114-0005- पैनेरियल (शाश्वत) फसलों के लिए सहायता	0.10
132		2245-02-115-0001- भूमि से रेत /गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों की सहायता	0.50
133		2245-02-115-0002- मत्स्य प्रक्षेत्र से लवणता बालू आदि का निष्कासन	0.10
134		2245-02-116-0001- खराब ट्यूबवेलों/पम्प आदि की मरम्मती के लिए किसानों को सहायता	0.10
135		2245-02-119-0003- हस्तकरण बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
136		2245-02-282-0004- कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.44

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कूल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
137		2245-02-800-0007- गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त राहत सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.10
138		2245-06-101-0005- राज्य के बाहर घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.10
139		2245-80-001-0103- आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	0.09
140		2245-80-800-0003- बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	0.15
141		4250-00-051-0104- वेयर हाउस	0.40
142	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-0004- जर्मींदारी उन्मूलन बन्ध	0.42
143		4047-00-789-0101- भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	20.75
144		4047-00-789-0104- गृह विहीन परिवारों के लिए गृह निर्माण	1.00
145	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-052-0101- यंत्र एवं उपकरण	0.25
146		2216-03-105-0104- इंदिरा आवास योजना का निगरानी एवं तकनीकी सहयोग	4.00
147		2216-03-105-0106- मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00
148		2505-02-789-0201- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	632.20
149		2505-02-796-0201- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	74.38
150		4515-00-102-0102- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	4.12
151		2216-03-789-0103- मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	189.14
152		2070-00-001-0106- अम्बेडकर फाउण्डेशन	0.50
153		2852-08-789-0101- आर्थिक सहायता	12.08
154		3452-80-003-0101- बिहार कौशल विकास योजना	1.00
155	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-02-106-0202- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एनोआर०सी०पी०)	3.00
156		2215-02-789-0203- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एनोआर०सी०पी०)	2.00
157		2217-01-053-0001- बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	15.00
158		2217-01-191-0218- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए०एम०आर०यू०टी०)	50.00
159		2217-01-789-0205- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	2.00
160		2217-03-192-0211- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए०एम०आर०यू०टी०)	141.42
161		2217-03-192-0311- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए०एम०आर०यू०टी०)	45.00
162		2217-04-051-0202- राजीव आवास योजना	57.25
163		2217-04-051-0302- राजीव आवास योजना	90.00
164		2217-04-789-0303- जे०एन०य०आर०एन० के अन्तर्गत एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	0.10
165		2217-05-001-0102- योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	0.15
166		2217-05-051-0102- बिहार नगरीय विकास परियोजन बाह्य संपोषित	10.00
167	49- जल संसाधन विभाग	2700-80-002-0402- नेशनल हाईड्रोलोजी प्रोजेक्ट	21.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
168	49- जल संसाधन विभाग	4700-02-051-0103- गण्डक बेरीन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबाड़ सम्पोषित योजना)	8.47
169		4700-03-051-0204- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	8.50
170		4700-03-051-0304- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	8.70
171		4700-03-051-0305- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	11.61
172		4711-01-051-0102- जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य)	8.00
173		4711-01-051-0105- जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य) (नाबाड़ सम्पोषित योजना)	0.07
174		50- लघु जल संसाधन विभाग	0.56
175	50- लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-016-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.44
176		4702-00-101-0204- त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	42.00
177		4702-00-101-0304- त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	28.00
178		51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0220- असहाय लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
179	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-103-0003- बिहार राज्य महिला आयोग	1.50
180		2235-02-103-0111- कन्या सुरक्षा योजना	5.85
181		2235-02-103-0219- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	70.16
182		2235-02-103-0220- मुख्यमंत्री निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन आनन्द योजना	2.00
183		2235-02-103-0423- स्वाधार गृह स्कीम (महिलाओं का सशक्तिकरण)	2.49
184		2235-02-2000-0106- प्रदर्शनी सेमिनार, और सम्मेलन	0.20
185		2235-03-796-0201- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०)	72.87
186		4235-02-102-0106- पर्यवेक्षण गृह, एवं बाल गृह के लिए भवन	0.10
योग			3,421.66

(स्रोत: अनुदान लेखापरीक्षा पंजी, 2016-17)

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कांडिका 2.3.8; पृष्ठ 33)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत
(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत (कालम 6/ कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2405	36.24	30.13	6.11	16.86
2	05-राज्यपाल सचिवालय	2012	3.65	0.14	3.51	96.16
3	15-पेंशन	2071	3,777.39	0.22	3,777.17	99.99
4	21-शिक्षा विभाग	2202	3,634.27	383.90	3,250.37	89.44
5		2204	4.00	0.00	4.00	100.00
6		2205	1.14	0.00	1.14	100.00
7		4202	85.25	0.00	85.25	100.00
8	22-गृह विभाग	2055	725.62	67.63	657.99	90.68
9		2056	35.79	5.65	30.14	84.21
10		4055	91.43	10.00	81.43	89.06
11	28-उच्च न्यायालय	2014	19.60	0.00	19.6	100.00
12	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250	15.14	0.20	14.94	98.68
13	35-योजना एवं विकास विभाग	2053	64.92	7.26	57.66	88.82
14	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2030	25.29	5.71	19.58	77.42
15		2039	22.65	4.81	17.84	78.76
16	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245	764.09	477.33	286.76	37.53
17	41-पथ निर्माण विभाग	2245	73.85	0.00	73.85	100.00
18	46-पर्यटन विभाग	5452	619.01	7.43	611.58	98.80
योग			9,999.33	1,000.41	8,998.92	90.00

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 33)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401-फसल	2,095.59	826.07	39.42
2		2402-मृदा तथा जल संरक्षण	214.56	109.74	51.15
3		4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	20.00	20.00	100.00
4	2	2403-पशुपालन	358.94	71.69	19.97
5		2404-डेयरी विकास	125.08	18.53	14.81
6		2405-मत्स्य पालन	104.28	30.13	28.89
7	3	2059-लोक निर्माण कार्य	593.77	126.56	21.31
8		2216-आवास	16.34	10.90	66.71
9		2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	15.00	14.25	95.00
10		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,939.66	491.21	25.32
11		4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	501.40	102.02	20.35
12		4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	200.63	41.36	20.62
13		4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	74.66	74.66	100.00
14	4	2053-जिला प्रशासन	64.06	11.49	17.94
15	8	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	56.66	11.07	19.54
16		2205-कला एवं संस्कृति	66.40	15.16	22.83
17	9	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	66.28	18.71	28.23
18	10	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	435.19	360.14	82.75
19	11	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,369.23	523.97	22.12
20	12	2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	94.05	44.92	47.76
21		2054-कोषागार तथा लेखा प्रशासन	139.60	28.78	20.62
22	16	2015-निर्वाचन	83.82	10.37	12.37
23		2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,301.25	933.96	12.79
24	17	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	154.36	34.93	22.63
25	18	2408-खाद्य-भंडारण तथा भांडागार	10.00	10.00	100.00
26		3456-सिविल पूर्ति	2,146.17	1,073.50	50.02
27	19	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	349.93	51.41	14.69
28	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6,997.15	759.04	10.85
29		2211-परिवार कल्याण	532.74	99.46	18.67
30		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	566.42	476.42	84.11
31	22	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	567.18	61.00	10.75
32		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	87.04	22.60	25.97
33		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	60.00	18.25	30.42
34	23	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	133.95	52.65	39.31
35		2852-उद्योग	593.94	120.66	20.32

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	24	2220-सूचना तथा प्रचार	202.72	70.15	34.60
37	26	2230-श्रम तथा रोजगार	657.07	90.30	13.74
38		4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	253.60	95.28	37.57
39	27	2014-न्याय प्रशासन	814.32	285.19	35.02
40	33	2053-जिला प्रशासन	403.27	139.13	34.50
41		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	40.31	12.91	32.03
42	35	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,063.85	1,134.86	54.99
43		3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा साञ्चियकी	95.16	32.46	34.11
44		4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	112.54	40.47	35.96
45		4515-ग्रामीण विकास विभाग पर पूँजीगत परिव्यय	400.01	194.70	48.67
46	36	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	432.04	75.63	17.51
47	37	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	273.47	90.09	32.94
48		3054-सड़क तथा सेतु	1,100.00	313.89	28.54
49	39	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,777.13	407.13	22.91
50	40	2029-भूमि राजस्व	785.11	302.51	38.53
51	42	2216-आवास	6,048.89	2,388.97	39.49
52		2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	751.71	337.05	44.84
53		2505-ग्राम रोजगार	2,175.74	1,463.35	67.26
54		4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	75.12	56.35	75.01
55	43	2203-तकनीकी शिक्षा	99.99	19.40	19.40
56		4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	378.32	60.16	15.90
57	44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,635.73	409.40	25.03
58	45	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	69.83	68.74	98.44
59	46	3452-पर्यटन	98.33	10.73	10.91
60	48	2015-निर्वाचन	21.00	10.91	51.95
61		2217- शहरी विकास	3,956.93	847.56	21.42
62		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	78.39	23.89	30.48
63	49	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	300.00	256.93	85.64
64		2701-मध्यम सिंचाई	117.81	17.84	15.14
65		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,183.85	134.91	11.40
66	50	2702-लघु सिंचाई	331.87	101.85	30.69
67		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	285.28	160.11	56.12
68	51	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,067.06	669.81	13.22
69		2236-पोषण	1,561.68	279.96	17.93
70		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	233.31	76.03	32.59
योग			63,016.77	17,354.26	27.54

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लै० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: कांडिका 2.3.9; पृष्ठ 34)

मार्च 2017 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
					जनवरी - मार्च 2017	मार्च 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	1-कृषि विभाग	1,662.15	902.64	529.22	54.31	31.84
2	3-भवन निर्माण विभाग	1,771.74	1,030.73	804.76	58.18	45.42
3	6-निर्वाचन विभाग	140.15	74.35	45.09	53.05	32.17
4	8-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	81.85	36.29	25.40	44.34	31.03
5	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,461.27	1,452.69	1,451.65	99.41	99.34
6	16-पंचायती राज विभाग	6,466.66	6,090.88	3,571.66	94.19	55.23
7	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1065.67	1,020.31	354.17	95.74	33.23
8	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	335.42	216.51	176.25	64.55	52.55
9	23-उद्योग विभाग	665.60	288.79	260.07	43.39	39.07
10	24-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	133.29	67.36	44.65	50.54	33.50
11	33-सामान्य प्रशासन विभाग	508.64	236.59	188.98	46.51	37.15
12	42-ग्रामीण विकास विभाग	5,827.93	3,442.80	3,322.51	59.07	57.01
13	44-अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण विभाग	1,142.46	846.43	806.02	74.09	70.55
14	45-गन्ना उद्योग विभाग	182.81	102.10	95.16	55.85	52.05
15	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	3,377.92	1,752.88	1,397.19	51.89	41.36
16	49-जल संसाधन विभाग	2,551.13	1,288.91	961.59	50.52	37.69
17	50-लघु जल संसाधन विभाग	363.69	186.73	140.70	51.34	38.69
योग		27,738.38	19,036.99	14,175.07	68.63	51.10

(स्रोत: वित्त लेखा, 2016-17)

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: कांडिका 2.4; पृष्ठ 35)

नित्य प्रयोजन व्यय के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल	माननीय विहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष हेतु वाहन क्रय	0.16
2	2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन	वाहन क्रय हेतु	0.72
3	2014	न्याय प्रशासन	न्यायिक क्षमता निर्माण कार्यालय हेतु व्यय	0.95
4			उच्च न्यायलय पटना के ट्रैक्टर क्रय हेतु	0.04
5			ग्यारह न्यायिक मंडल के लिए वाहनों का क्रय	2.52
6			बिहार राज्य न्याय आयोग के सदस्य सचिव हेतु वाहन क्रय	0.10
7			महाधिवक्ता हेतु स्टाफ कार क्रय	0.08
8	2015	निर्वाचन	राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वाहन क्रय	0.13
9	2029	भू-राजस्व	भू राजस्व सुधार मंत्री हेतु दो वाहनों का क्रय	0.16
10	2051	लोक सेवा आयोग	प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का बी.पी.एस.सी. द्वारा संचालन	25.00
11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	स्थानीय आयुक्त कार्यालय, विहार भवन नई दिल्ली के कर्मचारी हेतु मानदेय	0.05
12			ऊर्दू सलाहकार समिति सदस्यों/डी.ई.ओ. के दूरभाष विपत्रों हेतु मानदेय	0.10
13			मुख्य सचिव हेतु वाहन क्रय	0.13
14			कानून मंत्री हेतु वाहन क्रय	0.16
15			वित्त मंत्री हेतु वाहन क्रय	0.15
16	2053	जिला प्रशासन	तिरहुत मंडल हेतु वाहन क्रय	0.13
17			संविदा कर्मचारी एवं अन्य कार्य हेतु भुगतान	0.20
18	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे हेतु दो वाहनों का क्रय (प्रवास)	0.30
19			माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे हेतु दो वाहनों का क्रय (प्रवास)	0.82
20			पटना एवं तिरहुत मंडल के राजभाषा कर्मचारियों हेतु ए.सी.पी. लाभ का भुगतान	0.02
21	2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	सेवानिवृत्तों हेतु घरेलू सहायता भत्ते	0.15
22	2202	सामान्य शिक्षा	राज्य अपीलीय प्राधिकरण शिक्षा विभाग के लिए दो मोटर वाहनों की खरीद	0.24
23	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	प्रमंडलीय, अनुमंडलीय तथा सदर अस्पताल के वेतन एवं भत्ते	160.50
24	2211	परिवार कल्याण	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	3.31
25			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	118.77
26			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	39.09
27			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	14.21

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	2235	सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम	आई.सी.डी.एस. की स्थापना (प्रशिक्षण), आई.एस.एस. एन.आई.पी. एवं अन्य	275.12
29			राज्यांश के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	100.00
30			लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	24.36
31			राज्यांश से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	247.40
32			बिहार अक्षम पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	62.00
33			लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	5.00
34			बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	2.86
34			बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	8.00
36			बिहार अक्षम पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	16.57
37			आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों हेतु पोशाक	35.31
38			आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों हेतु पोशाक	21.65
39			आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली	0.50
40	2236	पोषण	पूरक पोषक योजना राज्यांश हेतु	289.06
41	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ		माननीय प्रशासनिक पद समिति के मंत्री हेतु वाहनकर	0.16
42			नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त हेतु वाहनकर	0.10
43			आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हेतु वाहनकर	0.16
44	2425	सहकारिता	प्रत्येक ब्लॉक के कार्यकारी सहायक के मानदेय हेतु भुगतान	0.90
45	2852	उद्योग	पटना उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के कम्प्यूटर सिस्टम को ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रख रखाब हेतु भुगतान	10.00
46	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	माननीय उद्योग मंत्री, बिहार हेतु दो मोटर वाहनों का क्रय	0.27
47			माननीय खनिज एवं सम्पदा मंत्री हेतु मोटर वाहन का क्रय	0.15
48			माननीय सहकारिता मंत्री हेतु मोटर वाहन का क्रय	0.16
49			मुख्य सचिव के मोरक्को यात्रा एवं बन तथा पर्यावरण विभाग के कर्मचारियों के मानदेय हेतु भुगतान	0.42
50			माननीय मंत्री हेतु मोटर वाहन क्रय	0.16
51			पर्यटन विभाग के मंत्री एवं सचिव हेतु दो मोटर वाहनों का क्रय	0.29
52			मंत्री एवं गन्ना आयुक्त हेतु दो मोटर वाहनों का क्रय	0.29

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	3456	सिविल पूर्ति	भारत सरकार योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.08
54	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	एन.आई.टी. पटना हेतु भू-अर्जन	234.52
55	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	शहरी क्षेत्रों में सरकारी औषधालय का निर्माण	5.28
56			मेडिकल कॉलेज बैतिया एवं मधेपुरा के निर्माण हेतु भुगतान	160.00
57	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	सात निश्चय योजना के अन्तर्गत कौशल विकास केन्द्र का निर्माण	112.85
58			सात निश्चय योजना के अन्तर्गत कौशल विकास केन्द्र का निर्माण	44.54
59	4801	बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	उदय योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एस.बी.पी. डी.सी.एल. के लंबित ऊर्जा बिल में निवेश	296.20
60			उदय योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एन.बी.पी. डी.सी.एल. के लंबित ऊर्जा बिल में निवेश	203.80
61	5054	सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	योजना पर विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त व्यय	200.00
योग				2,726.35

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लैखा० एवं हक०) विहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: कांडिका 2.5; पृष्ठ 37)

बजटीय प्रावधान को व्यापगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए० सी० विपत्र की तिथि	ए० सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्यायित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3454	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना	29-03-12	175.58	21-01-15	48.35	34
2	4235	प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर	11-03-08	4.13	08-08-13	1.06	65
3	4210	अधीक्षक, पी.एम.सी.एच., पटना	23-12-06	48.06	09-07-15	1.28	103
4	2055	एन.डी.सी., पटना	20-05-09	90.00	01-10-15	6.77	76
5	2015	उप चुनाव अधिकारी, जहानाबाद	28-04-14	25.00	25-02-16	2.13	22
6	4235	समाहरणालय, जमुई	08-03-13	160.00	16-02-16	60.00	35
7	2245	एन.डी.सी., पटना	30-03-12	5.00	02-12-15	1.00	44
					29-03-16	0.72	48
8	4235	प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतुहा, पटना	30-03-08	8.38	11-01-16	1.57	93
9	2245	अंचल अधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय	31-03-10	3.00	16-09-11	2.92	17
10	2015	जिला चुनाव अनुभाग, समस्तीपुर	23-02-13	37.00	23-06-16	13.50	40
11	2852	उप-निदेशक, उद्योग (लेखा), बिहार, पटना	01-12-11	50.00	29-03-16 29-03-16	10.53	52
12	3454	एन.डी.सी., किशनगंज	31-03-09	18.58	08-10-13	1.19	55
13	2225	जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई	25-03-09	1.88	13-03-13, 12-12-14	0.65 0.25	48 69
14	2515	डी.डी.सी., दरभंगा	30-03-10	8.39	11-09-13 16-09-13 24-07-14 06-06-15 22-08-15	0.04 0.04 0.19 0.30 0.37	41 42 52 62 65
15	5054	जिला पदाधिकारी खगड़िया	13-02-14	163.00	31-03-16	99.80	25
16	2401	प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोहतास	12-03-09	3.38	29-08-16	1.00	90
17	4220	जिला जन संपर्क पदाधिकारी, दरभंगा	26-03-09	5.19	11-09-13	2.32	53
18	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	09-07-13	17.53	10-09-16	0.69	38

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए० सी० विपत्र की तिथि	ए० सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्याख्यित राशि	प्रेषण में विलब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	24-09-13	3.38	14-09-16	2.35	36
20	2210	निदेशक, आई.सी.आई. सी.आई, पटना	03-11-09	95.87	30-07-16	45.87	81
21	2053	जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा	26-09-13	200.00	09-09-16	53.59	35
22	2015	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	23-05-12	22.60	17-10-16	6.70	53
23	3454	उप निदेशक अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकीय निदेशालय, पटना	30-03-15	200.00	09-09-16	170.01	17
24	2053	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा	04-09-13	250.00	21-09-16	40.54	37
25	2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, दलसिंहसराय	28-04-14	2.50	29-03-16	1.36	23
योग				1598.45		577.09	

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: कांडिका 2.5; पृष्ठ 37)
शत्-प्रतिशत प्रेषण की राशि का व्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए०सी० बिल की तिथि	ए०सी० बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्यायित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिवान सदर	31-03-05	0.50	09-01-16	0.50	129
2.	4235	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा, पटना	16-03-12	1.94	01-02-16	1.94	46
3.	2236	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया	03-03-05	7.53	11-01-16	7.53	130
4.	2055	डी.एन.डी.सी. पटना	14-10-05	4.74	21-09-15	4.74	119
5.	2235	खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, उद्योग विभाग बिहार, पटना	04-02-15	400.00	02-11-15	400.00	9
6.	2055	एन.डी.सी. पटना	14-10-05	3.88	21-09-15	3.88	119
7.	3454	उपनिदेशक आर्थिक एवं साखियकी निदेशालय, पटना	30-03-15	300.00	14-09-16	300.00	17
योग				718.59		718.59	

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: कड़िका 2.6; पृष्ठ 37)

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
असमाशोधित प्राप्तियाँ			
1	0028—आय एवं व्यय पर अन्य कर	78.75	78.75
2	0029—भू—राजस्व	971.12	957.85
3	0030—टिकट और पंजीकरण शुल्क	2,981.95	2,572.87
4	0039—राज्य उत्पाद शुल्क	29.66	29.66
5	0040—बिक्री एवं व्यापार आदि पर क्रय	11,873.51	11,873.51
6	0041—वाहन पर क्रय	1,256.67	1,181.81
7	0042—माल एवं यात्री पर क्रय	6,245.62	6245.62
8	0043—बिजली पर सेवा तथा कर	223.90	223.90
9	0045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर सेवा तथा अन्य कर	81.25	81.08
10	0049—ब्याज अदायगियाँ	939.91	939.91
11	0051—लोक सेवा आयोग	16.31	16.31
12	0055—पुलिस	42.16	42.16
13	0056—कारागार	10.35	10.13
14	0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	99.88	19.38
15	0202—शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	17.09	17.09
16	0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	39.94	39.94
17	0230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	11.41	11.41
18	0401—फसल कृषि कार्य	14.38	14.38
19	0405—मत्स्य	10.42	10.25
20	0406—वानिकी एवं बन्य जीवन	27.69	27.69
21	0515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	35.66	35.66
22	0700—वृहत् सिंचाई	13.69	13.69
23	0701—मध्यम् सिंचाई	11.65	11.65
24	0853—गैर लौह खनन एवं धातु उद्योग	997.60	918.17
25	1054—सड़क एवं सेतु	41.93	41.93
26	1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	15.69	15.69
कुल		26,088.19	25,430.49
असमाशोधित व्यय			
1	2013- मंत्री परिषद	20.96	13.42
2	2014- न्याय प्रशासन	669.60	469.19
3	2015- निर्वाचन	212.32	206.66
4	2029- भू—राजस्व	429.69	422.28
5	2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	47.60	40.15
6	2039- राज्य उत्पाद	91.96	87.22
7	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	116.97	107.14
8	2041- वाहन कर	46.07	36.20

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
9	2049- व्याज अदायगियाँ	8,190.66	617.88
10	2051- लोक सेवा आयोग	68.05	45.23
11	2052- सचिवालय—सामान्य सेवाएँ	284.45	50.15
12	2053- जिला प्रशासन	391.40	384.71
13	2054- कोषागार तथा लेखा प्रशासन	93.44	92.89
14	2055- पुलिस	5,343.99	4,522.54
15	2056- जेल	254.97	179.17
16	2059- लोक निर्माण कार्य	431.36	430.50
17	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	657.36	561.61
18	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	12,507.99	12,507.99
19	2202- सामान्य शिक्षा	18,959.52	17,900.87
20	2203- तकनीकी शिक्षा	107.40	103.92
21	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	40.09	39.50
22	2205- कला एवं संस्कृति	44.89	43.92
23	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,189.12	4,167.06
24	2211- परिवार कल्याण	433.34	429.37
25	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	1,202.23	1,193.77
26	2216- आवास	3,437.18	3,437.18
27	2217- शहरी विकास	2,823.86	2,352.37
28	2220- सूचना तथा प्रचार	132.46	128.07
29	2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,226.95	2,225.51
30	2230- श्रम तथा रोजगार	387.80	376.99
31	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,923.52	4,914.97
32	2236- पोषण	955.20	940.45
33	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	818.89	807.61
34	2251- सचिवालय सेवाएँ	52.17	35.25
35	2401- फसल कृषि—कर्म	930.43	918.79
36	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	83.14	82.15
37	2403- पशुपालन	235.98	194.18
38	2404- डेयरी विकास	97.49	95.69
39	2405- मछली पालन	37.91	35.42
40	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	295.67	295.67
41	2408- खाद्य भंडारण एवं भांडागार	13.31	13.31
42	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	456.19	454.70
43	2425- सहकारिता	149.59	19.92
44	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	13.48	12.59
45	2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	381.17	381.17
46	2505- ग्राम रोजगार	712.20	712.20
47	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	7,256.49	7,256.42
48	2700- मुख्य सिंचाई	356.60	284.68
49	2701- मध्यम सिंचाई	93.93	83.83

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
50	2702- लघु सिंचाई	230.45	207.57
51	2705- कमान क्षेत्र विकास	107.81	107.44
52	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	259.47	229.90
53	2801- बिजली	7,540.69	2,826.93
54	2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	157.60	35.47
55	2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	69.68	65.06
56	2852- उद्योग	806.02	800.45
57	3054- सड़क तथा सेतु	1,775.64	1,759.08
58	3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	81.16	55.47
59	3452- पर्यटन	85.78	10.66
60	3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	69.29	63.43
61	3456- सिविल पूर्ति	1,059.65	1,058.50
62	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	61.20	61.20
63	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	278.43	278.43
64	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,003.76	1,003.76
65	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	802.87	791.25
66	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,074.46	1,074.34
67	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	870.43	870.43
68	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,163.89	1,163.89
69	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	158.77	158.77
70	4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	21.43	21.43
71	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	63.70	63.70
72	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	239.81	239.81
73	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	61.58	61.58
74	4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	36.09	36.09
75	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	30.22	17.35
76	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	7,891.74	7,891.74
77	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	728.11	728.11
78	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	43.83	43.83
79	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	124.21	124.21
80	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	899.53	899.53
81	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,738.56	1,418.58
82	4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	125.03	125.03
83	4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	102.58	102.58
84	5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	275.07	275.07
85	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,325.51	5,325.51
86	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	57.27	22.78
87	5465- सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	85.11	85.11
	कुल	1,21,213.47	1,00,816.53

(योतः कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: कांडिका 2.7.2; पृष्ठ 39)
आधिकार्य/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या-20)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	मूल + पूरक	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ- अत्याधिक पूरक प्रावधान					
1	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी-001-निदेशन एवं प्रशासन-0001-स्वास्थ्य निदेशालय	18.40	2.44	20.84	18.45
	कुल अ	18.40	2.44	20.84	18.45
ब- अनावश्यक पूरक प्रावधान					
2	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम	50.71	3.00	53.71	41.72
3	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	886.02	70.50	956.52	824.52
4	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-110-अस्पताल तथा औषधालय-001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	90.89	19.20	110.09	85.84
5	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-103-यूनानी-0001-यूनानी औषधालय	5.58	1.00	6.58	5.40
6	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0001-पटना मेडिकल कॉलेज	99.23	2.00	101.23	78.84
7	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0005-नालंदा मेडिकल कॉलेज	51.35	2.00	53.35	46.60
8	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-5-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0012-नर्स-प्रशिक्षण	10.95	0.83	11.78	7.88
9	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0013-फार्मसी-प्रशिक्षण	2.44	0.08	2.52	1.76
10	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज, पावापुरी	18.05	1.87	19.92	15.20
11	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-0001-अधीक्षण	9.10	2.50	11.60	8.85
12	2211-परिवार कल्याण-00-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ-0001-ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	69.33	0.10	69.43	46.65
	कुल ब	1,293.65	103.08	1396.73	1,163.26
	कुल (अ+ब)	1,312.05	105.52	1,417.57	1,181.71

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2016-17, बिहार सरकार)

परिशास्त-2.17

(संदर्भ: कांडिका 2.7.4; पृष्ठ 40)

31 मार्च 2017 को निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—001—निदेशन एवं प्रशासन —0001—स्वास्थ्य निदेशालय	20.84	2.75	133 (7) Q
2	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—001—निदेशन एवं प्रशासन—0002—जिला चिकित्सा पदाधिकारी	33.24	2.20	134(7) Q
3	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0001—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	180.14	23.64	136(1) B
4	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0002—दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	89.86	3.42	116(1) B
5	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0004—नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	79.29	5.30	140 (1) B
6	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0006—मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	43.25	2.49	135 (1) B
7	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110— अस्पताल तथा औषधालय—0008— श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	56.39	3.46	144(1) B
8	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110— अस्पताल तथा औषधालय—0009— भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	71.78	4.69	145 (1) B
9	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110— अस्पताल तथा औषधालय—0010—इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	32.92	7.04	144(1) B
10	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0011—संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.45	130 (7) Q
11	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0012— राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	4.76	0.35	118 (7) Q

क्रम सं०	लेखा शीष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110— अस्पताल तथा औषधालय—0013—सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	481.02	50.96	119 (7) Q
13	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110— अस्पताल तथा औषधालय—0016—मानसिक आरोग्यशाला	15.00	11.00	139 (7) Q
14	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0021—वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज अस्पताल पावापुरी की स्थापना	19.03	13.56	139 (1) B
15	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ— 0001—यक्षमा निरोध कार्यक्रम	56.28	4.02	142 (7) Q
16	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200— अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0002— कुष्ठ निरोध कार्यक्रम	53.71	3.71	117 (7) Q
17	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0005—अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	23.61	3.74	132 (7) Q
18	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0006—विधायक अस्पताल, पटना	1.60	0.12	122 (7) Q
19	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0008—रक्त भंडार	4.05	0.89	126 (1) B
20	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200— अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0111— एम्बुलेंस का परिचालन	25.00	0.80	125 (1) B
21	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200— अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0209— राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1,000.00	149.00	46 (10) B
22	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200— अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0309— राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	398.25	28.24	51 (10) B
23	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—200— अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0310—राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	56 (10) B
24	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ— एलोपैथी—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0301—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	15.00	5.05	50 (10) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य— 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—796—जनजातीय क्षेत्र उप—योजना—0319—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12.79	2.79	49 (10) B
26	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—101—आयुर्वेद—0001—देशी आयुर्वेदिक औषधीय विज्ञान निदेशालय	32.45	1.90	49 B
27	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—101—आयुर्वेद—0002—आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला की स्थापना	2.33	0.48	50 (B)
28	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ— 101—आयुर्वेद—0004—राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल	6.31	0.60	51 (B)
29	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ—0202—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47	13.47	62 (B)
30	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ—0302—पौधों संबंधी मिशन औषधीय सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.00	8.00	63 (B)
31	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—101—स्वास्थ्य—उप—केन्द्र—0003—स्वास्थ्य उप—केन्द्र	61.77	5.34	127 (7) Q
32	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—103—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—0001—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	956.52	52.82	136 (7) Q
33	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0001—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	110.09	9.01	143 (7) Q
34	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0203—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1,012.99	142.88	47 (10) B
35	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0304—राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	55 (10) B
36	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—201—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	441.87	70.00	45 (10) B
37	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0301—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12.91	2.91	48 (10) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अर्म्यपित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—101—आयुर्वेद—0002—ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	18.53	0.73	52 B
39	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ— 102—होम्योपैथी— 0001—होम्योपैथी औषधालय	6.00	0.70	53 B
40	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ— 103—यूनानी— 0001—यूनानी औषधालय	6.58	0.78	54 B
41	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ—0203—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98	10.98	64 B
42	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ—0303—औषधालीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.30	8.30	65 B
43	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —101—आयुर्वेद— 0001—आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय	5.20	0.26	55 B
44	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —101—आयुर्वेद— 0002—आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना	13.52	0.36	56 B
45	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—101—आयुर्वेद—0003—आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर	1.94	0.04	57 B
46	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—101—आयुर्वेद— 0004—आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर, दरभंगा	1.82	0.27	58 B
47	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—101—आयुर्वेद—0005—आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर	0.78	0.05	59 B
48	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—103—यूनानी —0001— तिब्बी कॉलेज	17.92	1.96	61 B
49	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी— 0001—पटना मेडिकल कॉलेज	101.23	22.33	138 (1) B
50	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0003—दरभंगा मेडिकल कॉलेज ,	66.57	4.42	118 (1) B
51	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी— 0005— नालंदा मेडिकल कॉलेज	53.35	6.75	137 (1) B
52	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी— 0007— मगध मेडिकल कॉलेज	32.69	1.52	143 (1) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अर्म्यपित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान —105—एलोपैथी— 0008— श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	33.18	7.80	141 (1) B
54	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0009—दन्त महाविद्यालय, पटना	5.64	1.75	124 (1) B
55	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0010— भागलपुर मेडिकल कॉलेज	26.44	1.63	120 (1) B
56	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0011—महिला स्वास्थ्य परिदर्शकाओं के लिए विद्यालय	1.03	0.13	121 (1) B
57	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0013—फार्मेसी—प्रशिक्षण	2.52	0.38	115 (1) B
58	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0017—इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	145.50	18.00	132 (1) B
59	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0024— राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	3.89	3.69	128 (1) B
60	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—001— निदेशन और प्रशासन—0001—अधीक्षण	11.60	0.82	137 (7) Q
61	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—003—प्रशिक्षण— 0002—जन स्वास्थ्य संस्थान	15.56	2.62	138 (7) Q
62	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—101 —रोगों का निवारण तथा नियंत्रण — 0002—राष्ट्रीय फाइलरिया नियंत्रण कार्यक्रम	24.80	2.81	131(7)Q
63	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—101 —रोगों का निवारण तथा नियंत्रण — 0003—राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.27	9.63	140 (7) Q
64	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—101 —रोगों का निवारण तथा नियंत्रण — 0012—महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना।	3.00	0.82	124 (7) Q
65	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—102—, खाद्य अपमिश्रण का निवारण— 0001—खाद्य नियंत्रक स्थापना	3.24	0.78	125 (7) Q
66	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—104—औषध नियंत्रण—0001—औषध नियंत्रण स्थापना	15.42	2.20	121 (7) Q
67	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—107 —लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ—0001— लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	5.02	0.42	135 (7) Q
68	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—06—लोक स्वास्थ्य—113 —लोक स्वास्थ्य प्रचार— 0001—प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	0.64	0.03	128 (7) Q

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अन्धरित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69	2211—परिवार कल्याण—00—001—निदेशन और प्रशासन 0104—मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	58.85	29.18	44 (12)
70	2211—परिवार कल्याण—00—003—प्रशिक्षण—0106—मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	19.76	9.21	45 (12)
71	2211—परिवार कल्याण—00—004—अनुसंधान तथा मूल्यांकन—0102—मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	0.09	0.04	48 (12)
72	2211—परिवार कल्याण—00—101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ—0001—ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	69.43	24.03	50 (12)
73	2211—परिवार कल्याण—00—101—ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ—0105—मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	372.68	31.74	46 (12)
74	2211—परिवार कल्याण—00—102—शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ—0102—मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	6.77	3.64	47 (12)
75	2211—परिवार कल्याण—00—103—मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य —0001—मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	5.18	1.62	49 (12)
76	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—110—अन्य बीमा योजनाएँ—0204—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा।	285.85	285.85	43 (10) B
77	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—110—अन्य बीमा योजनाएँ—0304—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	190.57	190.57	44 (10) B
78	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—051—निर्माण—0103—जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	5.00	4.85	52 (10) B
79	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—110—अस्पताल तथा औषधालय—0110—इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	2.00	0.20	127 (1) B
80	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—110—अस्पताल तथा औषधालय—0111—मेडिकल कॉलेज अस्पताल	50.00	2.96	119 (1) B
81	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—110—अस्पताल तथा औषधालय—0113—जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार	30.00	5.16	53 (10) B
82	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—051—निर्माण—0105—स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)	5.00	0.32	54 (10) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—110—अस्पताल तथा औषधालय—0101—आयुष कॉलेज, अस्पताल एवं औषधालय	1.00	1.00	122 (1) B
84	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—050—भूमि—0103—नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	120.00	25.00	131 (1) B
85	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—051—निर्माण—0201—मानव संसाधनों में स्वास्थ्य एवं लोक शिक्षा	42.00	42.00	117 (1) B
86	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलो पैथी—0111—डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल	0.01	0.01	129 (1) B
87	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0101—मेडिकल कॉलेज	560.00	0.23	133(1) B
	कुल	7,892.49	1,416.65	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2016-17, बिहार सरकार तथा अभ्यर्पण पत्र)

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: कांडिका 2.7.5; पृष्ठ 40)

भाग अ: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 100 प्रतिशत राशि का अन्वर्पण
(अनुदान संख्या-20)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	अन्वर्पण	अन्वर्पण (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी— 200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0310—राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	100
2	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य — 02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ— 0202—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47	13.47	100
3	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य — 02—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ— 0302—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.00	8.00	100
4	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य —03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय— 0304—राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	100
5	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य —04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ—0203—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98	10.98	100
6	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य —04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ—200—अन्य पद्धतियाँ—0303—औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.30	8.30	100
7	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण— 60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम— 110—अन्य बीमा योजनाएँ— 0204—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	285.85	285.85	100
8	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण— 60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम— 110—अन्य बीमा योजनाएँ— 304—राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	190.57	190.57	100
9	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—051—निर्माण— 0103—जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय तथा भवन का निर्माण	5.00	5.00	100
10	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 02—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—110—अस्पताल औषधालय— 0101—आयुष कॉलेज अस्पताल एवं औषधालय	1.00	1.00	100
11	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—051—निर्माण— 0201—स्वास्थ्य तथा लोक शिक्षा में मानव संसाधन	42.00	42.00	100
कुल		574.17	574.17	100

**भाग ब: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत
तक राशि का अभ्यर्पण**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी – 110—अस्पताल तथा औषधालय – 0016—मानसिक आरोग्यशाला।	15.00	11.00	73.33
2	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी – 110—अस्पताल तथा औषधालय – 0021—वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज, पावापुरी की स्थापना	19.03	13.56	71.26
3	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी – 200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—0209 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000.00	749.00	74.90
4	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – 01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी – 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – 0201 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	200.00	100.00	50.00
5	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—789—अनुसूचित जातियों—0301—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	15.00	14.83	98.86
6	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—110—अस्पताल तथा औषधालय—0203—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1012.99	749.53	73.99
7	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक—0201—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	441.87	324.00	73.32
8	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0024—राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा।	3.89	3.69	94.86
9	2211—परिवार कल्याण—00—102—शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ—0102—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	6.77	3.64	53.77
10	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—050—भूमि—0103 नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु।	120.00	100.00	83.33
11	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0112— ऑक्जेलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ए०एन०म०) एवं जेनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जी०एन०म०) स्कूल	140	80.00	57.14
12	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी—0119—बी० एस० सी० नर्सिंग कॉलेज	60.00	30.00	50.00
कुल		3,034.55	2,179.25	71.81

(स्रोत: विस्तृत विवियोग लेखा, 2016-17, बिहार सरकार)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कांडिका 3.1.1; पृष्ठ 43)

विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते

क्रम सं०	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी0डी0 खातों की सं०
1	अररिया	01
2	औरंगाबाद	01
3	बगहा	01
4	बाँका	01
5	बाढ़	01
6	बारसोई	01
7	बेगूसराय	04
8	बेनीपुर	01
9	बेतिया	02
10	भागलपुर	02
11	भोजपुर	01
12	वीरपुर	01
13	बक्सर	01
14	दानापुर	02
15	दरभंगा	01
16	दाऊदनगर	01
17	फारबिसगंज	01
18	जमुई	02
19	जहानाबाद	01
20	झंझारपुर	02
21	कटिहार	02
22	किशनगंज	01
23	लखीसराय	02
24	मधुबनी	02
25	नरकटियागंज	01
26	नवादा	03
27	निर्मली	01
28	पटना	02
29	पटना सिटी	01
30	रोहतास	04
31	सहरसा	02
32	सारण	01
33	शेखपुरा	02
34	शिवहर	01
35	शेरधाटी	01
36	सीतामढ़ी	02
37	सिवान	03
38	तेघड़ा	01
योग		60

(स्रोत: वित्त लेखा 2016-17)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कांडिका 3.3; पृष्ठ 44)

लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियों' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0029	भू-राजस्व	971.12	805.01	82.90
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	939.91	133.37	14.19
3	0055	पुलिस	42.16	19.30	45.78
4	0059	लोक निर्माण	8.35	8.35	100.00
5	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	99.88	84.02	84.12
6	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	17.09	4.88	28.55
7	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	39.94	24.19	60.57
8	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	3.46	2.01	58.09
9	0217	शहरी विकास	0.71	0.71	100.00
10	0220	सूचना एवं प्रचार	0.28	0.16	57.14
11	0230	श्रम एवं रोजगार	11.41	9.12	79.93
12	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.21	0.21	100.00
13	0401	फसल कृषि कर्म	14.38	5.17	35.95
14	0403	पशुपालन	0.80	0.12	15.00
15	0405	मछली पालन	10.42	1.08	10.36
16	0506	भूमि सुधार	0.18	0.19	105.56 [#]
17	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	35.66	21.90	61.41
18	0702	लघु सिंचाई	2.89	1.12	38.75
19	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.04	0.03	75.00
20	0852	उद्योग	0.09	0.08	88.89
21	1053	नागर विमानन	4.03	3.45	85.61
22	1054	सड़क एवं सेतु	41.93	13.16	31.39
23	1452	पर्यटन	1.57	1.57	100.00
24	1456	सिविल पूर्ति	0.07	0.07	100.00

[#] मुख्य शीर्ष 0506 के अंतर्गत ₹ 0.01 करोड़ की लेखा में वापरी सम्मिलित है, इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्रोत: वित्त लेखा, 2016-17)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कांडिका 3.3; पृष्ठ 44)

लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय	कुल व्ययों से लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	2.00	12.96	648.00
2	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	295.67	95.43	32.28 [#]

[#] लेखा में ₹ 15.14 करोड़ की वसूलियाँ सम्मिलित हैं इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिये लेखे की टिप्पणियाँ)

परिणाम-3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 45)

31.12.2017 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार बकाये लेखे

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष के लेखे बकाये में थे	बकाया लेखाओं की सं०
1	2	3	4
(अ) कार्यशील कम्पनियाँ			
1 से 5 वर्ष			
1	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	1
2	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	1
3	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1
4	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
5	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
6	बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
7	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
8	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
9	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्क्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
10	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
11	पीरपेंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
12	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
13	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13 से 2016-17	5
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2012-13 से 2016-17	5
कुल			39
5 वर्ष से ऊपर			
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2006-07 से 2016-17	11
2	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2001-02 से 2016-17	16
3	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000-01 से 2016-17	17
4	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99 से 2016-17	19
5	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1994-95 से 2016-17	23
कुल			86
कुल (अ)			125

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष के लेखे बकाये में थे	बकाया लेखाओं की सं०
1	2	3	4
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम			
5 वर्ष से ऊपर			
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2011-12 से 2016-17	6
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006-07 से 2016-17	11
	कुल (अ)		17
	कुल (अ + ब)		142
(स) अकार्यशील कम्पनियाँ (समापन की प्रक्रिया से अलग)			
1 से 5 वर्ष			
1	बिहार राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2016-17	1
2	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
5 वर्ष से ऊपर			
1	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2016-17	8
2	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2016-17	14
3	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2016-17	16
4	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2016-17	16
5	बिहार राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	1998-99 से 2016-17	19
6	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995-96 से 2016-17	22
7	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2016-17	24
8	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2016-17	24
9	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, डीहरी	1993-94 से 2016-17	24
10	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, आरा	1993-94 से 2016-17	24
11	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, औरंगाबाद	1993-94 से 2016-17	24
12	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, मोहनियाँ	1993-94 से 2016-17	24
13	स्काडा एग्रो वन कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2016-17	24
14	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2016-17	27
15	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2016-17	27
16	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2016-17	28
17	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2016-17	29
18	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2016-17	30
19	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	1988-89 से 2016-17	30
20	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2016-17	30
21	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
22	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
23	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
24	झंजारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष के लेखे बकाये में थे	बकाया लेखाओं की सं०
1	2	3	4
25	भवानी ऐकिटव कार्बन लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
26	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
27	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2016-17	32
28	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2016-17	32
29	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2016-17	32
30	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
31	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
32	मगध मिनरल लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
33	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
34	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2016-17	34
35	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981-82 से 2016-17	36
36	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2016-17	38
37	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78 से 2016-17	40
कुल (स)			1,029
कुल (अ + ब + स)			1,171

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कांडिका 3.5; पृष्ठ 46)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि विभाग	65	553.25
2	पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग	41	528.21
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	64	14.49
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	34	3,078.98
5	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	4	2.04
6	सहकारिता विभाग	22	47.49
7	आपदा प्रबंधन विभाग	81	547.38
8	शिक्षा विभाग	415	8,447.53
9	ऊर्जा विभाग	22	70.80
10	पर्यावरण एवं वन विभाग	1	2.00
11	वित्त विभाग	32	287.61
12	सामान्य प्रशासन विभाग	13	9.35
13	स्वास्थ्य विभाग	10	230.77
14	गृह (जेल) विभाग	2	0.06
15	गृह (विशेष) विभाग	8	0.54
16	उद्योग विभाग	54	60.11
17	सूचना प्रावैधिकी विभाग	6	31.98
18	श्रम संसाधन विभाग	18	16.76
19	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	17	5.24
20	विधि विभाग	7	4.07
21	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	19	3.06
22	पंचायती राज विभाग	249	8,755.54
23	योजना एवं विकास विभाग	8	72.09
24	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4	16.16
25	ग्रामीण विकास विभाग	74	4,184.40
26	ग्रामीण (कार्य) विभाग	8	8.94
27	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	70	1,351.23
28	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5	1.40
29	समाज कल्याण विभाग	118	3,575.51
30	गन्ना विभाग	16	85.44
31	नगर विकास विभाग	616	3,639.20
32	जल संसाधन विभाग	4	45.78
योग		2,107	35,677.41

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, विहार, पटना द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कॉडिका 3.7; पृष्ठ 52)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2017 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति


(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	2.03	0	2.28	27.93	0	0	-25.9	0
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	12.14	26.8	0	15.12	20.47	0	-2.98	6.33	0
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	21.48	0	16.31	23.36	0	15.6	-1.88	0	0.71
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	228.95	5.6	47.25	40.11	5.6	20.62	188.84	0	26.63
5	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1	0.48	0	1	0.5	0	0	-0.02	0
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0.25	0	0	0.1	0.43	0	0.15	-0.43	0
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0
8	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	-5	0	0
9	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	20	0	43	20	0	43	0	0	0
10	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	-5	0	0
11	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5.65	6.24	0	25	0	0	-19.35	6.24	0
13	बिहार राज्य विवरेजेज निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	-5	0	0
14	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	102.02	463.71	0	99.04	223.09	243.34	2.98	240.62	-243.34


क्रम सं०	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
15	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	14,605.10	15,802.91	0	21,127.91	66.14		-6,522.81	15,736.77	0
16	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	2,538.34	0	0	2,538.34	0	0	0
17	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	340.55	0	0	-340.55	0
18	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	323.47	0	383.27	323.47	0	-383.27	0
19	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	373.82	0	122.57	373.82	0	-122.57	0
20	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0		5	0	0	-0.84	0	0
21	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.71	500	5.27	2,180.48	0	-5.25	-739.77	500
22	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	0	0	0	6.74	0	0	-6.74	0	0
23	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	0.34	0	0	-0.34	0	0
24	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0	0	0.36	0	0	-0.24	0	0
कुल (अ)		15,026.67	17,748.48	3,842.19	21,410.13	3,371.03	3,558.19	-6,383.46	14,377.45	284.00
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम										
1	बिहार राज्य वित्त निगम	23.09	213.97	127.47	39.95	228.47	0	-16.86	-14.5	127.47
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	874.8	0	74.75	866.03	0	6.99	8.77	0
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.8	0	164.04	3.2	0	0	-2.4	0	164.04
कुल (ब)		105.63	1,088.77	291.51	117.9	1,094.5	0	-12.27	-5.73	291.51
कुल (अ + ब)		15,132.30	18,837.25	4,133.70	21,528.03	4,465.53	3,558.19	-6,395.73	14,371.72	575.51

क्रम सं०	(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.6	0	3.7	2.6	0	-1.95	0	0
2	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	9.87	0	0	9.97	0	0	-0.1	0	0
3	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.34	0	1.75	0	0	0.44	3.34	0
4	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	42.09	0	10	49.68	0	2.19	-7.59	0
5	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	0	1.95	0	6.72	0	0	-6.72	1.95	0
6	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.5	0	10.82	8.55	0	-0.88	-5.05	0
7	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	1.95	0	5.12	12.6	0	-0.18	-10.65	0
8	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0	1.61	1.42	0	0.03	21.7	0
9	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0.07	0	2.01	0	0	-1.03	0.07	0
10	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0	10	1.16	0	1.42	0.15	0
11	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0	7.18	10.4	0	-6.55	-5.99	0
12	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	3.18	86.3	0	14.04	66.54	0	-10.86	19.76	0
13	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.9	3.3	0	7	3.38	0	-2.1	-0.08	0
14	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.2	0.01	0	0.2	0	0	0	0.01	0
15	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20	0	0	20	322.95	0	0	-322.95	0
16	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0.03	0	0	-0.03	0

क्रम सं०	(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
17	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0	15.78	4.25	0	-6.21	8.1	0
18	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	0	0	1.25	0	1.28	0	0	-1.28	1.25
20	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0	10.78	2.27	0	5.03	0.18	0
21	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.27	0.94	0	2	1.22	0	0.27	-0.28	0
22	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0
23	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	0	0	0	0	9.18	0	0	-9.18	0
24	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.26	0	17.4	12.43	0	-6.97	0.83	0
25	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0	0	0	0	6.09	0	0	-6.09	0
कुल (स)		121.91	202.96	1.25	156.08	516.03	0	-34.17	-313.07	1.25
कुल (अ + ब + स)		15,254.21	19,040.21	4,134.95	21,684.11	4,981.56	3,558.19	-6,429.90	14,058.65	576.76



संकेताक्षरों की शब्दावली



संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं०	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ए एण्ड ई	लेखा एवं हकदारी
2	ए सी	सार आकस्मिक
3	ए ई	संचयी व्यय
4	बी ब मै	बिहार बजट हस्तक
5	बी ई	बजट अनुमान
6	बी एफ आर	बिहार वित्तीय नियम
7	बी एफ आर बी एम	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
8	बी ओ सी डब्लू	भवन एवं अन्य संरचना कर्मकार
9	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
10	सी ए जी	नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
11	सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
12	सी ई	पूँजीगत व्यय
13	डी सी	विस्तृत आकस्मिक
14	डी डी ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
15	डी ई	विकास व्यय
16	डीस्कॉम	वितरण कम्पनी
17	ई एस	आर्थिक सेवाएँ
18	जी आई ए	सहायता अनुदान
19	जी ओ बी	बिहार सरकार
20	जी ओ आई	भारत सरकार
21	जी एस	सामान्य सेवाएँ
22	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
23	एन पी आर ई	गैर—योजना राजस्व व्यय
24	एन पी एस	नई पेंशन योजना
25	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
26	एन टी आर	करेतर राजस्व
27	पी ए सी	लोक लेखा समिति
28	पी डी	व्यक्तिगत जमा
29	पी एफ	भविष्य निधि
30	पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
31	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
32	आर ई	राजस्व व्यय
33	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
34	एस डी आर एफ	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
35	एस एण्ड डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
36	एस एल आर	सांविधिक तरलता अनुपात
37	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
38	एफ एफ सी (XIV)	चौदवाँ वित्त आयोग
39	यू सी	उपयोगिता प्रमाण—पत्र
40	उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना
41	भी ए टी	मूल्य वर्धित कर

